भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13 के लिए

रिपोर्ट 18–07–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)

2014 की संख्या 9

____________ को लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर रखी गई

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	ii
सिफारिशें	iv
अध्याय I: प्रस्तावना	1
अध्याय II: आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी	12
अध्याय III: नीति कार्यान्वयन मामले	36
अध्याय IV: परिचालन दोष के मामले	56
शब्दावली	82
परिशिष्ट	85

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणामों वाला यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों- अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई आपत्तियाँ वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर आधारित थी।

कार्यकारी सार

वर्तमान वर्षों में भारत का निर्यात बढ़ा है जो 1992 में लगभग 0.5 प्रतिशत से 2013 में 1.4 प्रतिशत तक बढ़ते हुए वैश्विक निर्यातों में हमारे हिस्से के साथ 5 प्रतिशत की वैश्विक निर्यात वृद्धि के प्रति 15 प्रतिशत तक (सीएजीआर) बढ़ा है। यद्यपि, विकासशील अर्थव्यवस्था की माँगों के कारण आयात तेजी से बढ़े हैं। परिणामस्वरूप, व्यापार संतुलन विस्तृत हुआ है तथा 2004-05 में चालू खाता शेष नकारात्मक हो गया तथा तब से घाटे में रहा। इसक मुल्य स्थायित्त्व तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

सरकार तथा सार्वजनिक नीति अध्ययन में विशेषज्ञ संव्यवहार लागत में कमी, व्यापार सरलीकरण को सुद्धढ़ करने, संभावित बाजारों तक अधिमान्य पहुँच पर समझौते, दीर्घावधि निवेश को आकर्षित करने तथा समरूपी पारितोषिक तथा प्रोत्साहन व्यापार वातावरण के साथ आधुनिक तकनीक निर्धारित करने में लगभग एक राय हैं।

शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में दिनांक 17 अप्रैल 1997 के परिपत्र संख्या 10/1997 द्वारा अधिसूचित किया गया था। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग (वीएबीएएल) योजना तथा पूर्व की एक्जिम पॉलिसी की पासबुक योजना की जगह डीईपीबी योजना ने ले ली। डीईपीबी योजना में शुरू में दो उप योजनायें थी, अर्थात् 'निर्यात-पूर्व डीईपीबी' और पश्च् 'निर्यात डीईपीबी' । निंर्यात –पूर्व डीईपीबी योजना 1 अप्रैल 2000 से बंद कर दी गई। वर्षों से कई विस्तार के बाद पश्च् निर्यात योजना 30 सितम्बर 2011 को समाप्त कर दी गयी और तत्पश्चात् डीपीईबी मदों को 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने 28 आरए, सात सेज तथा 31 सीमा शुल्क बन्दरगाहों में हस्त लिखित के साथ इडीआई वातावरण दोंनों में नीति कार्यान्वयन मुद्दे तथा परिचालन दोष के मामले देखे। इसे कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली ने और बढ़ावा दिया। डीजीएफटी/सीमा शुल्क तथा आरबीआई के बीच समन्वय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डीईपीबी क्रेडिट शुल्क शुल्क के वास्तविक भार से नही मिलते थे तथा सी.एवं एजी. की पिछली रिर्पोटों के बावजूद योजना कार्यान्वयन समान नीति अपनिर्वचनों तथा खराब कार्यप्रणाली

मे फँसा रहा। डीजीएफटी ने योजना की निष्पादन रणनीति के संबंध में इसकी प्रभावशीलता का कोई परिणाम आकलन नहीं किया था एवं ना ही शुल्क निष्प्रभावीकरण पर योजना के कार्यान्वयन से पहले राजस्व प्रभाव आकलन किया था।

लेखापरीक्षा संपूर्ण चित्रण हेतु निर्यातको/आयातकों तथा विनिर्माण निर्यातों को योजना आधारित पारितोषिक एवं प्रोत्साहनों तथा एफटीए आधारित प्रोत्साहनों के अभिन्न घटकों को अवश्य ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग/राजस्व विभाग द्वारा योजनाओं के प्रभाव अथवा परिणामों के अध्ययन किये जाने की सिफारिश करती है। ऐसे विवरण संघ सरकार के प्राप्ति बजट में एफआरबीएम प्रकटीकरण के भाग के रूप में बेहतर ढंग से उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

सिफारिशें

1. प्रोत्साहन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन, निगरानी तथा परिणाम हेतु आरएज, सीमाशुल्क, बन्दरगाहों के आन्तरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2.1 से 2.3)

2. डीजीएफटी नीति प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सीमाशुल्क विभाग से ऑनलाइन विनिमय डाटा के साथ अपनी इडीआई प्रणाली की समीक्षा कर सकता है तथा इडीआई माड्यूल पर अपनी डाटा आवश्यकताओं को संशोधित कर सकता है।

(पैराग्राफ 2.5)

3. डीजीएफटी को सीमा शुल्क एवं आरबीआई के साथ सीमा शुल्क/आरबीआई द्वारा सभी ईनामी एवं प्रोत्साहन योजनाओं हेतु जारी चेतावनियों पर समाधान एवं तत्काल कार्रवाई करके समन्वय में सुधार करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2.6)

4. नीति कार्यान्वयन मुद्दों के मामले में तथा परिचालनात्मक दोष के मामलों में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि एफटी (डी एवं आर), अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्यवाई की जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 3.1 से 4.21)

5. लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि जब योजनाओं के प्रभाव अथवा परिणाम अध्ययन किये जाॅए, तब संपूर्ण चित्रण हेतु डीओसी/डीओआर द्वारा निर्यातकों/आयातकों तथा विनिर्माताओं को योजना आधारित पारितोषिक तथा प्रोत्साहनों तथा पीटीए आधारित प्रोत्साहनों के अभिन्न घटकों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे विवरण संघ सरकार की प्राप्ति बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) के प्रकटन के भाग के रूप में अच्छी तरह से उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

(पैराग्राफ 5)

शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना

शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) योजना

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारत के वैश्विक व्यापार में निरंतर वृद्धि और व्यापार विस्तार को आर्थिक विकास हेतु साधन के रूप उपयोग करके, भारत सरकार द्वारा कई राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में दिनांक 17 अप्रैल 1997 के परिपत्र संख्या 10/1997 द्वारा अधिसूचित किया गया था। डीईपीबी योजना ने मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग (वीएबीएएल) योजना तथा पूर्व की एक्जिम पालिसी की पासबुक योजना की जगह ली। डीईपीबी योजना में शुरू में दो उप योजनायें थी, अर्थात् 'निर्यात-पूर्व डीईपीबी' और पश्च् 'निर्यात डीईपीबी'। निर्यात-पूर्व डीईपीबी योजना 1 अप्रैल 2000 से बंद कर दी गई। वर्षों से कई विस्तारों के बाद पश्च् निर्यात योजना को दिनांक 17 जून 2011 की सार्वजनिक सूचना संख्या 54/2010 द्वारा 30 सितम्बर 2011 को बन्द कर दिया गया और तत्पश्चात् आठ वर्ष छः महीनों के छुटपुट विस्तार के बाद इस लोकप्रिय निर्यात प्रोत्साहन योजना पर पटी डालते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीईसी के दिनांक 22 सितम्बर 2011 के परिपत्र संख्या 42/2011-सीमाशुल्क द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल कर लिया गया था।

योजना के निष्पादन की लेखापरीक्षा वर्ष 2000 में सी एवं एजी द्वारा इस बात की जांच करने के उद्देश्य से की गई कि क्या (क) योजना के तहत अनुमत शुल्क क्रेडिट के लाभ निर्यातकों द्वारा वहन किए गए सीमाशुल्कों की वास्तविक घटनाओं के अनुरूप थे, (ख) योजना का कार्यान्वयन संबंधित अधिसूचना, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था, (ग) मानिटरिंग और अंतर विभागीय समन्वय तंत्र प्रभावोत्पादक था और (घ) डीईपीबी योजना ने पूर्व की वबल योजना की खामियों को दूर कर दिया है।

लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ इस पर टिप्पणी की (i) अनुमत शुल्क क्रेडिट जो शुल्क की वास्तविक घटना से संबंधित नहीं थे (ii) पासबुक

में एसएडी के नामे नहीं डालना (iii) एसएडी से अनुचित छूट (iv) मूल्य बढ़ोत्तरी के देर से निर्धारण/गैर संशोधन के कारण डीईपीबी क्रेडिट का अनपेक्षित लाभ (v) नकारात्मक मूल्यवर्धन को रोकने के प्रावधानों का अभाव (vi) डीईपीबी क्रेडिट दरों का गलत निर्धारण (vii) क्रेडिट दरों का गैर संशोधन/संशोधन में देरी (viii) क्रेडिट दरों के प्रति नकारात्मक सूची इनपुट्स के आयात पर शुल्क का गलत तरीके से हटाना (ix) डीईपीबी में निर्धारित सीमा से अधिक आयात (x) किए गए निर्यात आर्डर की तिथि पर दरों का प्रयोग न करना (xi) डीईपीबी क्रेडिट की अधिक/गलत मंजूरी (xii) माल का अधिक मूल्यांकन (xiii) विदेशी मुद्रा की गैर वसूली इत्यादि।

2004-05 में योजना के पहुलओं की एक बार फिर से इस बात पर जोर देते हुए लेखापरीक्षा की गई कि (क) शुल्क क्रेडिट, शुल्क की वास्तविक घटना से संबंधित नहीं था (ख) डीईपीबी का अनपेक्षित लाभ हुआ (ग) कुछ निर्यात मुनाफे की वसूली नहीं की गई (घ) कुछ डीईपीबी दरों का गलत निर्धारण किया गया (ड.) डीईपीबी अनुसूची में शामिल नहीं किए मदों को भी क्रेडिट की मंजूरी (च) गलत डीईपीबी की मंजूरी (छ) डीईपीबी निकासी प्रतिबंधों को लागू नहीं किया गया। इसके अलावा, डीईपीबी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बारह लेखापरीक्षा आपत्तियों को 2005-06 से 2011-12 तक सीमाशुल्क पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया है।

वाणिज्य विभाग (डीओसी) का जनादेश उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक नीति निर्माण तथा इसके विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का विकास और प्रोन्नति, का है। विभाग की मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास हेतु पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं को सक्षम बनाने में मदद करना है। विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता है, लागू करता है और निगरानी रखता है जो निर्यात और वृद्धि को बढ़ाने के लिए अपनायी जानी वाली नीति और रणनीति को बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। वाणिज्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में XII^वीं^ योजना अवधि के लिए वाणिज्य विभाग की ''भारत के निर्माण निर्यात को बढ़ाने'' पर कार्य करने वाले ग्रुप की रिपोर्ट निर्यात और विकास को बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू

विनिर्माण चुनौतियों, दोनों के विकास और योग्यता में एक रोचक अंतदृष्टि प्रदान करती है।

पीएमईएस[1] के तहत वाणिज्य विभाग का एक 'उत्तरदायी केंद्र' महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी), नई दिल्ली की अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है और यह वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। डीजीएफटी को एफटीपी का कार्यान्वयन तथा भारत के निर्यात का विकास करने की जिम्मेदारी के साथ एक 'सुविधा प्रदाता' की भूमिका दी गई है। डीजीएफटी निर्यातकों को लाइसेंस भी जारी करता है तथा 41 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेत्रीय प्राधिकरण) के नेटवर्क के माध्यम से उनके इन दायित्वों की निगरानी करता है।

वाणिज्य विभाग के परिणामी ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) के उद्देश्यों में निर्यात में वृद्धि तथा निर्यात में त्वरित वृद्धि के लिए व्यापार के माहौल में सुधार करने के लिए व्यापार में सहयोग देने वाली सुविधाओं का कार्यान्वयन निहित था। वाणिज्य विभाग ने एफटीपी 2009-14 के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम की समीक्षा करने को प्राथमिकता नहीं दी। वाणिज्य विभाग के परिणामी बजट के अनुसार, विभाग ने मंजूर आर्थिक सहायता हेतु बजट रूपरेखा के प्रति निर्यात आर्थिक सहायत हेतु बजट अनुमान में कोई प्रदेय मात्रा निर्धारित नहीं की थी। यह जानने के लिए कोई क्या वबल से डीईपीबी करते समय योजना के कार्यान्वयन से पूर्व योजना के राजस्व प्रभावों का मूल्यांकन किया गया था, से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

इसी प्रकार, वाणिज्य विभाग की नीतिगत योजना के पैराग्राफ 3.1 (XIII) के अनुसार डीजीएफटी, एफटीपी के तहत विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है तथा व्यापारिक समुदाय की मुख्य कड़ी है। तदनुसार, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जानी थी और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे फिर से बनाया जाना था, लेकिन वाणिज्य विभाग द्वारा डीईपीबी की समीक्षा नहीं की गई है,

---

[1] कैबिनेट सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली

इसलिए, वाणिज्य विभाग द्वारा बताई गई इस योजना की अधिकांश उपलब्धियां निराधार हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा भारत की आगामी व्यापार नीति समीक्षा के दौरान योजना कठोर सवालों के घेरे में थी। डीईपीबी क्रेडिट का परिकलन इसके द्वारा दी गई सब्सिडी के कारण प्रतिकारी शुल्क के रूप में माना गया है और 1999-2002 के बीच यूएस, कनाडा और ईयू द्वारा इसके विरूद्ध अभियोग चलाया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने डीईपीबी की जगह नई योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ (एनसीएईआर, आईसीआरआईईआर, एनआईपीएफपी इत्यादि) नियुक्त किए, इसके अतिरिक्त 2002 से ही योजना को समाप्त कर दिया गया था जिसे अंतिम रूप से सितम्बर 2011 में मूर्त रूप दिया गया। इस दौरान निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के आधार पर आगामी प्रसार की मंजूरी दी गई थी।

हालांकि, वाणिज्य विभाग द्वारा डीईपीबी की जगह एक नई योजना शुरू की जा रही थी, डीईपीबी मदों को अंतिम रूप से 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल किया गया था। डब्ल्यूटीओ में दोहा दौर की बातचीत की धीमी प्रगति में व्यापक आपसी मुक्त व्यापार करार (एफटीएज़) और क्षेत्रीय व्यापार करार (आरटीएज़-सार्क, आशियान) निहित थे। इस पृष्ठभूमि में सीईसीए[2] सिंगापुर से बातचीत की गई थी। इस करार हेतु संगणित व्यक्त प्रतिस्पर्धी लाभ और व्यापारिक लाभ भारत के मौजूदा एफटीपी के कारण भारतीय निर्यातकों के व्यापारिक लाभ निहित थे जिसमें डीईपीबी शामिल किया गया था।

इस प्रकार निर्यात के प्रोत्साहनों (सीईसीए) से संबंधित वैकल्पिक व्यापार करार (पीटीए), योजना (डीईपीबी) और गैर योजना के दोनों अंतर्निहित अवयवों को ध्यान में रखते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा किया जाना अनिवार्य था जिससे निर्यात को बढ़ाने, विनिर्माण निर्यातों को मजबूत करने और वैश्विक प्रति-सब्सिडी प्रतिकारी शुल्कों से बचने में, भविष्य में वाणिज्य

[2] व्यापक आर्थिक सहयोग करार

विभाग द्वारा पारितोषिक और प्रोत्साहन योजनाएं बनाने में सहायक हो सकता था।

1.2 योजना के उद्देश्य

डीईपीबी योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के आयातित भाग पर सीमाशुल्क की घटनाओं को निष्प्रभावी करना था। निष्प्रभावीकरण निर्यात उत्पाद के प्रति शुल्क क्रेडिट की मंजूरी प्रदान करके किया जाना था। योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की गणना मानक आदान-प्रदान मानकों (एसआईओएनज़) केअनुसार उक्त निर्यात उत्पाद के डीम्ड आयात वस्तु को ध्यान में रखकर किया गया था। योजना प्रक्रिया {(एचबीपी) भाग 1 की हैंडबुक का पैरा 4.37} के तहत शुल्क क्रेडिट की दर तय करते समय ऐसे उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य संवर्धन को भी ध्यान में रखा गया था। प्रोत्साहन के दुरूपयोग को रोकने के लिए उच्च डीईपीबी दरों वाले निर्यात उत्पादों पर अधिक मूल्य आरोपित किया गया था।

इस प्रकार भारत में किसी आयातयोग्य वस्तु/प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के प्रति, मूल और प्रतिकारी (सीबीडी) दोनों शुल्क, सीमाशुल्क के समायोजन हेतु निर्यातकों द्वारा लिए गए डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का उपयोग किया गया था। निर्यातक किसी उत्पाद का आयात करने के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकते थे न कि निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त सामान का। डीईपीबी और/या इसके प्रति आयातित वस्तु मुक्त रूप से स्थानांतरणीय थी। ईपीसीजी योजना के तहत आयात के प्रति शुल्क के भुगतान हेतु डीईपीबी स्क्रिप्स का भी उपयोग किया जा सकता था।

1.3 शुल्क क्रेडिट की मंजूरी की प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत एक निर्यातक को किए गए निर्यात के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त की प्रतिशतता के रूप में शुल्क के भुगतान पर क्रेडिट अनुमत था। निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य के संबंध में डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित सममूल्य दर पर निर्यात के समय क्रेडिट दिया गया था। ये दरें निर्यातकों द्वारा निर्यात उत्पाद पर सियोनज् में लागू सूचीबद्ध सामानों पर भुगतान किए गए मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की संगणना पर आधारित थी। डीईपीबी योजना की

महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सियोन के तहत सूचीबद्ध सभी वस्तुओं को आयातित किया माना गया था और ये सीमाशुल्क के विषयगत थे। डीईपीबी योजना के तहत क्रेडिट किसी वस्तु के आयात पर अनुमत था केवल उन वस्तुओं को छोड़कर जिनके आयातों पर प्रतिबंध है।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इन तथ्यों से संबंधित आश्वासन लेने के दृष्टिकोण से योजनाअवधि के दौरान डीईपीबी योजना के लिए लेखापरीक्षा में मौजूदा प्रणाली की नमूना जांच की गई कि:

क. डीओसी, डीजीएफटी और सीमाशुल्क द्वारा योजना के प्रबंधन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता;

ख. योजना के प्रशासन में निहित अंतरविभागीय समन्वय-तंत्र और मॉनिटरिंग की प्रभावकारिता;

ग. शुल्क फिरती योजना के तहत शामिल किए जाने के बाद डीईपीबी मदों की दरों का विश्लेषण;

घ. डीईपीबी योजना के तहत निर्यात पर वैकल्पिक व्यापार करार (सीईसीए, सिंगापुर) का निहितार्थ;

ङ. डीईपीबी शेयरों के किसी गलत जारीकरण या उपयोग से बचने के मौजूदा प्रावधान का अनुपालन;

च. डीईपीबी दरों का निर्धारण;

छ. शेयर आवेदनों का समय पर निपटान

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना और मापदण्ड

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी के 36 आरएज़ में से 28 आरएज़[3], वाणिज्य विभाग के 8 सेज़ में से 7 डीसी-सेज[4] और 31 सीमाशुल्क पत्तनों (परिशिष्ट I) में चयनित नमूनों में डीईपीबी शेयरों की संवीक्षा की। इन 28 आरएज़ में, 2005-

[3] दिल्ली, भोपाल, रायपुर, मुंबई, पुणे, गोवा, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, पुदुच्चेरी, कोच्ची, तिरूवनन्तपुरम, कोलकाता, पानीपत, जम्मू, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कटक, अहमदाबाद, बैंग्लुरू, जयपुर, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, देहरादून

[4] इंदौर, मुंबई, चेन्नई, कोच्ची, फाल्टा, कांदला, नोएडा

06 से 2011-12 के दौरान ₹ 51,489 करोड़ राशि के 5,64,321 डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे। 4,443 डीईपीबी शेयरों की संवीक्षा की गई थी। इसी प्रकार, सात सेज में ₹ 104.66 करोड़ राशि के 2,592 डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे जिनमें से 508 मामलों को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुना गया था। स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनों का प्रयोग करते हुए डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में जारी डीईपीबी शेयरों के भाग के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने का चयन किया गया था जैसा कि नीचे सारिणीबद्ध है:-

तालिका: 1

क्र. सं.	डीईपीबी शेयरों का मूल्य	नमूना आकार
1.	₹ 1 करोड़ और अधिक	100 *प्रतिशत*
2.	₹ 50 लाख से ₹ 1 करोड़ तक	50 *प्रतिशत*
3.	₹ 10 लाख से ₹ 50 लाख तक	5 *प्रतिशत*
4.	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	1 *प्रतिशत*
5.	₹ 5 लाख से नीचे	0.2 *प्रतिशत*

डीजीएफटी द्वारा अनुरक्षित डीईपीबी योजना से संबंधित अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई।

निम्नलिखित संदर्भों के साथ अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई थी:

- डीओसी, डीजीएफटी और सीबीईसी का आरएफडी।
- नीतिगत योजना; डीओसी का परिणामी बजट; डीओआर का प्राप्ति बजट।
- एफटीपी 2009-14 ।
- प्रक्रिया पुस्तिका, भाग I और II।
- सीईसीए, सिंगापुर करार।
- सार्वजनिक अधिसूचनाएं, परिपत्र और डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश।
- सीबीईसी की सीमाशुल्क अधिसूचनाएं, परिपत्र इत्यादि।
- डीईपीबी योजना और सीईसीए, सिंगापुर पर रिपोर्टें।
- सी एवं एजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2000 और 2004-05 ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ में 12 अप्रैल 2013 को डीजीएफटी के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस की गई थी। जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और नमूने की व्याख्या की गई थी। इसके साथ-साथ महानिदेशक/प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शामिल आरएज़ के साथ एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। 15 जनवरी, 2014 को एक्ज़िट कांफ्रेंस

आयोजित की गई थी। अंतिम टिप्पणी हेतु ड्रॉफ्ट पीए रिपोर्ट को दुबारा डीओसी (डीजीएफटी)/डीओआर (सीबीईसी) को भेजी गई थी।

1.6 वित्तीय प्रारूप और लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के अनुसरण में सरकार ने प्राप्ति बजट, 2006-07 से केंद्रीय कर प्रणाली के तहत बड़े कर व्यय का अनुमान दर्शाना शुरू कर दिया। यद्यपि संघ सरकार के प्राप्ति बजट में केंद्रीय कर प्रणाली के तहत छोड़ दिये गए राजस्व का विवरण डीईपीबी योजना पर कर व्यय दर्शाता है, वाणिज्य विभाग की योजना के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं था। शुल्क क्रेडिट शेयरों के रूप में लाभ दिए गए थे जिसका वास्तविक आयात के समय आयात-शुल्क अदा करते हुए उपयोग किया जा सकता था। एफआरबीएम प्रकटन में योजना के परिणाम का कोई विवरण नहीं था जैसा कि वित्त आयोग द्वारा परिकल्पना की गई थी। वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान डीजीएफटी द्वारा ₹ 51,489 करोड़ मूल्य के डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे (तालिका 2) और सात सेज द्वारा ₹ 104.66 करोड़ के शुल्क क्रेडिट डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे।

डीजीएफटी वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान पूरे देश में डीसीज़ सेज द्वारा जारी डीईपीबी प्राधिकरण संख्या क्रेडिट का मूल्य, निर्यात का एफओबी मूल्य, और आरएज़ द्वारा आयातों हेतु अनुमत शुल्क उपलब्ध नहीं करा सका। तालिका 2 में आरएज़ और सेज द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना को सारबद्ध किया गया है।

तालिका: 2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जारी डीईपीबी प्राधिकरणों की संख्या (संख्याएं)	प्राधिकरणों की राशि (₹ करोड़ में)	निर्यात का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	छोड़ दिया गया राजस्व* (₹ करोड़ में)
2005-06	1,20,902	5,010	1,10,267	5,650.00
2006-07	1,04,752	4,618	1,20,495	4,842.00
2007-08	91,508	5,496	1,25,183	5,311.50
2008-09	1,10,856	7,729	1,67,410	7,087.49
2009-10	1,12,413	8,267	1,68,044	8,008.45
2010-11	11,750	9,204	1,97,664	8,736.40
2011-12	12,139	11,165	2,50,532	10,404.37
कुल	**5,64,321**	**51,489**	**11,40,495**	**50,040.21**

(स्रोत-डीजीएफटी)

*(*स्रोत-राजस्व विभाग)*

वित्त वर्ष 06 से वित्त वर्ष 10 के दौरान जारी वर्षवार डीईपीबी शेयरों के विश्लेषण से पता चला कि शेयर अधिकांशत: रसायन और संबद्ध उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, कपड़ा उत्पादों और पैकिंग सामान के लिए जारी किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा किए गए 28 आरएज़ और 7 सेज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2005-06 से 2011-12 की अवधि के लिए अनुमत निर्यात के शुल्क क्रेडिट और एफओबी मूल्य, जारी डीईपीबी शेयरों की कुल संख्या परिशिष्ट III और IV में दी गई है। डीजीएफटी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित अखिल भारतीय आंकड़ों और व्यक्तिगत आरएज़ और डीसीज़ द्वारा दिए गए आंकड़ों में समरूपता नहीं है और स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आरएज़ द्वारा दी गई सूचना/रिपोर्टों पर नियंत्रण का अभाव था। एक्ज़िट कांफ्रेन्स के बाद दूसरी जांच के दौरान भी डीजीएफटी द्वारा इसका मिलान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी, डीओसी, डीओआर और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा पर भरोसा किया। वित्तीय वर्ष 12 के दौरान डीईपीबी योजना के तहत छोड़ा गया शुल्क (₹ 10,404 करोड़) सरकार की 17 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छोड़े गए कुल शुल्क का लगभग 16 प्रतिशत था।

जारी किए गए डीईपीबी शेयरों की तुलना में उपयोग किए गए शेयर और उन पर छोड़े गए शुल्क का सार परिशिष्ट V में दिया गया है।

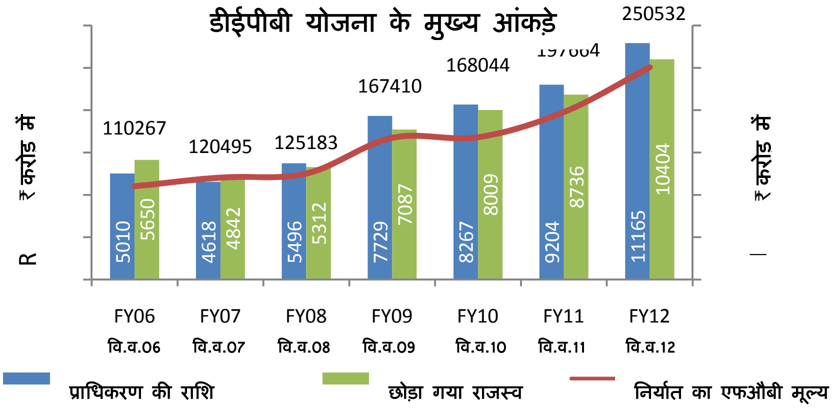

तालिका: 3

डीईपीबी क्रेडिट का औसत दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीईपीबी शुल्क क्रेडिट	निर्यात का एफओबी मूल्य	औसत दर
2005-06	5,010	1,10,267	4.54
2006-07	4,618	1,20,495	3.83
2007-08	5,496	1,25,183	4.39
2008-09	7,729	1,67,410	4.62
2009-10	8,267	1,68,044	4.89
2010-11	9,204	1,97,664	4.66
2011-12	11,165	2,50,532	4.46

स्रोत: डीजीएफटी

यद्यपि 2005-06 से 2011-12 की अवधि में सीमाशुल्क की उच्च दर में 50 प्रतिशत तक गिरावट आयी थी (20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत), तथापि 2005-12 के बीच सात वर्षों की अवधि में डीईपीबी क्रेडिट की औसत दर लगभग 4.48 प्रतिशत ही बनी रही।

2005-06 से 2012-13 के दौरान पीटीए-सीईसीए सिंगापुर के अधीन आयात का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

तालिका: 4

2005-06 से 2012-13 के दौरान पीटीए-सीईसीए सिंगापुर के अधीन आयात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयातों का निर्धारणीय मूल्य	वृद्धि प्रतिशत	देय शुल्क	छोड़ा गया शुल्क	निर्यात मूल्य	वृद्धि प्रतिशत
2005-2006	743.04	-	119.79	101.54	24019.65	--
2006-2007	1,633.37	1.19	350.18	241.48	27461.61	4.80
2007-2008	2,020.26	0.23	389.85	293.74	29662.23	4.52
2008-2009	3,299.58	0.63	625.11	437.58	37756.88	4.49
2009-2010	3,274.58	-0.01	419.11	470.19	35948.30	-4.25
2010-2011	4,823.31	0.47	679.94	617.18	44731.73	3.91
2011-2012	5,191.11	0.07	701.95	783.42	80362.99	5.48
2012-2013	6,245.30	0.20	1,031.51	695.19	73994.97	**4.52**
योग	**27,230.54**	**0.40 (औसत)**	**4,317.45**	**3,640.32**	**3,53.938.40**	**3.35 (औसत)**

2009-10 से वैश्विक मंदी शुरू हुई। सितम्बर 2011 से डीईपीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2005-06 से 2012-13 के लिए सीईसीए सिंगापुर के अधीन आयात पर करार पर हस्ताक्षर के पश्चात् 0.40

प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ ₹ 27,231 करोड़ के आयात के प्रति छोड़े गए शुल्क की कुल धनराशि ₹ 3,640 करोड़ थी। 4.7 प्रतिशत की अधिक उच्च दर से निर्यात में वृद्धि हुई।

अध्याय II: आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

2.1 डीजीएफटी और डीओसी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धतियों और पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनाओं के परिणामी पैमाइश को मजबूत करने की आवश्यकता है।

डीओसी या इसके सीसीए ने डीजीएफटी या क्षेत्रीय इकाईयों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की। डीजीएफटी के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में डीजीएफटी नई दिल्ली की एक निरीक्षण इकाई निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं सहित आरएज़ के कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करती है। आर्थिक मामले विभाग के नियंत्रक सहायक, लेखा एवं लेखापरीक्षा ने बताया (अक्टूबर 2012) कि डीजीएफटी द्वारा जारी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों की उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जानी थी लेकिन उन्होंने ऐसी कोई लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की।

डीजीएफटी ने लाईसेंसों और ब्राण्ड दरों पर आरएज़ को परिचालित जनवरी 2000 और अक्टूबर 2003 के अपने नीति परिपत्र में बताया कि यादृच्छिक आधार पर चयनित लगभग पांच से दस प्रतिशत मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा पश्च् लेखापरीक्षा की जानी थी और उस पर की गई अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई के तुरन्त बाद उपयुक्त स्तर पर मामलों की समीक्षा की जानी थी। इससे आरएज़ को कार्यालय के संबंध में लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग बनाने की आवश्यकता थी। आरएज़ को समुचित निगरानी के लिए सभी रजिस्टर/अभिलेख जैसे- दावा प्राप्ति रजिस्टर, चेक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी प्रतिवेदन और पश्च् लेखापरीक्षा रजिस्टर आदि का रख-रखाव करना चाहिए।

एचबीपी, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.45 के अनुसार आरए ऐसे सभी मामलों की निगरानी करेगा जिनमें (बीआरसी) के बिना ही शेयर जारी कर दिया गया और यह सुनिश्चित करेगा कि बीआरसी शेयर जारी करने की तिथि से 12 महीने के भीतर या आरबीआई द्वारा अनुमत किसी बढ़ाई गई तिथि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एचबीपी के पैराग्राफ 4.40.2 के अनुसार पत्तनों

के प्रत्येक सीमाशुल्क कार्यालय डीईपीबी के तहत किए गए निर्यातों के विवरण का अलग से रिकार्ड रखेंगे।

राजस्व विभाग के दिनांक 27 जून 2002 के एमओएफ पत्र सं.एफ.सं.ए-11019/34/2001-एडी.IV के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन के महानिदेशक (डीजीईपी), सीबीईसी भी सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की पश्च् लेखापरीक्षा करने भी हेतु दायी हैं। इस उद्देश्य के लिए डीजीईपी व्यापार, ईओयूज़, एसटीपीआईज़, सेज के साथ वार्तालाप करता है और इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा भी देखता है।

2.2 आरएज़ पर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

यद्यपि डीजीएफटी के जनवरी 2000 तथा अक्टूबर 2003 के अनुदेशों के अनुसार निर्धारित प्रतिशतता पर सभी प्राधिकरणों की नमूना जांच/समीक्षा की प्रणाली बनाई गई है, उपरोक्त परिपत्र के विपरीत आठ आरएज़ (हैदराबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरै, अहमदाबाद , पुदुच्चेरी एवं कटक) में इसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। केएसेज़, गांधीधाम और एमईपीजेड चेन्नई में भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का पालन नहीं किया गया था।

- यद्यपि आरए जयपुर ने डीईपीबी स्क्रिप के संबंध में 100 प्रतिशत आंतरिक जांच का दावा किया, कम/गैर आरोपण की विलम्बित कटौती अनुचित एफओबी मूल्य के कारण मंजूर किए गए अधिक डीईपीबी, एसबीज़ के बदले बीआरसीज़ की उच्चतर एफओबी मूल्य के कारण अथवा अनुचित रूप से उच्चतर विनिमय दर लागू करने के कारण निगरानी व नियंत्रण के अपर्याप्त तंत्र के उदाहरण लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान देखे गए।
- आरए, जयपुर में डिमांड ड्राफ्ट की समाप्ति (₹ 2500) और आवेदन शुल्क के कम भुगतान (₹ 1000) की घटनाएं भी देखी गई थी।
- इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों में प्रासंगिक दस्तावेज जैसे आरसीएमसी, बीआरसीज़/एफआईआरसीज़, शिपिंग

बिल्स/निर्यात के बिल्स और विभिन्न प्राधिकरणों में पंजीकरण की वास्तविकता का भी सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

- आरए, कटक के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने केवल कार्यालय के नकद और आकस्मिक व्यय की लेखापरीक्षा की, न कि योजना की। इस प्रकार, डीईपीबी योजना हेतु कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी। इसके अलावा, योजना पर कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं था, क्योंकि विभाग जारी किए गए डीईपीबी शेयरोंकी सटीक संख्या, एफओबी मूल्य और वर्षवार डीईपीबी क्रेडिट आंकड़े देने में समर्थ नहीं था। आरए, कटक द्वारा बनाया गया डीईपीबी रजिस्टर होम पेज पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए डाटाबेस के साथ जारी डीईपीबी शेयरों पर एमआईएस रिपोर्ट से भिन्न था।
- आरएज़ कानपुर और वाराणसी तथा एनसेज नोएडा ने बीआरसी की छायाप्रति के आधार पर 2005-06 से 2012-13 के दौरान ₹ 63.08 लाख मूल्य के 11 डीईपीबी शेयर जारी किए।

आरएज़ जयपुर और अहमदाबाद तथा केएसेज़ गांधीधाम ने लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कीं। आरए, अहमदाबाद ने आगे कहा कि सीमाशुल्क से पूरी तरह से सत्यापित एसबीज़ प्राप्त किए गए थे और बैंक से विधिवत प्राधिकृत बीआरसीज़ प्राप्त हुए, अतः अलग से रजिस्टर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एसबीज़ और बीआरसीज़ का 100 प्रतिशत सत्यापन कर लिया गया था।

आरए, अहमदाबाद का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार आरए के पश्च् लेखापरीक्षा विंग को डीईपीबी लाइसेंसों और गैर ईडीआई एसबीज़के 5 प्रतिशत का चयन करना था और चयनित फाइलों की बीआरसी का संबंधित पत्तन और बैंक द्वारा प्रति-सत्यापन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आईसीडीज़ मंडीदीप और पीतमपुर, आईसीडी संतनगर और एअर कार्गो हैदराबाद में निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी। एसीसी बैग्लुरू ने माना कि कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। यद्यपि समुद्री पत्तन, चेन्नई और कोच्ची तथा एयरपोर्ट,

तिरूवनन्तपुरम में आंतरिक लेखारीक्षा विभाग विद्यमान था, डीईपीबी मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि बोर्ड के परिपत्र स. 14/1999-सी.शु. दिनांक 15.3.1999 में डीइपीबी स्क्रिप के उपयोग किये जाने से पहले पंजीकरण हेतु विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित की। लदान बिल और डीइपीबी स्क्रिप के इलैक्ट्रानिक ट्रांसमिशन के प्रारंभ होने पर, आनलाईन वैधता जांच आरंभ की गई (परिपत्र सं.11/2007-सी.शु. दिनांक 13.2.2007)। पश्च निकास लेखापरीक्षा निर्यात के लिए निर्धारित की गई है। ये सभी लेखापरीक्षा नियंत्रण की प्रकृति के थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि सभी आरएज़ पर पोस्ट इश्यू आडिट विंग (पीआईएडब्ल्यू) स्थापित कर दी गई है।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में हैं। तथापि, यह विभाग निगरानी और अनुपालन को मजबूत करने के लिए सुझावों की जांच के लिए खुला है।

डीजीएफटी और राजस्व विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि समय-समय पर डीजीएफटी और राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश क्षेत्रीय संरचनाओं में लागू/निगरानी नहीं की गई थी।

सिफारिश: *आरएज़/सीमाशुल्क इकाईयों, पत्तनों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन, निगरानी और अनुपालन के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है।*

2.3 पत्तनों पर निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

पत्तनों पर प्रत्येक कस्टम हाऊस एचबीपी, खंड 1, 2009-14, के पैराग्राफ 4.40.2 के अनुसार डीईपीबी के अंतर्गत निर्यात के ब्यौरों का अलग रिकॉर्ड तैयार करेगा।

- केएसेज़, पत्तन, गांधीधाम पर, डीईपीबी योजना के अंतर्गत निर्यात (निर्यात बिल) के विवरण दर्शाते हुए अलग रजिस्टर/रिकॉर्ड बनाने की अपेक्षा एक समेकित 'निर्यात रजिस्टर का बिल' तैयार किया गया था।

- आईसीडी, गढ़ी हरसरू (गुड़गांव) में सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड योजना वार वर्गीकरण की अपेक्षा इकट्ठे रखे गये थे। सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए सभी जारी/प्राप्त टीआरएज़ की सूचना वाली एक संयुक्त फाईल तैयार की गई थी, कोई अलग योजना वार रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके न होने के कारण, अवधि के दौरान जारी/प्राप्त टीआरएज़ की कुल संख्या मैन्यूली अर्थात (2005-06 से 2009-10) प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, वास्तविक लाइसेंस धारक द्वारा डीईपीबी स्क्रिप आदि की बिक्री/स्थानांतरण से संबंधित कोई रिकार्ड कस्टम पोर्ट में नहीं रखा गया था।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि समेकित रिकार्ड रखने के पहलू पर, क्षेत्राधिकार की रिपोर्ट प्रतीक्षित है और स्वीकार किया कि स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण योग्य डीईपीबी स्क्रिप की बिक्री/स्थानांतरण सीमा शुल्क द्वारा तैयार नहीं रखा गया है, परंतु स्थानांतरण मुक्त बिलधारक-आयातक द्वारा इसका उपयोग कस्टम रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी योजना के संबंध में अलग रिकॉर्डों के अभाव में, चूक के मामलों की उचित निगरानी या उस पर कार्रवाई करना संभव नहीं था।

2.4 डीईपीबी शुल्क क्रेडिट लाभ का दुरूपयोग

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध VII) में वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान डीईपीबी योजना के दुरूपयोग के निम्नलिखित मामलों की सूचना दी थी। यह प्रवृति रोचक है क्योंकि योजना के बंद होने के आरंभिक तीन वर्षों में घोषणा की गई थी (2002), पाये गये मामलों की संख्या काफी अधिक थी। यह सीइसीए के आरंभ से भी मेल खाता है। तीन वर्षों की एक धीमी अवधि के बाद हुए दुरूपयोग डीइपीबी अवधि के अंतिम रूप से आस-पास बंद होने से बढ़ गये। दुरूपयोग की प्रवृति गलत मूल्यांकन, गलत वर्गीकरण, गलत-घोषणा, राऊडं ट्रिपिंग आदि के कारण थी। इन प्रवृतियों का अध्ययन भावी योजना सूत्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण

उद्देश्य पूरा कर सकता है। डीआरआई द्वारा अधिकतर जब्त की गई उपयोगी वस्तुओं में वस्त्र/फेबरिक/धागा, कच्चा ताड़ का तेल आदि थे।

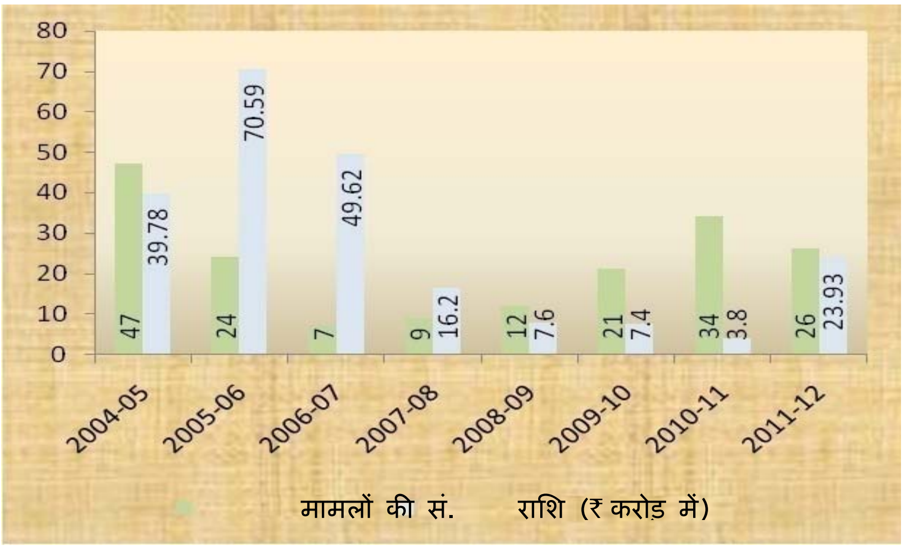

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2003-04 और 2011-12 की अवधि के दौरान दुरूपयोग के 60 मामले दो आरएज़ (कोच्ची, कोलकाता) और दो कस्टम पत्तनों (आईसीडी हैदराबाद, एसीसी बैग्लुरू) में पाये गये थे।

एसीसी, बैग्लुरू द्वारा आईसी-ईंजन पार्टस जैसे वाल्व सीट, बुशिंग, टर्बो चार्जर पाट्र्स, नोज़ल ब्लैंक रिंग्स आदि के लिए डीइपीबी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के दुरूपयोग और "एलॉय स्टील कास्टिंग्स" के रूप में माल की गलत-उदघोषणा के एक मामले का पता चला। उक्त की जानकारी आरए, बैग्लुरू को दे दी गई थी और निर्यातक को एससीएन जारी कर दिया गया था। मामले का अंतिम परिणाम मार्च 2014 तक प्रतीक्षित है।

डीआरआई और कोलकाता में सीमाशुल्क आयुक्तालय की निवारक इकाई ने एसबीज़ का छलपूर्ण रूपांतर या डीईपीबी लाभ प्राप्त करने हेतु निर्यातित माल भारतीय मूल के होने की स्वेच्छा से की गई गलत उदघोषणा के लिए 2003 से 2011 की अवधि के दौरान ₹ 54.86 लाख योजना राशि के दुरूपयोग के 14 मामले पाये। मामलों के अधिनिर्णयन पर, आरए, कोलकाता द्वारा ₹ 55.16 लाख का जुर्माना लगाया गया था। तथापि, एक मामले को छोड़कर अधिनिर्णयन आदेश की प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रेषित नहीं की गई थी।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीआरआई विशेष आसूचना के आधार पर मामलों पर कार्यवाही करती है और इसने अपनी जोनल इकाईयों से इकट्ठा करके डीईपीबी योजना के दुरूपयोग पर मामलों के ब्यौरे दे दिये हैं। डीआरआई द्वारा जांच और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद मामले विभिन्न अधिनिर्णयन प्राधिकारियों/सीमाशुल्क के आधिकारिक आयुक्त के पास पड़े हैं। इसके अलावा, जबकि मामलों की संख्या और वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई शुल्क राशि जांच पर आधारित है, यह कारण बताओ नोटिस में मांगी गई राशि से अलग हो सकती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तथापि, डीजीएफटी ने लेखापरीक्षा को इन मामलों में की गई कार्रवाई का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया था।

2.5 डीजीएफटी की इडीआई प्रणाली में कमियां

प्रक्रियाओं को सरल करने, लेन-देन लागत को कम करने के लिए और विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं हेतु व्यापार और उद्योग के इलैक्ट्रानिक वाणिज्य समाधान उपलब्ध कराने के लिए, सीमाशुल्क इडीआई पोर्ट्स से 1 अक्तूबर 2005 तक या बाद में जारी इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) एसबी (डीइपीबी योजना के लिए) से संबंधित डाटा का एक डिजिटल प्लेटफार्म पर सीमाशुल्क और डीजीएफटी के बीच आदान-प्रदान किया गया था। डीओसी के परिणाम बजट में डीईपीबी योजना पूर्णतः आनलाईन होने का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने आरएज़ में प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देंखी:-

- ईडीआई मोड्यूल विदेशी व्यापार करार (एफटीएज़) के अंतर्गत किये गये निर्यात को कैपचर नहीं कर सका।
- इडीआई मोड्यूल ने आरए/डीजीएफटी/सीमाशुल्क के बीच डीईपीबी स्क्रिपस के हस्तांतरण और बिक्री से संबंधित सूचना की ऑनलाईन शेयरिंग हेतु कोई पद्धति उपलब्ध नहीं कराई।

सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए उचित पद्धति के अभाव में, सीमा शुल्क/डीजीएफटी के पास एफटीएएज़ या शुल्क स्क्रिपस की बिक्री/हस्तांतरण/उपयोग के अंतर्गत किये गये निर्यात पर कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि मुक्त व्यापार करार में शामिल होने के लिए प्रमुख एजेंसी वाणिज्य मंत्रालय है। सीमाशुल्क की तरफ से, एफटीए के अंतर्गत निर्यात लाभ से संबंधित किसी एफटीए को प्राप्त नहीं करता। इसलिए, ऐसे निर्यातों के लिए कोई अंतर नहीं किया गया। मुक्त हस्तांतरण योग्य डीईपीबी स्क्रिपों की बिक्री/हस्तांतरण सीमा शुल्क द्वारा नहीं रखे गये, परन्तु स्थानांतरिती धारक-आयातक द्वारा इसका उपयोग सीमाशुल्क रिकॉर्ड में दर्शाया गया है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली एफटीएएज़ के अंतर्गत किये गये निर्यात को ग्रहण नहीं करता। ये भारत के एफटीए सहयोगी देश में आयातक है न कि भारतीय निर्यातक जो यह घोषणा करता है कि आयातक एफटीएज़ के अंतर्गत हैं।

राजस्व विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एफटीएज़ ने शुल्क छूट प्रदान की और परिणामस्वरूप शुल्क छोड़ा गया। डीजीएफटी का उत्तर इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि डीईपीबी, निर्यात से अर्जित होता है और किसी आयातो के लिए उपयोग हो सकता है, इसलिए कोई व्यापारी किसी लक्ष्य और अवमूल्यन आयात (उच्च आयात शुल्कों सहित) जो व्यापार वृद्धि के लिए मार्गावरोध हो सकते थे, के लिए निर्यात (निर्यात/पीएमवी पर आरएमएस/मूल्यांकान न होना पर तथा बीआरएस के साथ न जुड़ा होना) का अधिक मूल्य कर सकता था।

2.5.1 ईडीआई लदान बिल और पीएमवी के सत्यापन के बिना शुल्क क्रेडिट के जारी करने पर मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) के सत्यापन हेतु तंत्र का अभाव

एचबीपी 2004-09 और 2009-14 का पैराग्राफ 4.43 दर्शाता है कि जहां डीईपीबी योजना के अंतर्गत क्रेडिट पात्रता की दर डीईपीबी योजना के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु उत्पादों की पात्रता के संबंध में दस प्रतिशत या अधिक के

अंतर्गत आती है, वहां प्रत्येक ऐसे निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट राशि निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। निर्यात के समय निर्यातक एसबी पर यह घोषणा करेगा कि निर्यात उत्पाद के प्रति डीईपीबी योजना के अंतर्गत लाभ निर्यात उत्पाद के पीएमवी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तथापि, पीएमवी उदघोषणा उन उत्पादों पर लागू नहीं होगी जिन उत्पादों के लिए डीईपीबी दर का चयन किए बगैर वैल्यू कैप मौजूद है।

नीति परिपत्र सं. 28 (आरई-2005)/2004-09, दिनांक 6 अक्तूबर 2005 दर्शाते हैं कि आवेदकों को डीईपीबी एसबीज़ की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। आरए केवल डीईपीबी ईकॉम मोड्यूल पर प्रस्तुत किये गये डाटा के आधार पर डीईपीबी दावे को अंतिम रूप प्रदान करेगा। तथापि, आरए अपने विवेक के आधार पर, एफटीपी और एचबीपी के अनुसार डीईपीबी की स्वीकार्यता से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज के लिए मांग कर सकता है।

आरएलए, मुंबई के इडीआई डाटा की संवीक्षा ने दर्शाया कि जहां लाइसेंस धारक ने इलैक्ट्रानीकली अपना आवेदन फाईल किया है, वहां लाईसेंसधारक द्वारा एसबीज की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। एसबीज़ के ब्यौरे ऑनलाईन ई-शिपिंग बिल में उपलब्ध थे। तथापि, ई-शिपिंग बिलों की आनलाईन प्रक्रिया निर्यात उत्पाद के पीएमवी को नहीं दर्शाती, इसलिए उन्हें आरएलए, मुंबई के ईडीआई सिस्टम में नहीं दर्शाया गया था। इसलिए, आरएलए मुंबई जहां उत्पादों की डीईपीबी दर दस प्रतिशत या अधिक थी मदों के पीएमवी का सत्यापन नहीं कर सकी। इस सूचना के अभाव में, पीएमवी जहां शुल्क क्रेडिट दस प्रतिशत या उससे अधिक है और कोई अधिकतम मूल्य नहीं है, के प्रमाणीकरण हेतु आधारभूत शर्तों को लाईसेंस के जारी करने से पहले आरएलए, मुंबई द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएलए, मुंबई ने पीएमवी सत्यापन के बिना इलैक्ट्रानिक उत्पाद कोड 83(क्रम सं. 73) के अंतर्गत टीवी पिक्चर ट्यूबस हेतु टीवी ग्लास/बल्बस्/शैल/ ग्लास पूर्जों के निर्यात के लिए मै. विडीयोकॉन

इंडस्ट्रीज लिमि. को ₹ 23.95 करोड़ की राशि वाले 19 डीईपीबी स्क्रिपस जारी किये।

आरए, कोलकाता ने स्वीकार किया कि पीएमवी सत्यापन के लिए आरए कार्यालय में कोई प्रणाली नहीं है।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि फिल्डस हेतु डॉटा की आवश्यकता होगी डीजीएफटी द्वारा सीमा शुल्क से निर्धारित किया जाता है।

डीजीएफटी ने आरए, मुंबई के उत्तर को दोहराते हुए अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि पीएमवी के 50 प्रतिशत से अधिक डीईपीबी लाभ की स्थिति केवल दुर्लभतम मामलों में ही उत्पन्न होगी क्योंकि प्रावधान दर्शाता है कि जहां भी डीइपीबी दर 10 प्रतिशत या अधिक तक होती है, शुल्क क्रेडिट पीएमवी से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना भी उचित है कि तथापि डीजीएफटी ने सीमा शुल्क से अपने इडीआई सिस्टम में पीएमवी से संबंधित ब्यौरें प्राप्त नहीं किये, डीजीएफटी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये लदान बिलों की एक प्रति में दिये गये ब्यौरों पर आधारित अपनी प्रक्रिया में पीएमवी गणना को बांटा। लेखापरीक्षा इन परिस्थितियों के अंतर्गत अपनाई गई कार्य पद्धति का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं है।

2.5.2 डीईपीबी योजना के अंतर्गत विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेयूजीवाई) का गलत वर्गीकरण

एचबीपी खण्ड 1 का पैराग्राफ 2.56 दर्शाता है कि किसी योजना-लदान बिल; जिस पर इस योजना के लाभ प्राप्त नहीं किये गये हैं; की एक निर्यात प्रोत्साहन (ईपी) प्रति का परिवर्तन लिखित में कारण रिकार्डिंग के बाद, सीमाशुल्क प्राधिकारी अनुमति देते हैं, निर्यातक योजना; जिसकी शिपमैंट बाद में परिवर्तित कर दी गई है, के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र होंगे।

आरए जम्मु ने 2005-06 और 2006-07 के दौरान वीकेयूजीवाई योजना के लिए ₹ 2.92 करोड़ राशि वाले सात शुल्क क्रेडिट स्क्रिपस जारी किये और वही डीईपीबी योजना (कोड: 06) के अंतर्गत दर्ज किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वे इडीआई डाटा में डीईपीबी योजना से भौतिक रूप से हटाये

बिना वीकेयूजीवाई के अंतर्गत सही रूप से शामिल किये गये थे। चूँकि ये मामले इडीआई डाटा में डीईपीबी योजना के अंतर्गत दिखाये जाने जारी थे इसलिए इससे इडीआई डाटा की सम्पूर्णता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

डीजीएफटी ने यह स्वीकार करते हुए कि वीकेवाईयू के अंतर्गत शुल्क स्क्रिप जारी किये गये थे और डीईपीबी योजना में गलती से प्रविष्ट किये गये थे; कहा (फरवरी 2014) कि कोई व्यक्ति डीईपीबी और वीकेजीयूवाई दोनों के अंतर्गत लाभों का दावा कर सकता है, यदि प्रश्नगत उत्पाद इन योजनाओं के अंतर्गत हकदार है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति ने डीईपीबी योजना के अंतर्गत लाभों का दावा किया है, वह वीकेजीयूवाई योजना के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता। इसलिए, सरकार को कोई हानि नहीं हुई।

डीजीएफटी का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से संबंधित नहीं है। उठाया गया मुद्दा यह था कि वीकेजीयूवाई के तहत जारी स्क्रिपस को ईडीआई सिस्टम में डीईपीबी योजना के अन्तर्गत डाला गया था न कि स्क्रिप धारक की पात्रता से संबंधित था। इसके अतिरिक्त, एफटीपी के पैराग्राफ 3.13.3 के अनुसार, वीकेजीयूवाई तथा डीईपीबी के लाभ को समान दर पर मंजूरी नहीं दी जा सकती।

2.5.3 लाइसेंस ब्यौरों के बिना डेबिट किया गया शुल्क क्रेडिट

एयर कार्गो कांपलैक्स, बैग्लुरू द्वारा प्रस्तुत किये गये डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1,11,161 मदें 2005-06 से 2011-12 तक डीईपीबी योजना के अंतर्गत आयात किये गये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि 279 मदों के संबंध में ₹ 1.01 करोड़ राशि का शुल्क डेबिट किया गया था, फिर भी लाइसेंस के कोई ब्यौरे डाटा में नहीं पाये गये। लाइसेंस ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा में शुल्क डेबिट करने में सटीकता प्राप्त नहीं की जा सकी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि बैंगलूरू सीमाशुल्क ने सूचना दी है कि से 279 मदों में से (61 प्रविष्ट बिलों के अंतर्गत) क्र.सं. 60 से 63, क्र.सं. 120-277 जिनके लिए पंजीकरण संख्याएं

उपलब्ध हैं, के लिए डेबिट ब्यौरे देखे जा सकते हैं। शेष मदों के लिए, डाटा नये आईसीईएस 1.5 सिस्टम में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पूर्व अवधि अर्थात 2005, 2006 से संबंधित हैं। आयुक्त को एनआईसी/निर्यातकों से शेष ब्यौरों को प्राप्त करने के लिए निदेश दिये जा रहे हैं।

2.5.4 'शून्य' डीईपीबी दर के साथ माल के निर्यात पर शुल्क क्रेडिट प्रदान करना

संशोधित एफटीपी 2010-11 के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार, निर्यातक एफओबी मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में क्रेडिट हेतु अनुरोध कर सकता है। ऐसे क्रेडिट किए गए ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति डीजीएफटी द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक नोटिस (पीएन) के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगा। शुल्क क्रेडिट मुक्त आयात योग्य मदों और/या निषिद्ध मदों पर सीमाशुल्क की अदायगी हेतु उपयोग किया जा सकता है।

आरए चेन्नै ने निर्यात जिसके प्रति डीईपीबी दरें (दोनों एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में और मूल्य कैप की दर के रूप में) 'शून्य' थीं; पर ₹ 552.54 करोड़ की एफओबी राशि के प्रति ₹ 29.38 करोड़ राशि डीईपीबी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किये।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि सिस्टम त्रुटि के कारण लदान बिल '0' दिखाये जाते हैं हालांकि विनिर्दिष्ट डीईपीबी दर मौजूद थी।

डीजीएफटी ने उत्तर की पुष्टि की कि ईडीआई सिस्टम में गड़बड़ थी और उनपर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता था।

2.5.5 आनलाईन सिस्टम डाटाबेस में कमियां

वर्ष 2008-09 के लिए डीईपीबी दरें पीएन दिनांक 5 नवंबर 2008 द्वारा संशोधित की गई थीं। तथापि, बाद में विभाग ने पाया कि कॉटन यार्न मद (डीईपीबी क्र.सं. 78/89) के लिए अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में एक विसगंति थी। जिसे 7.67 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था परंतु अंग्रेजी संस्करण में 3.67 प्रतिशत और सिस्टम के डीईपीबी शेड्यूल के हिंदी संस्करण

में 7.67 प्रतिशत प्रकाशित किया गया। पीएन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर 2008 को अधिसूचित दरों पर वेबसाईट में किये गये किन्हीं परिवर्तनों के विवरण के बारे में मई 2009 में डीजीएफटी द्वारा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक तथा एनआईसी अधिकारी से सवाल पर, एनआईसी द्वारा यह सूचित किया गया कि सिस्टम ने 'चेंज हिस्ट्री' की पुनः प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया तथा उसे जल्द ही संस्थापित किया जाएगा। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि पिछले दो वर्षों के लिए परिवर्तनों/संशोधनों का पता लगाने हेतु एक सिस्टम की स्थापना की गई है।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष दिया कि सिस्टम को लेखापरीक्षा अवधि (2007-13) के दौरान कोई निशानी छोड़े बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवर्तित किए जाने का जोखिम था तथा इसे आगामी लेखापरीक्षाओं के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.5.6 डीजीएफटी की सीमाशुल्क पत्तनों से एसबीज़ के ट्रांसमिशन में विलम्ब

सीमाशुल्क प्राधिकारी को डीजीएफटी प्रणाली और अपलोडिड सूचना के आधार पर इडीआई एसबी डाटा अपलोड करना था निर्यातक को संबंधित आरए से आनलाईन आवेदन फाईल करना था। एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.46 के अनुसार, क्रेडिट प्राप्ति के लिए आवेदन निर्यात की तिथि से बारह महीनों की अवधि के अंदर या डीजीएफटी वेबसाईट पर ईडीआई एसबी ब्यौरों की अपलिकिंग तिथि, या एसबी के प्रकाशन/निर्गमन की तिथि से तीन महीनों के अंदर; जो भी बाद में हो, फाईल किये गये दावों के लिए लदान के संबंध में फाईल किये जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी साईट पर एसबीज़ की अपलोडिंग में जांचे गये सात आरएज़ भोपाल, मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ में 30 से 1553 दिनों तक के बीच विलम्ब था।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि लदान बिल लदान लाईनों द्वारा उचित ईजीएम को भरने के बाद सीमाशुल्क से डीजीएफटी सिस्टम तक आनलाईन भेजे गये हैं बशर्ते कि बिल निर्धारण अन्तिम है और अस्थायी नहीं है। ट्रांसमिशन केवल निर्यात के समय पर लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर

(एलईओ) स्तर के गुजर जाने के बाद नहीं किया गया है। तकनीकी सुधारों या इजीएम त्रुटियों के बाद पुनः ट्रांसमिशन अपेक्षा वाले कुछ मामले हो सकते हैं।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आपत्तियां मुख्यतः सीमाशुल्क से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि निर्यातक को डीजीएफटी वेबसाईट में ईडीआई लदान बिलों की विलम्बित अपलिकिंग के संबंध में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता और सीमाशुल्क द्वारा उसकी पात्रता को कम नहीं किया जा सकता। एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.46 की तरफ भी ध्यान दिलाया गया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डीईपीबी दावा फाईल करने के लिए समय अवधि निर्यात तिथि से 12 महीनों की अवधि या निर्यात कार्यवाही की वसूली की तिथि से 6 महीनों या डीजीएफटी वेबसाईट में इडीआई लदान बिल की अपलिकिंग की तिथि या लदान बिल के प्रकाशन/रिलीज की तिथि से 3 महीनों की अवधि; जो भी बाद में है, के अंदर किये जाएंगे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सीमाशुल्क पत्तनों से डीजीएफटी वेबसाईट में इडीआई लदान बिल ब्यौरों के अपलिंकिंग में काफी विलम्ब हुआ था। डीजीएफटी और राजस्व विभाग को डाटा के अपलिंकिंग में विलम्ब के लिए कारणों को दूर करने की आवश्यकता है।

सिफारिश: *डीजीएफटी सीमाशुल्क विभांग के साथ आदान-प्रदान किये गये डाटा के साथ अपनी इडीआई प्रणाली की समीक्षा कर सकता है और नीति प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इडीआई मोड्यूल में अपने डाटा आवश्यकताओं के अनुसार सुधार कर सकता है।*

2.6 डीजीएफटी, आरएज़, सीमाशुल्क विभाग और बैंकों के बीच सहयोग का अभाव

डीईपीबी योजना के कार्यान्वयन में चार प्राधिकरणों डीजीएफटी, डीजीएफटी के आरएज़, सीमाशुल्क विभाग और बैंकों के बीच सहयोगपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता थी।

श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रत्यक्ष कर (अक्तूबर 2002) पर गठित एक टास्क फोर्स ने टिप्पणी की कि *"डीजीएफटी और सीमाशुल्क दोनों सरकार की दो भुजा हैं और यह आवश्यक है कि वे दोनों*

सरकार की नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए इकट्ठे और सामंजस्य के साथ कार्य करें। उसी समय यह भी कहा गया कि सीमाशुल्क (या डीजीएफटी) के अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर अपने व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाध्य होते हैं और किसी डीजीएफटी ओदश के आधार पर कार्य करने में सकुचाते हैं जब तक कि अपने किसी कानून के अंतर्गत उन्हें ऐसा करने हेतु विशेषतः अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार, इसका उपचार इन दोनों विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने में ही है"।

केलकर समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की गई कार्रवाई रिपोर्ट विभाग से प्रतिक्षित (मार्च 2014) है।

डीईपीबी योजना के अंतर्गत डीजीएफटी ने मदों की दर निर्धारित की है और आरएज़ ने डीजीएफटी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार डीईपीबी दरों पर निर्यात माल की वसूली गई एफओबी मूल्य के आधार पर निर्यातकों की डीईपीबी स्क्रिपस जारी किये, सीमा शुल्क विभाग ने प्रमाणित किया कि माल को आरए द्वारा जारी स्क्रिप के प्रतिशुल्क मुक्त निर्यात के रूप में निर्यात और अनुमत किया गया और बैंक ने निर्यात माल के विदेश विनिमय की वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी किया। आनलाईन प्रणाली प्रारंभ होने के बाद, लाइसेंस इडीआई लदान बिल (एसबी) के आधार पर जारी किये जा रहे थे, जो आरएज़ और सीमाशुल्क द्वारा सत्यापित किया जा सकते थे।

लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्यन में शामिल इन सभी चार प्राधिकरणों के बीच सहयोग की कमी के कई मामले देखे। ऐसे कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

- डीजीएफटी ने 24 मार्च 2009 को हुई बैठक में नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) में निर्णय लिया कि 'फिश मील' और 'फिश ऑयल' उत्पाद मूल्य संवर्धित उत्पाद होने के कारण डीईपीबी लाभ के लिए पात्र नहीं थे। बाद में, सीमा शुल्क आयुक्तालय, मैंगलोर ने सितम्बर 2009 में मैंगलोर पत्तन द्वारा उक्त उत्पादों के निर्यात के आधार पर जारी डीईपीबी स्क्रिपस के रद्द करने के लिए आरए, बैंगलुरू को कहा। तथापि, आरए बैंगलुरू ने तर्क किया कि डीईपीबी के अंतर्गत इन उत्पादों का निर्यात

सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृत नहीं होना चाहिए और उपयोग की गई/उपयोग न की गई डीईपीबी स्क्रिप की वसूली/को रद्द करने के लिए आरए बैग्लुरू द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस संबंध में डीजीएफटी, नई दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद ही जनवरी 2010 में आरए, बैंगलुरू द्वारा कार्रवाई की गई थी।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि आरए बैंगलोर वसूली हेतु संबंधित निर्यातकों के साथ लगातार संपर्क में है।

- सीमाशुल्क (निवारक) मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली ने पत्र सं.VIII (एसबी) 9/73/आईएनवी/ 2010/9287 दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा आरए, नई दिल्ली को डीईपीबी योजना के अंतर्गत निर्यातित फ्रोजन/चिल्ड बफैलो/शीप मीट के निर्यात के संबंध में मै.एम.के. एक्सपोर्टस और मै.एम.के. ओवरसीज़ प्रा. लिमि. द्वारा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के उल्लंघन के बारे में सूचित किया और अधिनिर्णयन को अंतिम किये जाने तक डीईपीबी स्क्रिपस को जारी न करने का अनुरोध किया। तथापि उक्त निर्यातक को स्क्रिप जारी न करने के लिए 11 अक्तूबर 2010 को अर्थात् आरए, नई दिल्ली द्वारा एक महीने से अधिक विलम्ब के बाद परिपत्र जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 3 सितम्बर 2010 से 11 अक्तूबर 2010 की अवधि के दौरान, ₹ 1.86 करोड़ राशि वाले दस डीईपीबी स्क्रिपस आरए, नई दिल्ली द्वारा इन दो निर्यातकों को जारी किये गये थे।

  डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि मै. एमके एक्सपोर्टस के संबंध में मामला निपटा लिया गया था और चेतावनी नोटिस वापस ले लिया गया था और भविष्य में ऐसे नोटिसों के प्रेषण में समय अवधि घटाने के लिए ध्यान रखा जाएगा।

- यह पाया गया कि हालांकि इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) ने पीएन दिनांक 11 जुलाई 2011 के अनुसार 21 मार्च 2011 को पारादीप पत्तन, ओड़िसा में कार्य करना आरंभ कर दिया था, यह योजना समापन अर्थात 30 सितम्बर 2011 तक उचित रूप से कार्य नहीं कर

रही थी। मैन्यूल सिस्टम और ईडीआई सिस्टम दोनों साथ-साथ प्रयोग में थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि सीमाशुल्क पतन जो इडीआई इनेवल्ड हैं। आईसगेट पर सीमाशुल्क केंद्रीयकृत सर्वर को डाटा भेजते हैं। आईसगेट डाटा का मिलान करता है और इसे डीजीएफटी सर्वर को भेजता है। जब सीमाशुल्क की इडीआई प्रणाली के परिचालन में कोई समस्या होती है, सीमाशुल्क मैन्यूल लदान बिल जारी करता है।

- आरए चेन्नै, कोयम्बटूर, मदुरै, कोची, पुदुच्चेरी, दिल्ली कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और तिरूवनंतपुरम में सीमाशुल्क और बैंक प्राधिकारियों के पास पत्र व्यवहार/सूचना आदान-प्रदान के लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं थी। बैंक वसूली प्रमाण पत्र (बीआरसीज़) की दोबारा जांच से संबंधित बैंक के साथ आरए और सीमा शुल्क विभाग के बीच कोई अंतर्विभागीय बैठक नहीं हुई। केवल संदिग्ध/विशेष सूचना के मामलों में यह था कि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये बीआरसीज़ जारीकर्ता बैंक द्वारा सत्यापित किये गये थे। आरए, कोलकाता ने 2005-06 और 2011-12 के बीच की अवधि के दौरान केवल सात मामलों में बीआरसीज़ सत्यापित किये थे।

  आरए, कोलकाता ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि मामले को डीजीएफटी, मुख्यालय के साथ उठाया जाएगा। आरए, जयपुर ने कहा (जून 2013) कि एफटीपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और यह फर्म द्वारा प्रदान किए गए बीआरसीज़ पर निर्भर थी और दस्तावेजों की यथार्थता की घोषणा करते हुए निर्यातक से एक शपथ-पत्र भी प्राप्त किया। एयर कार्गो कांपलैक्स, बैंगलोर ने स्वीकार किया कि डीईपीबी स्क्रिप के दुरूपयोग से संबंधित डीजीएफटी और सीमाशुल्क के बीच सूचना के आदान-प्रदान हेतु विशेष कोई तंत्र नहीं था। आरए, दिल्ली ने कहा कि यह निर्यात सुविधा और प्रोत्साहन के लिए एक संगठन है जो विश्वास के आधार पर कार्य करता है। तथापि, अहतियाती उपायों के

रूप में, बीआरसीज़ सहित पहली बार डीईपीबी स्क्रिपस के लिए आवेदन कर रही फर्म के दस्तावेज किसी लाभ को बढ़ाने से पूर्व सत्यापित किये गये थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि नये प्रवेशकर्ताओं के लिए बैंको के पास बीआरसीज़ के सत्यापन के बाद डीईपीबी जारी किया गया था। जारी किये गये डीईपीबी स्क्रिपों के अग्रेषण पत्रों की प्रतियां संबंधित बैंक; जिसने बीआरसी जारी किया गया था पक्ष पर दोबारा जांच के लिए भेजी गई थी। ई-बीआरसीज़ के प्रारंभ के बाद, विदेश विनिमय वसूली के ब्यौरे प्रत्यक्ष रूप से (इलैक्ट्रानीकली) डीजीएफटी से आते हैं और लदान बिल ब्यौरें डीजीएफटी को सीमा शुल्क से इलैक्ट्रानीकली ट्रांसमिट किये जाते हैं। संयोग से, वर्तमान में सभी लाभ केवल वसूली के बाद प्रदान किये जा रहे हैं।

- सीमाशुल्क प्राधिकारी को सभी आरएज़ द्वारा जारी डीईपीबी लाइसेंसों का पंजीकरण करना था। तथापि मौजूदा पद्धति ने पंजीकृत डीईपीबी स्क्रिपों को आरए-क्रमानुसार उपलब्ध नहीं करवाया। तीन ईडीआई सीमा शुल्क बन्दरगाहों (आईसीडी, खोड़ियार, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, अहमदाबाद तथा कांडला कस्टम हाउस) तथा दो बिना ईडीआई के बन्दरगाहों (पीपावव कस्टम हाउस तथा केऐएसईजेड बन्दगाह, गांधीधाम) पर, उनके साथ पंजीकृत आरए-क्रमानुसार डीईपीबी स्क्रिपस पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

- यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरएज अहमदाबाद तथा कोलकाता पर प्रत्येक छह माह के बाद निर्यातक/एसबी-क्रमानुसार बकाया विदेशी विनिमय दिखाने वाला निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस) प्रस्तुत किया तथापि, यह विवरण योजना जिससे एसबी संबंधित था, के विषय में मौन था जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण गतिविधि का प्रतिपादन व्यर्थ है। आरए, हैदराबाद तथा सीमा शुल्क बन्दगाह, हैदराबाद पर आरबीआई से एक्सओएस विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे।

यद्यपि, डीजीएफटी तथा सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय में सुधार हेतु सिफारिशें 2002 से बहुत पहले की गई थी, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के कार्यान्वयन के साथ संबंधित एजेंसियों के बीच सूचना/आंकड़ों का अच्छा विनिमय नहीं था।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि अप्रत्यक्ष कराधान (डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में) पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग द्वारा हैंडल किया गया था तथा प्रतिक्रिया मांगी गई है जो प्रतीक्षित है।

उन्होंने आगे कहा कि:

क) पारादीप पोत पर मैन्युअल तथा ईडीआई सीमा शुल्क प्रणाली दोनों को कार्यरत करने के मामले में भुवनेश्वर आयुक्तालय ने सूचित किया है कि यद्यपि ईडीआई संचालन मार्च 2011 से प्रारम्भ हुआ तथापि, फिरती माड्यूल तथा डीजीएफटी के साथ लिंक ने अक्तूबर 2011 से कार्य आरम्भ किया तथा इसमे आरम्भिक समस्याएं भी थी। मैन्युअल फाइलिंग सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से था।

तथापि, यह उत्तर ऐसी अनुमति में अन्तर्निहित स्पष्टता के मुद्दे को नहीं दर्शाता है।

ख) सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के आरए के क्रमानुसार डीईपीबी स्क्रिप पंजीकरण पर सूचना न देने के मामले पर, यह कहा गया कि सीमा शुल्क ईडीआई में लाइसेंस का पंजीकरण करते समय आरए-क्रमानुसार कोई विभेदन नहीं होता क्योंकि डीजीएफटी से ऐसी कोई आवश्यकता प्राप्त नहीं की गई। डीईपीबी लाइसेंस आरए द्वारा पंजीकृत पोत दर्शाते हुए जारी किए गए थे तथा डीजीएफटी द्वारा यह विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

सिफारिश: *डीजीएफटी को समस्या का समाधान करने का तरीका निकालकर तथा सभी पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना के लिए सीमा शुल्क/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी चेतावनी पर उचित कार्यवाही करके सीमा शुल्क तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय को सुधारने की आवश्यकता है।*

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि पारितोषिक योजनाओं तथा निर्यात दायित्वों से संबंधित दिनांक 18.01.2011 के बोर्ड के निर्देश संख्या 609/119/2010-डीबीके ने 18 जनवरी 2011 को सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिए कि ''जहां पर सीमा शुल्क अधिकारी तथा स्थानीय आरएलए के अधिकारी की ज्ञान विनिमय, दुरूपयोग की जांच तथा ऐसे मामलें जहां निर्यात दायित्व अवधि उस तिमाही/पिछली तिमाही में समाप्त हो गई है, में ईओ पूर्ति स्थिति के लिए प्रत्येक तिमाही अथवा परस्पर सहमत अवधि में कम से कम एक बार बैठक होती है ताकि चूककर्त्ताओं के प्रति संबंधित कार्रवाई की जा सके''। प्रमुख क्षेत्रीय संरचनाओं ने सूचित किया है कि सीमा शुल्क तथा आरए के बीच नियमित वार्तालाप होती है। बोर्ड समन्वय में आगे सुधार के लिए इन निर्देशों को दोहराना चाहेगा।

डीजीएफटी ने बताया कि आगामी योजनाओं में अनुपालन के लिए सिफारिशों को नोट किया गया है। इसके अलावा, डीजीएफटी ने कहा कि डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण तथा स्थानीय सीमा शुल्क संरचना के बीच तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है।

2.7 आरएज द्वारा बैंक वसूली प्रमाण पत्र (बीआरसीज)/कानूनी शपथ पत्रों एलयूटीज) की निगरानी न होना

आरए जहां आरबीआई द्वारा स्वीकृत के रूप में स्क्रिप धारक बीआरसी प्रस्तुत करने अथवा विस्तार करने में विफल होते है, शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकता है। ऐसे मामलें में जहां बीआरसी प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां स्वीकृत शुल्क क्रेडिट के रूप में उसी राशि के लिए एलयूटी को एचबीपी, खण्ड । के पैराग्राफ 4.45 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। तथा एलयूटी रजिस्टर के माध्यम से देखा जाना है। दिनांक 30 मार्च 2009 की पीएन के अनुसार, लाइसेंस प्राधिकारी को अप्रैल 2009 के बाद से जारी लाइसेंस के संदर्भ में बीआरसी की प्रस्तुति की निगरानी करनी थी।

(क) निर्धारित समय-सीमा के अन्दर बीआरसीज प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 15 आरएज़ पर ₹ 709.59 करोड़ मूल्य के शुल्क क्रेडिट वाले 1652 डीईपीबी स्क्रिपस की निर्यात आय के लिए बीआरसीज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। पहले जारी स्क्रिप के अनुपालन के बिना निर्यातक को नए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए गए।

- आरए, कोलकाता ने 55 मामलों मे एससीएन जारी किए जिनमें से 15 मामलों में, स्क्रिप धारकों द्वारा लेखापरीक्षा में बताए जाने के पश्चात् बीआरसी प्रस्तुत किए गए है।

  डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि 26 मामलो में पार्टी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा शेष मामलों में, मामलों को अंतिम रूप देने के लिए एससीएन जारी किए गए।

- आरए, अहमदाबाद ने ब्याज के साथ अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए 20 डीईपीबी स्क्रिपस के प्रति मांग पत्र जारी किए थे। तथापि, निर्यातकों ने मांग पत्र जारी होने की तिथि 52 से 787 दिन बीत जाने के पश्चात् (जून 2013) भी न तो शुल्क का भुगतान किया था न ही बिना उपयोग किए डीईपीबी स्क्रिपस सौपें।

- आरए, भोपाल ने 61 मामलों में ₹ 44.33 लाख की बैंक गारन्टी जब्त की तथा ₹ 8.29 करोड़ राशि अभी तक लंबित है।

- एसीसी, बैंगलुरू तथा एनसीएच, मैंगलोर द्वारा प्रस्तुत डीईपीबी एसबी आंकडों के विश्लेषण की आरबीआई द्वारा प्रस्तुत एक्सओएस से तुलना की गई तथा यह पाया गया कि एसीसी, बैंगलुरू तथा एनसीएच, मैंगलोर के संबंध में वसूली के लिए ₹ 42.09 करोड़ की राशि के 225 डीईपीबी एसबीज लंबित थे।.

- आरए, जयपुर ने फरवरी 2009 से अक्तूबर 2010 के दौरान ₹ 1.17 करोड़ के 16 डीईपीबी स्क्रिपस जारी किए, तथापि स्क्रिप धारकों ने स्क्रिप जारी होने के 12 माह के अन्दर बीआरसीज प्रस्तुत नहीं किए।

- आरए भोपाल तथा आरए अहमदाबाद को छोड़कर, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था कि निर्यात प्राप्ति की बाद में वसूली की जाती है। वसूली के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समय विस्तारण की मंजूरी से संबंधित इन मामलों के संदर्भ में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। उन मामलों को देखने के लिए कोई तंत्र नहीं था जहां निर्यात आय की वसूली तथा परिणामस्वरूप क्रेडिट की वसूली होने में विफलता थी।

यह बताए जाने पर, आरए जयपुर ने उत्तर दिया (जून 2013) कि निर्यातक द्वारा निर्यात आय की आंशिक वसूली के प्रमाण प्रस्तुत किए गए तथा शेष वसूली के लिए फर्म शीघ्र ही प्रमाण प्रस्तुत करेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अशंतः प्राप्त बीआरसीज की प्रतियां लेखापरीक्षा को नहीं दी गई। आरए दिल्ली ने उत्तर दिया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी तथा नीति प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) कानूनी शपथ (एलयूटी) रजिस्टर में पाई गई विसंगतियां

आरएज पर एलयूटी रजिस्टर के अनुरक्षण मे निम्नलिखित विसगतियां पाई गईः

- आरए, अहमदाबाद एलयूटी रजिस्टर का अनुरक्षण कर रहा था जो अपूर्ण तथा एलयूटीज के प्रति जारी स्क्रिपस के संदर्भ में पूर्ण जानकारी के बिना था। अर्थात् फाइल संख्या, स्क्रिप संख्या, एलयूटी संख्या, तिथि तथा एलयूटी की राशि आदि। इसके अलावा, सारांश के रूप में वसूली के कारण लंबित मामलों का वर्ष-वार विवरण भी रजिस्टर में तैयार नहीं किया गया था। मामलें जो समाप्त दिखाए गए थे, पर एक सक्षम अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नही थे।
- आरए, जयपुर पर तैयार एलयूटी रजिस्टर अपूर्ण थे तथा एलयूटी मामलों की निगरानी के लिए आवश्यक सूचना सम्मिलित नहीं थी। बकाया एलयूटी मामलों का सारांश भी नहीं बनाया गया था। एलयूटीज के प्रति बीआरसीज के बिना जारी 61 डीईपीबी स्क्रिपस (वर्ष 2009-10

की 13, 2010-11 की 16 तथा 2011-12 की 12) की विस्तृत सूचना सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- आरएज मुम्बई तथा पुणे द्वारा रखे गए एलयूटी रजिस्टर से पता चला कि रजिस्टर के साथ-साथ ईडीआई में अनुरक्षित आंकडे अद्यतन नहीं थे। अपेक्षित बीआरसीज की प्रस्तुति के पश्चात् फाइल बन्द करने का तरीका समान तथा व्यवस्थित भी नहीं था।

एलयूटी रजिस्टर में पूर्ण विस्तार के अभाव में, एलयूटी मामलों की निगरानी तथा उनकी वसूली के महत्वपूर्ण उद्देश्य विफल हुए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि एलयूटी के प्रति डीईपीबी के लिए मुख्य रजिस्टर अद्यतन किया गया हैं तथा जहां भी बीआरसी प्राप्त नहीं हुआ है, वहां पर एफटी (डी एंड आर) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत फर्मो के प्रति कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

प्रारम्भ की गई वास्तविक कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

2.8 डीईपीबी स्क्रिपस के दुरूपयोग तथा शिकायतों के निवारण के संदर्भ में रिकॉर्ड/सूचना न देना

लेखापरीक्षा ने आरए, अहमदाबाद को प्रांसगिक एससीएन/अधिनिर्णय फाइलों के साथ मई 2013 में डीईपीबी स्क्रिपस के दुरूपयोग तथा शिकायतों के समाधान के लिए प्रणाली के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

सूचना प्रस्तुत करते समय, आरए अहमदाबाद ने कहा कि उनके पास वर्ष-वार संकलन उपलब्ध नहीं था। डीईपीबी स्क्रिप से संबंधित एससीएन/अधिनिर्णय फाइलो के विषय में, आरए, अहमदाबाद ने उत्तर दिया चूंकि जब से ईसीए प्रमुख रजिस्टर में एससीएन/अधिनिर्णय मामलों की लाइसेंस के क्रम में सूचना नहीं थी अत: सूचना उपलब्ध नहीं थी।

आरए, अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा को एससीएन/निश्चित मांग फाइल नहीं दी तथा उनसे इसकी आवश्यकता के लिए विशेष कारण बताकर ऐसी फाइलो को जांचने के लिए निर्णय देने वाले प्राधिकारी से अनुमति की मांग की। आरए ने

आगे कहा चूंकि लेखापरीक्षा दल को लिखित में एक शपथ पत्र देकर ऐसी फाइलों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी कि जब से इसमें दस्तावेजों के नुकसान अथवा फाइलें जो मामले के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, के गलत जगह रखने का जोखिम शामिल है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि ईसीए मुख्य रजिस्टर में वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2012 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए जारी डीईपीबीज से संबधित कोई सूचना नहीं है। तथापि, आरए अहमदाबाद ने बताया कि उन्होने अपने ईसीए डिवीजन को उपरोक्त कथित अवधि के लिए लेखापरीक्षा दल को ईसीए मुख्य रजिस्टर दिखाने/देने का निर्देश दिया है। यदि वे अपनी सुविधानुसार पुनः आरए के पास जाते है।

उपरोक्त लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में आरए अहमदाबाद की अनिच्छा दर्शाता है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए डीजीएफटी द्वारा अनिवार्य कार्रवाई की जा सकती है। लेखापरीक्षा को की गई कार्रवाई कृपया सूचित की जाए।

2.9 आरएज में रिकॉर्ड का अनुरक्षण न किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएज हैदराबाद तथा विशाखापट्नम द्वारा डीआरआई मामलों; खोज तथा बरामदगी रिकॉर्ड; अपील मामलों, सीबीआई मामलों, एससीएन मामलों, विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) मामलों, राजस्व के बकाया एरियर का विवरण, पश्च निकासी लेखापरीक्षा (पीसीए) तथा ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) मामलों की सूची नहीं बनाई जा रही है।

डीजीएफटी आरएज को सभी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए रिकॉर्ड का अनुरक्षण करने का निर्देश दे सकता हैं ताकि वे मामलों पर नजर रख सकें तथा परिचालन दोष से बचा सके। लेखापरीक्षा को समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराना विधायी नियंत्रण तंत्र का अनिवार्य भाग है। इससे नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सम्पूर्ण लेन-देन का एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में लेखापरीक्षा की मदद भी होती है। डीजीएफटी भविष्य की सभी लेखापरीक्षा के लिए इसे सुनिश्चित कर सकता है।

अध्याय III: नीति कार्यान्वयन मुद्दे

3.1 एचबीपी खण्ड I के पैराग्राफ 1.1 के अनुसार, डीजीएफटी डीईपीबी दरों की अनुसूची को अधिसूचित करता है। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार, डीजीएफटी विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, उसके अन्तर्गत निर्मित नियम तथा निर्देश तथा एफटीपी के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य हेतु एक निर्यातक अथवा आयातक अथवा किसी लाइसेंस द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को एक सार्वजनिक सूचना (पीएन) के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए तथा इसके तरीके में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि 2005-06 से 2011-12 की समयावधि के दौरान भारत के प्रति डब्ल्यूटीओ/द्विपक्षी द्वारा कोई विवाद (अनुदान मामले) नहीं था।

तथापि, डब्ल्यूटीओं द्वारा समीक्षित भारत की व्यापार नीति में चर्चित डीईपीबी की संगणना को प्रति लाभ लेने के रूप में लिया गया है तथा यूएस, कनाडा तथा ईयू द्वारा इसके विपरीत कार्रवाई की गई है। उच्चतम न्यायालय (एससी)/केन्द्रीय उत्पाद सेवा कर प्रशासनिक अधिकरण (सीईएसटीएटी) के कानूनी मामलों ने नीति की गलत व्याख्या तथा परिचालन दोष के विभिन्न मुद्दों छुआ है।

3.1.1 शुल्क के वास्तविक भार पर विचार किए बिना निर्धारित डीईपीबी दरों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट

वित्तीय औचित्य के मानकों से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21 अनुबंधित करता है कि *"सार्वजनिक धन से व्यय अथवा अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए"*।

2006-07 के लिए डीईपीबी दरों की घोषणा दिनांक 3 जुलाई 2006 के पीएन 29 में की गई। वर्ष 2007 के दौरान, सीमा शुल्क की उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम हो गई थी। तथापि, वर्ष 2007-08 के लिए

घोषित डीईपीबी दरें 2006-07 के दौरान मौजूद दरों से एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत तक बढ़ी थी। डीईपीबी दरों मे वृद्धि के लिए मुख्य तर्क यह था कि रूपये का विनिमय मूल्य एक सीमा तक अधिमूल्यित हुआ था इस कारण सीमा शुल्क में कमी के बावजूद निर्यातक कठिनाई का सामना कर रहे थे। रूपया अमरीकी डॉलर के संदर्भ में मध्य-मार्च 2007 में ₹ 44 से थोड़ा अधिक मध्य-मई 2007 में ₹ 40 तक अधिमूल्यित हुआ था तथा इसके अलावा सितम्बर 2007 से अप्रैल 2008 के अंत तक ₹ 40 से कम अधिमूल्यित हुआ था। तथापि, उसके बाद मार्च 2009 में ₹ 51 तक जाकर मुद्रा डॉलर की तुलना में कम हुई थी तथा योजना की समाप्ति तक ₹ 44-52 की रेंज में था।

तथापि, डीईपीबी दरों में वृद्धि को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था विभाग ने दर में वृद्धि को सामान्यीकृत किया जो 30 सितम्बर 2011 योजना की समाप्ति तक जारी रही।

वर्ष 2008-09 के लिए नई डीईपीबी दरों के निर्धारण के समय, डीजीएफटी द्वारा दी गई वृद्धि को कम करने के मामलें को फिरती निदेशालय तथा राजस्व विभाग दोनों द्वारा उठाया गया। वित्त मंत्री ने वाणिज्य मंत्री को लिखे अपने पत्र (अक्तूबर 2008) में कहा कि रूपये के मूल्य में काफी कमी के कारण, अनभिप्रेत राजस्व व्यय को समाविष्ट करने के लिए नीचे की डीईपीबी दरों को समायोजित करने की तत्काल आवश्यकता है तथा सीमा शुल्क में छूट को भी कम प्रचलित उत्पादों की डीईपीबी दरों में परिलक्षित होने की आवश्यकता है। तथापि, इसे योजना की समाप्ति (सितम्बर 2011) तक वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित दरों हेतु आगे ले जाने वाली जारी वृद्धि के कारण अतिरिक्त लाभ के परिणाम स्वरूप नई डीईपीबी दरों के निर्धारण के समय डीओसी/डीजीएफटी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

इस प्रकार, 2009-10 से 2011-12 के दौरान कीमत के कम न होने से वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को ₹ 11,361.32 करोड़ (परिशिष्ट VI देखें) का अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका: 5

2007-08 के दौरान डीईपीबी दर (औसत) (ए)	6.00
2007-08 की वृद्धि दर (औसत) (बी)	2.39
ए का बी %	39.85

तालिका 6

डीईपीबी क्रेडिट की औसत दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीईपीबी शुल्क क्रेडिट	निर्यात का एफओबी मूल्य	औसत दर
2005-06	5,010	1,10,267	4.54
2006-07	4,618	1,20,495	3.83
2007-08	5,496	1,25,183	4.39
2008-09	7,729	1,67,410	4.62
2009-10	8,267	1,68,044	4.89
2010-11	9,204	1,97,664	4.66
2011-12	11,165	2,50,532	4.46

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि अक्तूबर 2007 में कुछ उत्पादों के लिए तदर्थ दरें संशोधित किया गया। तत्पश्चात् 5.11.2008 को डीईपीबी दरों (दरों में तदर्थ वृद्धि के बिना) को पुन: संशोधित की गई। वर्ष 2009 में एक व्यापक संशोधन किया गया तथा सीमा शुल्क पर आधारित मसौदा डीईपीबी दरों को अंतिम रूप दिया गया। तथापि, 2011 में डीईपीबी योजना को वापिस लेने के सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर इसे जारी नहीं किया जा सका।

डीजीएफटी ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि अंतर मंत्रालयीन समिति तथा सचिवों की समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर आधारित राहत प्रदान की गई। इसके पश्चात्, डीओआर द्वारा परामर्शित स्तर पर निहितार्थ राजस्व नीचे लाने के लिए, अनेक उत्पादों के लिए अक्तूबर 2007 से प्रभावी डीईपीबी दरों को नीचे की ओर संशोधित किया गया तथा वार्षिक डीईपीबी का प्रयोग करते हुए, नवम्बर 2008 से प्रभावी 1262 मदों की डीईपीबी दरों को कम तथा 26 मदों की दरों को बढ़ाया गया। डीजीएफटी ने आगे बताया कि विश्व स्तर पर मंदी की स्थिति के कारण, नवम्बर 2008 से पूर्व लागू डीईपीबी दरों को जनवरी 2009 से पुन: प्रचलित किया जाना था।

सितम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 में डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर भ्रांतिजनक है। सितम्बर में, डीजीएफटी ने बताया कि 2011 में डीईपीबी

योजना वापिस लेने के सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर संशोधित दरों को जारी नहीं किए जा सके तथा फरवरी 2014 में, डीजीएफटी ने कहा कि वैश्विक मंदी के कारण उन्हें असंशोधित दरों को कायम रखना पड़ा। तथापि, तथ्य यह है कि 2009 में अंतिम रूप दी गई संशोधित डीईपीबी दरों जारी न होने के कारण अप्रैल 2009 से सितम्बर 2011 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 11361.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चूँकि डीईपीबी योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पाद की सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क के मामलों को निष्प्रभावित करना था तथा डीईपीबी दर की संगणना के लिए फार्मूला मुद्रा दर से अलग है तथापि, वर्ष 2007 के लिए डीईपीबी दरों को सीमा शुल्क की दर में कमी के कारण कम किया जाना चाहिए। तथापि, विभाग ने डीईपीबी दरों को सीमा शुल्क के साथ जोड़ने की बजाय इसे मुद्रा दर तथा मंदी की प्रवृतियों के साथ इसे जोड़ा। लेखापरीक्षा को विनिमय दर के उतार-चढ़ाव तथा मंदी में अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा संगणना के कारक प्रस्तुत नहीं किए गए। शुल्क के मामलों की पुन: संगणना के बिना डीईपीबी दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ।

3.1.2 अधिसूचना को पूर्व प्रभाव से लागू करने से निर्यातकों को अनुचित लाभ

सीमा शुल्क में 2006-07 मे 15 से 12.5 प्रतिशत कमी के कारण डीईपीबी दरों में क्रमश: एक प्रतिशत से दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की कमी के साथ डीजीएफटी द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2006 की सार्वजनिक नोटिस संख्या 29 तथा दिनांक 5 नवम्बर 2008 की 102 द्वारा वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के लिए डीईपीबी दरें घोषित की गई, देखें। दरें पीएन जारी होने की तिथि से लागू होनी थी।

तथापि, डीजीएफटी द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2007 की पीएन संख्या 18 दो से तीन प्रतिशत की रेंज की डीईपीबी दरें वृद्धि घोषित वर्ष 2007-08 के लिए डीईपीबी दरों को 1 अप्रैल 2007 से पूर्व प्रभाव से लागू किया गया था उसके कारण निर्यातको को ₹ 618.26 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका: 7

2007-08 के दौरान डीईपीबी क्रेडिट	₹ 5,498 **करोड़**
डीईपीबी दर में % वृद्धि	39.85
2007-08 की अवधि हेतु अतिरिक्त लाभ	₹ 618.26 करोड़*

5498* का *39.85% 103दिन/365दिन

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (नवम्बर 2013) कि निर्यात प्रतिस्पर्धा पर रूपये के अधिमूल्यन के प्रभाव, निर्यात आर्डर की हानि तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावित हानि पर विचार करने हेतु 2007-08 में गठित समिति ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि यदि निर्यातक जुलाई के माह में आर्डर की बुकिंग को छोड़ देता है, तो निर्यात में महत्वपूर्ण कमी होगी तथा रोजगार हानि जो आगे महत्वपूर्ण छंटनी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए तत्कालीन वित्त सचिव, सचिव (राजस्व) तथा वाणिज्य सचिव के बीच आयोजित बैठक (25 जून 2007) के दौरान, यह सहमति हुई कि चयनित क्षेत्र के लिए डीईपीबी तथा शुल्क फिरती दर को सुविधाजनक रूप से समायोजित किया जा सकता था तथा सार्वजनिक नोटिस संख्या 17 को 12.7.2007 को जारी किया गया उसमें नई डीईपीबी दरें जो 31.3.2008 तक मान्य थी, को दर्शाया गया। पीएन जारी होने के पश्चात, यह देखा गया कि वित्त मंत्रालय ने 1.4.2007 से प्रभावी शुल्क फिरती दरों के साथ पूर्व-शिप तथा पिछली शिपमेंट पर 2 प्रतिशत रियायत को संशोधित किया था तथा तदनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से, 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी डीईपीबी दरों में वृद्धि करने के लिए दिनांक 13.7.2007 को सार्वजनिक नोटिस संख्या 18 जारी की गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 13 जुलाई 2007 को जारी सार्वजनिक नोटिस संख्या 18 को वित्त मंत्रालय को भेजे बिना 1 अप्रैल 2007 से पूर्व प्रभावी कर दिया गया था, उसके कारण निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ।

डीजीएफटी ने नवम्बर 2013 में अपने उत्तर मे प्रस्तुत कारणों को दोहराते हुए पूर्वव्यापी अधिसूचना के कार्यान्वयन को उचित बताया (फरवरी 2014)। तथापि, उत्तर वित्त मंत्रालय को भेजे बिना पूर्वव्यापी अधिसूचना के कार्यान्वयन के विषय में मूक है; न ही डीजीएफटी लेखापरीक्षा के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के कार्यवृत प्रस्तुत कर सका।

3.1.3 एसआईओएनज के बिना डीईपीबी दरों का अनियमित निर्धारण

एचबीपी खण्ड I का पैराग्राफ 4.38 अनुबंधित करता है कि डीईपीबी दरों के निर्धारण हेतु सभी आवेदन संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसीज) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। जो एसआईओएन के तहत कवर सामग्री के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ निर्यात के एफओबी मूल्य को सत्यापित करेगी।

वर्ष 2007-08 के लिए डीईपीबी दरों के निर्धारण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच उत्पाद ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 157 मदों के लिए डीईपीबी दरों को एसआईओएन में उपलब्धता के बिना निर्धारित किया गया था। इन मदों ने एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक की तदर्थ वृद्धि रेंज का भी लाभ लिया। चूँकि अंतिम उत्पाद में उनके शेयर के साथ-साथ इनपुट तथा उस पर उद्ग्राहय सीमा शुल्क नहीं निकाला जा सकता, यह निश्चित नहीं किया जा सका कि विभाग ने डीईपीबी दरों के निर्धारण के लिए औसत सीमा शुल्क कैसे निकाला। यह भी पता चला कि वर्ष 2008-09 के लिए, डीईपीबी दरों को उन मदों जिनके लिए एसआईओएनज समाप्त किया गया है, के लिए पिछले वर्ष (2007-08) की दर पर निर्धारित किया गया था। चूँकि इन मदों के लिए कोई एसआईओएन नहीं है इसलिए डीईपीबी अनुसूची में उनकी निरन्तरता अनियमित थी।

डीईपीबी दरों के निर्धारण के दौरान विभाग ने माना (अक्तूबर 2008) कि 'इलेक्ट्रोनिक्स' ग्रुप उत्पाद में (उत्पाद कोड 83) डीईपीबी प्रविष्टियों की संख्या के प्रति एसआईओएन क्रम संख्या को मानदण्ड समिति द्वारा दर्शाया नहीं जा सका क्योंकि इन उत्पादों की डीईपीबी दर 1997 में अधिसूचित की गई थी तथा एसआईओएन आधारित विशेष मूल्य (1996-97 तक उपलब्ध) पर आधारित थी। इन उत्पादों के लिए डीईपीबी दरों को सीमा शुल्क में परिवर्तन की तुलना में पिछली दरों के प्रति यथानुपात आधार पर निर्धारित किया गया था।

1996-97 से इन मदों के लिए प्रासंगिक आंकड़ों के अभाव में इसके लिए एसआईओएन को अधिसूचित करने की विफलता तथा शुद्ध डीईपीबी दर निकालने की असमर्थता के कारण, अधिक डीईपीबी लाभ के कारण राजकोषीय

हानि को नकारा नहीं जा सकता। विनियमों के प्रति विभाग द्वारा डीईपीबी दरों के निर्धारण के स्वैच्छित तरीका भी नीति प्रावधानों के विपरीत था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि एसआईओएन निर्यात उत्पाद के निर्माण में उपयुक्त सामग्री तथा उनकी मात्रा के विषय में विवरण देता है। इसके पश्चात् मूल्य संवर्धन मानदण्ड (जहां भी लागू हो) के साथ सामग्री पर लागू औसत सीमा शुल्क को डीईपीबी दरों के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है। ''इलेक्ट्रॉनिक'' (उत्पाद कोड 83) हेतु एसआईओएन को विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वीएबीएएल) जिसे 1997 में वापिस ले लिया गया था, के अन्तर्गत निर्धारित किया गया। इसके पश्चात् 1997 में डीईपीबी दरें घोषित की गई जो उन एसआईओएनज पर आधारित थी। विशेष मूल्य आधारित योजना को वापिस लेने के साथ, अनुरूप एसआईओएनज् को वापिस लिया गया। चूँकि एसआईओएन को डीईपीबी के निर्धारण के लिए इनपुट मदों तथा उनकी मात्रा को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है, उन मदों के लिए बाद की डीईपीबी दरों को डीईपीबी समिति जिसमें राजस्व विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्थायी सदस्य है, द्वारा पूर्व एसआईओएन के अनुसार इनपुट के प्रति दर्शायी भारिता की तुलना में सीमा शुल्क की प्रचलित दर के आधार पर निर्धारित किया गया।

तथ्य यह है कि डीईपबी दरों को संबंधित आंकड़ों के अभाव में मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया तथा राजकोष के संभावित नुकसान को खारिज नहीं किया जा सकता।

3.1.4 व्यापार आंकड़ों के अभाव में मूल्य सीमा का संशोधन न होना

1997 में प्रारम्भ, डीईपीबी योजना, वीएबीएएल के अनुक्रम में थी। अधिकतर डीईपीबी दरें वीएबीएएल दरों के आधार पर निर्धारित थी। विभाग द्वारा यह स्वीकृत किया गया (मई 2003) कि डीईपीबी दरों की डि-नोवो गणना को प्रभावित करने वाले कारको में से एक आंकडों का अभाव है। 2100 डीईपीबी दरों में से 60 प्रतिशत से अधिक की वीएबीएल योजना के तहत विद्यमान अतिरिक्त मूल्य के आधार पर संगणना की गई। 40 प्रतिशत दर जिसकी उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों के आधार पर गणना की गई, की पुन:

संगणना निर्यात उत्पादों तथा इनपुट के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अनुलब्धता के कारण जटिल है। यह तथ्य छिपाने के लिए विभाग के पास कोई डाटा नहीं था, विभाग द्वारा ईपीसी से समकालीन व्यापार डाटा लेने का निर्णय लिया गया जिससे कोई पीएन जारी किए बिना वास्तविक डीईपीबी दरों की गणना की जा सके।

योजना की शुरूआत में व्यापार डाटा के बिना डीईपीबी द्वारा निर्धारित दरें आगे तक जारी रही और केवल उन मदों के संबंध में मूल्य की अधिकतम सीमा को समय समय पर संशोधित किया गया था जिसके लिए निर्यातक ने स्वयं ईपीसी के माध्यम से आयात-निर्यात डाटा प्रस्तुत किया था। यह देखा गया कि डीजीएफटी द्वारा मूल्य की अधिकतम सीमा के वार्षिक संशोधन के लिए समकालीन आयात-निर्यात डाटा प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास नही किए गए थे। यह भी पाया गया कि डीजीएफटी में मूल्य की अधिकतम सीमा के संशोधन के लिए ईपीसीज़ के माध्यम से उद्योगों द्वारा प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के लिए कोई तंत्र मौजूद नही था।

इस प्रकार, डीजीएफटी द्वारा निर्धारित मूल्य की अधिकतम सीमा की सटीकता का पता नही लगा सका और निर्यातकों को उच्चतम मूल्य की अधिकतम सीमा के कारण अनुचित लाभ की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि डीईपीबी योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य पर मूल्य की अधिकतम सीमा लगाई गई थी। मूल्य की अधिकतम सीमा लगभग 2150 मदों में से 485 मदों पर लगाई गई थी जिनके लिए डीईपीबी दरें निर्धारित की गई थी। यह प्रारंभ में उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक डाटा पर आधारित थी। किसी भी किसी मामले में, यदि मूल्य की अधिकतम सीमा का संशोधन किया गया होता, यह संभावना है कि इसे उत्पादों के एफओबी मूल्य, जो सामान्यतया हर वर्ष बढते हैं, में वृद्धि के कारण समय के साथ बढाना पड़ता। मूल्य की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण अधिक राजस्व की हानि होगी। इस प्रकार, जहाँ तक डीईपीबी योजना का संबंध है, मूल्य की अधिकतम सीमा का संशोधन न करने के कारण निर्यातकों को कोई लाभ नही हुआ।

डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रकल्पित और बिना किसी अनुभवजन्य विश्लेषण के प्रतीत होता है। डीजीएफटी अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई अध्ययन रिपोर्ट या गणना प्रस्तुत नही कर सका।

3.1.5 समान उत्पाद के लिए डीईपीबी दरों /मूल्य संवर्धन में अन्तर

डीईपीबी दरों/मूल्य संवर्धन विश्लेषणों से पता चला कि विभाग ने एक ही उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न डीईपीबी दरें/विभिन्न मूल्य संवर्धन अपनाया हुआ था:-

तालिका: 8

उत्पाद कोड	उत्पाद क्रम सं.	उत्पाद का नाम	मूल्य संवर्धन	प्रतिशत में डीईपीबी दरें		
				2005	2006	2007
62	434	परिशोधित ग्लिसरीन	150 प्रतिशत	6	5	7
	525	परिशोधित ग्लिसरीन	125 प्रतिशत	7	6	8
62	265	पिगमेंट येलो-12	400 प्रतिशत	3	2	4
	598	पिगमेंट येलो-12	350 प्रतिशत	3	2	4
62	439	ट्रीचलोरो इथायलीन	225 प्रतिशत	5	4	6
	785	ट्रीचलोरो इथायलीन	275 प्रतिशत	4	3	5

एक ही उत्पाद के लिए विभिन्न मापदंड अपनाना डीईपीबी दरों के निर्धारण की प्रणाली में कमी को दर्शाता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि विभिन्न मदों के लिए डीईपीबी दरें सीमा शुल्क की प्रचलित दर पर निर्धारित थी जिसकी तुलना इनपुटों के प्रति दर्शायी गई भारिता एसआईओएन और मूल्य संवर्धन पर आधारित थी। यह डीईपीबी समिति द्वारा किया गया था जिसमें राजस्व विभाग और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्थायी सदस्य थे। दरों में अन्तर विभिन्न प्रसंस्करण मार्गों या तैयार उत्पाद की शुद्धता में अन्तर के कारण एक कारक हो सकता है। जब एसआईओएन का संशोधन किया गया था, तैयार उत्पाद के शुद्धता घटक को हटा कर तदनुसार, संबंधित डीईपीबी दरों में तदनुसार संशोधन किया गया था। तथापि, जहाँ भी ऐसा दोहराव पाया गया, समय-समय पर उसमे सुधार किया गया था।

डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 2003 से पूर्व परिशोधित ग्लिसरीन के लिए दो डीईपीबी प्रविष्टियाँ परिशोधित ग्लिसरीन उत्पाद के लिए क्र.म. 468

(परिशोधित ग्लिसरीन 99 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता) और 565 (परिशोधित ग्लिसरीन 99.5 प्रतिशत न्यनूतम शुद्धता) पर थी। तथापि, क्रम सं. 434 और 525 दोनो के लिए डीईपीबी दरें क्रमशः 14 और 15 प्रतिशत की इन प्रविष्टियों को संशोधित कर दिनांक 17.02.2003 की पीएन 62 द्वारा परिशोधित ग्लिसरीन के रूप में किया गया था।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, डीईपीबी समिति ने क्रम सं. 434 के उत्पाद ग्रुप 'केमिकल्स' की डीईपीबी प्रविष्टि को हटाने के लिए मामले की सिफारिश का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 13.10.2010 की सार्वजनिक सूचना सं. 13 द्वारा क्रम सं. 434 की डीईपीबी प्रविष्टि को हटा दिया गया जबकि क्रम सं. 525 को उसी डीईपीबी दर पर बनाए रखा गया।

तथ्य यह है कि अक्टूबर 2010 तक परिशोधित ग्लिसरीन के लिए भिन्न डीईपीबी दरें जारी रहीं और लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश डाले गए अन्य उत्पादों के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

3.2 डीईपीबी की तुलना में शुल्क फिरती योजना

जबकि डीईपीबी योजना डीजीएफटी द्वारा संचालित की जा रही थी, शुल्क फिरती योजना वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित थी। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सीबीईसी परिपत्र सं. 42/2011 सी.शु. दिनांक 22 सितम्बर 2011 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2011 से डीईपीबी मदें शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल की गई थीं।

शुल्क फिरती (डीबीके) योजना एक शुल्क छूट योजना है और फिरती योजना के लिए दरों की गणना निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग किए गए वास्तविक इनपुटों के आधार पर की गई थी।

शुल्क फिरती योजना और डीईपीबी योजना के एक तुलनात्मक विश्लेषण से, जो 30 सितम्बर 2011 तक प्रचालन में थीं, पता चला कि डीईपीबी अनुसूची में सम्मिलित 2131 मदों में से, 1129 मदें शुल्क फिरती अनुसूची में भी थीं। डीईपीबी योजना की समाप्ति से पहले शुल्क फिरती योजना के तहत कवर की गई मदों की संख्या 2835 (लगभग) थी और डीईपीबी मदों के समावेश के बाद यह बढ कर 4000 (लगभग) हो गई।

जब दोनों योजनाएं वर्ष 2010-11 में प्रचालित थी, दोनो शुल्क छूट योजनाओं के तहत 1129 समान मदों की दर की एक तुलना से निम्न का पता चला:-

तालिका: 9

मदों की संख्या जहां डीईपीबी दर डीबीके दर से अधिक थी	1124
मदों की संख्या जहां डीईपीबी दर डीबीके दर से कम थी	5

उपरोक्त समान मदों के संबंध में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए फिरती दरों की तुलना से निम्न का पता चला:-

तालिका: 10

मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दर को 2010-11 के संदर्भ में घटाया गया	29
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दर को 2010-11 के संदर्भ में बदला नहीं गया	96
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दर को 2010-11 के संदर्भ में बढा दिया गया	1004

उसी प्रकार इन समान मदों के लिए ड्राबैक निदेशालय द्वारा अधिसूचित वर्ष 2011-12 के लिए फिरती दरों की उस समय की डीईपीबी दरों से तुलना से निम्नलिखित का पता चला:-

तालिका: 11

विवरण	समान मदें	नई मदें	योग	प्रतिशतता
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दरें मौजूदा डीईपीबी दरों के संदर्भ में घटाई गई	1115 *(7.6-0.2 के बीच)*	997 *(1-9 के बीच)*	2112	99.11
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दरों को मौजूदा डीईपीबी दरों के संदर्भ में बदला नहीं गया था	11	5	16	0.75
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दरों को मौजूदा डीईपीबी दरों के संदर्भ में बढा दिया गया	3 *(0.3 -2 के बीच)*	शून्य	3	0.14
कुल	**1129**	**1002**	**2131**	**100**

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तटस्थीकरण के संबंध में डीईपीबी योजना के तहत 99.11 प्रतिशत मदें (2112 मदें) अधिक थी 0.2-9 प्रतिशत के बीच राजस्व विभाग की भी राय थी कि डीईपीबी योजना ने आयात पर सीमा शुल्क की अधिक क्षतिपूर्ति की थी।

2011-12 के लिए इन 2112 मदों के लिए अधिक डीईपीबी दरों के कारण आनुपातिक राजस्व हानि ₹ 5,858.60 करोड़ (56 प्रतिशत) तक थी।

आईसीआरआईईआर[5] द्वारा डीईपीबी पर किए गए लागत लाभ अध्ययन ने डीईपीबी क्रेडिट में समान सहायता अनुदान घटक की गणना की थी।

तालिका: 12

(क) 2112 मदों के लिए डीईपीबी योजना के तहत औसत दर	**5.98**
2112 मदों के लिए औसत डीबीके दर	2.58
(ख) औसत दर में अन्तर	3.40
(ग) 2011-12 के दौरान कुल राजस्व हानि	₹ 10,404.40 करोड़
उच्च औसत डीईपीबी दर के कारण अधिक राजस्व हानि (ग* 99.11%* ख/क)	₹ 5,858.60 करोड़

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि फिरती योजना में विलय के कारण तत्कालीन डीईपीबी मदों की दरों से गिरावट से डीईपीबी दर में बाहरी तत्वों को घटा कर डीईपीबी दरों के बराबर फिरती दरों के साथ तत्कालीन डीईपीबी मदें प्रदान करना व्यापाक नीति सिद्धान्त दर्शाता है। तत्कालीन डीईपीबी मदों की दरों में कमी 2013-14 तक बाद की एआईआर फिरती अनुसूचि में जारी रही।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि डीईपीबी और शुल्क फिरती योजना योजनाओं के निहित सिद्धान्तों के संदर्भ में तुलना नही की जा सकती है। शुल्क हकदारी पासबुक योजना को मुख्य रूप से निर्यात उत्पाद के माने गए आयात सामग्री पर सीमा शुल्क को प्रभावहीन बनाने के लिए तैयार किया गया था। जबकि शुल्क फिरती योजना विभिन्न सिद्धान्तों पर आधारित है जो कुछ औसतों को ध्यान में रखते हैं। तथापि, कुछ उत्पादों के लिए शुल्क फिरती की विशिष्ट दर के कारण कुछ उत्पादों के लिए शुल्क फिरती दरें उच्च हो सकती है, जबकि यह डीईपीबी की अवशेष दर के तहत आती हैं और कुछ मामलों में डीईपीबी योजना के तहत मूल्य अधिक होता है जिससे राजस्व निहितार्थ को कम किया जा सके।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि 2112 उत्पादों की लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला कि डीईपीबी दरें उच्च दरों पर निर्धारित कि गई थी जो कि शुल्क से वास्तविक भार के अनुरूप नही था और उसमें अन्य तर्क भी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 में ₹ 5,858 करोड़

[5] मुखापाध्याय, सुकुमार, निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए कर छूट का लागत लाभ विश्लेषण, आईसीआरआईईआर, 2007

के अतिरिक्त राजस्व की हानि हई। ईडीआई प्रणाली (पैराग्राफ 2.5.1) में लदान बिल के पीएमवी के सत्यापन के तंत्र के बिना, बढे हुए निर्यात मूल्य पर ऊपर निहित डीईपीबी शेयरों के मामलों की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

3.3 सीईसीए सिंगापुर का व्यापार विश्लेषण

भारत और सिंगापुर के बीच 26 महीनों की बातचीत के बाद 1 अगस्त 2005 से व्यापाक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) लागू हुआ। यह भारत सरकार की बाजार विस्तार नीति के हिस्से के रूप में किसी पहले भागीदार के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहला व्यापक व्यापार समझौता था। भारत-सिंगापुर सीईसीए का मुख्य उद्देश्य दोनो पक्षों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना और बढाना, माल के व्यापार का उदारीकरण और प्रोत्साहन, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद V के अनुरूप सेवाओं के व्यापार का उदारीकरण और बढावा देना जिसमें व्यवसायों की परस्पर स्वीकृति को बढावा; विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और गैर पार्टियों में वाणिज्यिक और आर्थिक अवसरों के संयुक्त दोहन इत्यादि सहित पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढावा देना था।

डब्यूटीओ द्वारा भारतीय व्यापार नीति पर जोरदार प्रश्नों और ईयू, यूएसए और कनाडा के साथ विवादों के बीच डीईपीबी योजना मार्च 2002 तक बंद होनी थी। डीओसी द्वारा एक नई योजना का पता लगाया जा रहा था। दोहा में डब्यूटीओ वार्ता की धीमी प्रगति को देखते हुए, व्यापक द्वीपक्षीय एफटीए और आरटीए (सार्क, एएसईएएन) को शामिल किया गया। सीईसीए, सिंगापुर से इस पृष्ठभूमि में बातचीत की गई थी। इस समझौते के लिए परिकलित भारत के अभिकलित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और व्यापार लाभ में वर्तमान एफटीपी और विशिष्ट रूप से डीईपीबी के परिणाम के रूप में भारतीय निर्यातक को व्यापारिक लाभ सम्मिलित था।

डीओसी ने अपनी नीतिगत योजना में दावा किया कि व्यापारिक सहयोगियों के साथ अनुकूल व्यापारिक समझौते तैयार करना सम्पूर्ण निर्यात संवर्धन नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मुक्त

व्यापार समझौते (एफटीए) के सफलतापूर्वक समापन के प्रयासों से काफी ध्यान आकर्षित होगा। इसी प्रकार, डीओसी की आरएफडी में एक मुख्य उद्देश्य निर्यात वृद्धि को तेज करने के लिए व्यापार की परिस्थितियों में सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए उपायों को लागू करना था।

वित्त वर्ष 08 से भारत में सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत है। डीईपीबी छिटपुट विस्तारणों के तहत किया गया था। दुनिया भर में मंदी 2008-09 से शुरू हुई थी। सितम्बर 2011 से डीईपीबी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। नीचे तालिका में 2005-06 से 2012-13 के दौरान पीटीए-सीईसीए सिंगापुर के तहत आयात का वर्ष वार विवरण स्पष्ट रूप से घटनाओं को दर्शाता है।

तालिका: 13

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयातों को निर्धारणीय मूल्य	प्रतिशत वृद्धि	देय शुल्क	छोडा गया शुल्क	निर्यात का मूल्य	प्रतिशत वृद्धि
2005-2006	743.04	-	119.79	101.54	24019.65	--
2006-2007	1,633.37	1.19	350.18	241.48	27461.61	4.80
2007-2008	2,020.26	0.23	389.85	293.74	29662.23	4.52
2008-2009	3,299.58	0.63	625.11	437.58	37756.88	4.49
2009-2010	3,274.58	-0.01	419.11	470.19	35948.30	-4.25
2010-2011	4,823.31	0.47	679.94	617.18	44731.73	3.91
2011-2012	5,191.11	0.07	701.95	783.42	80362.99	5.48
2012-2013	6,245.30	0.20	1,031.51	695.19	73994.97	**4.52**
कुल	**27,230.54**	**0.40** (औसत)	**4,317.45**	**3,640.32**	**3,53.938.40**	**3.35** (औसत)

स्त्रोत: राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय,

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत आकंडों के विश्लेषण से पता चला कि समझौता हस्ताक्षर करने के बाद वर्ष 2005-06 से 2012-13 के लिए 0.40 प्रतिशत की धीमी वृद्धि के साथ ₹ 27,230.54 करोड़ के आयात के प्रति सीईसीए सिंगापुर के तहत आयात पर छोडी गई शुल्क की कुल राशि ₹ 3,640.32 करोड़ थी। छोडे गए कुल शुल्क में से पांच आयोतकों नामत: मै. सुप्रीम केमिकल्स, मै. बीएएसएफ इंडिया लि., मै. एलजी पोलिमर्स इंडिया प्रा. लि., मै. सी. जे शाह एण्ड क. और मै. जीसन्स इंडस्ट्रीज लि. द्वारा 26.6 प्रतिशत शुल्क प्रोत्साहन का लाभ उठाया गया था जो ₹ 968.35 करोड़ था। निर्यात में 4.7 प्रतिशत की काफी उच्च दर से वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त,

डीओसी के डाटा की डीओआर के डाटा से तुलना पर यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 और 2011-12 में छोडा गया शुल्क देय शुल्क से अधिक था। इस प्रकार, इन दो विभागों द्वारा अनुरक्षित डाटा की सटीकता का आश्वासन नही दिया जा सकता।

सीमा शुल्क, 1962 की धारा 25 (1) के तहत योजना आधारित छूटों के अलावा छोडे गए शुल्क की प्रतिशतता वित्त वर्ष12 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्ति का 145 प्रतिशत था। कच्चे और खनिज तेल, हीरा, सोना मशीनरी इत्यादि ने छोडे गए राजस्व में 88 प्रतिशत का योगदान दिया।

सीईसीए-सिंगापुर के तहत निर्यातों के संबंध में, डीओसी के पास उपलब्ध आंकडों से यह पाया गया कि 2005-06 से 2012-13 की अवधि के दौरान 3.9 से 5.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 3,53,938.40 करोड़ का निर्यात किया गया और ₹ 3,640.32 करोड़ छोड़ते हुए के साथ ₹ 27,230.54 करोड़ का आयात किया गया। सामान्यतया, सिंगापुर में आयात किया गया सारा माल शुल्क योग्य माल के मामले में जीएसटी भुगतान के लिए गैर शुल्क योग्य माल और जीएसटी और/या शुल्क भुगतान के अधीन है। मादक द्रव्य, तम्बाकू उत्पाद, मोटर वाहन और पेट्रोलियम उत्पाद शुल्क योग्य माल हैं और अन्य सभी उत्पाद गैर शुल्क योग्य हैं। वर्ष 2011-12 के लिए शून्य शुल्क गंतव्य स्थान को किए गए निर्यात के मूल्य से (तालिका 12 – ₹ 80,363 करोड़) और 2112 मदों के लिए डीईपीबी योजना के तहत् औसत उच्च दर (तालिका 11 – 3.4 प्रतिशत) से ₹ 2,732 करोड़ के शुल्क स्क्रिप के लिए निर्यात उत्पन्न किए जा सकते हैं। जिन्हें इस राशि में 56 प्रतिशत अंश निष्प्रभावी करों से परे हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमवी सत्यापन के अभाव के कारण निर्यात मूल्य भी उच्चता की तरफ हो सकता है। ₹ 2732 करोड़ तक के स्क्रिपस का किसी भी बंदरगाह से किसी आयात का भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दुरूपयोग के मामलों का हवाला देते हुए (जैसा कि आईसीईएस 1.5 आंकडों के विश्लेषण के माध्यम से देखा गया) कम आरएसपी (खुदरा बिक्री मूल्य) के साथ आयात प्रमाणीकरण निजी लाभ का और सरकार के लिए शुल्क परित्याग का कारण बन सकता है।

यह देखने में दिलचस्प है कि इंजेक्शन, सिरिंज इत्यादि के लिए नीडल जैसे कुछ एक तैयार उत्पादों को छोडकर, भारत सिंगापुर सीईसीए (परिशिष्ट VIII) के तहत अधिमान्य टैरिफ के अन्तर्गत आयात की गई मदें घरेलू विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयोग के लिए कच्चे माल या मध्यवर्ती प्रकृति के है। यह भी दिलचस्प है कि इंजेक्शन के लिए नीडल बूटानोइक एसिड और अल्केलफिनाल्स को छोडकर अधिमान्य शर्तो के तहत आयात हमारे वैश्विक आयात के 10 प्रतिशत से अधिक नही बनता है। इस प्रकार यह मानना सुरक्षित है कि इस अधिमान्य आयात का इसी प्रकार के उत्पादों के घरेलू निर्माताओं पर असर कम नही होगा।

भारत के विनिर्माण निर्यात संवर्धन'' पर XIIवें योजना कार्यग्रुप की रिपोर्ट में देखा गया कि महत्वकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) में आर्थिक उद्देश्यों और विस्तृत बाजार पहुँच प्राप्त करने के लिए गहरी बाजार पहुँच की मांग की गई है। सीईसीए सिंगापुर विनिर्माण क्षेत्र पर आयात का अर्थपूर्ण निर्धारण करने के लिए काफी समय से प्रचलित है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि:

''जबकि हमारे विनिर्मित माल के निर्यात को बढाने में हमारे आरटीए के प्रभाव का सही मूल्यांकन करन बहुत जल्दबाजी होगा, इन आरसीए के तहत अधिमान्य बाजार पहुँच निश्चित रूप से लाभदायक योगदान देगें ऐसे योगदान का प्रसार इन आरटीए द्वारा पूरा कार्यान्वयन करने के बाद दिखाई देगा। निसन्देह ऐसी किसी वृद्धि और आरटीए के तहत अधिमान्य बाजार पहुँच के बीच एक अनौपचारिक संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण प्रयासो का बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में हमारे घरेलू निर्माताओं पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारे व्यावहारिक और बाध्य टैरिफ के बीच पर्याप्त गुजांइश होगी। क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं पर प्रभाव पडेगा। तथापि, क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं स्वैच्छिक हैं और हम हमारी घरेलू संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्धताएं करेंगे। बहुपक्षीय उदारीकरण का हमारे विनिर्मित निर्यातों पर एक लाभकारी प्रभाव हो सकता है क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के टैरिफ उनके वर्तमान स्तर से महत्वपूर्ण

रूप से कम होने की उम्मीद है। ऐसी कटौतियां विस्तृत बाजार पहुँच के साथ साथ नए बाजार खोलने के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं।"

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी2014) में बताया कि डीईपीबी लाभ लेने के उद्देश्य के लिए एक देश से आयात और विभिन्न देशों में निर्यात प्रभावित करने के बीच कोई सम्बन्ध नही है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले बताया गया है, डीईपीबी योजना निर्यात उत्पाद की मानी गई आयात सामग्री पर आधारित है और इसलिए एफटीए के तहत शुल्क छूट का लाभ लेने की तुलना में किसी निर्यात के लिए डीईपीबी योजना के तहत लिए गए लाभ के बीच कोई संबंध नहीं है।

सीईसीए सिंगापुर को देखने का निर्णय लेने का कारण है कि एफटीपी योजनाओं के कारण निर्यातकों/आयातकों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन और पीटीए के कारण प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन आपस में गहन रूप से संबंधित है। इसमें बंदरगाहों पर व्यापार सुविधा के डिजाइन और घरेलू उद्योग के लिए बुनियादी संरचना में निर्यातकों और निर्माताओं को लाभ के सटीक माप की आवश्यकता है जब तक कि यह गलत रास्ते पर हो और इसका दुरूपयोग हो जो व्यापार में वृद्धि या आर्थिक वृद्धि को जोखिम में डाले, जो की डीओसी/एमओएफ के अन्तिम नीतिगत उद्देश्य हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस विश्लेषण का उद्देश्य एफटीपी जैसे डीईपीबी योजनाओं जो विभिन्न देशों के साथ जुड़े पीटीए जो इंडिया के वातावरण में संचालित हैं के परिणाम के विश्लेषण की ओर ध्यानाकर्षण था। डीओसी की XIIवें योजना कार्यकारी ग्रुप ने भी पाया कि आर्थिक सहायता के बजाए वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, संरचनात्मक ढांचा और सुविधाओं की आवश्यकता है।

3.4 निर्यात के प्रति अत्यधिक आयात के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अत्यधिक वर्हिर्गमन

एचपीबी खण्ड 1, 2009-14, के पैराग्राफ 4.37 के अनुसार, योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की गणना एसआईओएन के अनुसार कथित निर्यात उत्पाद के माने गए आयात सामग्री को ध्यान में रखकर की जाएगी। योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की दर का निर्धारण करते समय ऐसे उत्पाद के निर्यात द्वारा

प्राप्त मूल्य संवर्धन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। डीईपीबी योजना किसी स्क्रिप के प्रति आयात के मूल्य पर कोई प्रतिबंध प्रदान नहीं करता, प्रतिबंध स्क्रिपस के मूल्य तक सीमित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अहमदाबाद, मुम्बई और कोलकाता के 3 आरएज़ के 68 मामलों में ₹ 105.58 करोड़ के निर्यात के प्रति जारी डीईपीबी स्क्रिपों का प्रयोग कर ₹ 145.54 करोड़ तक का आयात किया गया था जिससे देश से विदेशी मुद्रा का अधिक बहिर्गमन हुआ। डीईपीबी योजना में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमनन अन्तर्गमन से अधिक न हो या अन्य शब्दों में आयात का सीआईएफ मूल्य निर्यात पर वसूले गए एफओबी मूल्य से अधिक था। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण नही था।

आरए भोपाल की ईडीआई प्रणाली के माध्यम से प्रदत्त, सृजित डाटा में प्रविष्टि के बिलों के प्रति केवल डीईपीबी डेबिट दर्शाया गया था और न की कुल डेबिट (अर्थात नकद भुगतान, ईपीसीजी भुगतान इत्यादि)। कुल डेबिट के अभाव में, संगत सीआईएफ मूल्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। डीजीएफटी, भोपाल ने सूचना दी कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए आल इंडिया ट्रेड आईसीईएस 1.5 डाटा के विश्लेषण से भी पता लगा कि सिस्टम में बीई के प्रति केवल डीईपीबी डेबिट रिकार्ड किए गए थे और सीमाशुल्क से डीजीएफटी को प्रेषित नहीं किए गए थे।

इंगित किए जाने पर (जून/जुलाई 2013), उपायुक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क हाऊस, काडंला और पीपावाव ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि डीईपीबी लाइसेंस का उपयोग करते समय, डीईपीबी लाइसेंस में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट का उपयोग किया गया था और न कि सीआईएफ मूल्य का।

डीजीएफटी ने नीति प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त आनलाइन डाटा की समीक्षा नहीं की और ईडीआई माडयूल पर डाटा आवश्यकता को संशोधित नहीं किया।

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि यदि डीजीएफटी द्वारा अतिरिक्त डाटा फील्ड की आवश्यकता के बारे में बताया जाता तो उसे उपलब्ध करवाने की व्यवहार्यता की जांच की जा सकती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में दावा किया कि विदेशी मुद्रा बहिर्गमन योजना से संबंधित नही है और स्पष्ट किया कि निर्यातक डीईपीबी स्क्रिप के प्रति कुछ भी आयात करने के लिए स्वतंत्र है। संभावना है कि फर्में उच्च डीईपीबी दरों के साथ निर्यात के आधार पर प्राप्त डीईपीबी स्क्रिप के प्रति कम सीमा शुल्क वाला माल आयात कर सकती हैं। विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन योजना से सम्बद्ध नहीं है।

डीजीएफटी ने आगे बताया कि डीईपीबी योजना के तहत शुल्क निर्यात उत्पाद के मूल सीमा शुल्क घटक के लिए है। यह शुल्क क्रेडिट नकद भुगतान के बदले में है। इस प्रकार, डीईपीबी योजना के तहत डीईपीबी स्क्रिप की उपयोगिता का संबंध सीआईएफ के आयात पर किसी सीमा निर्यात के एफओबी मूल्य के लिए आवश्यक नहीं है। तथापि, 2002 से पूर्व जब (एसएडी) के कथित घटको के लिए डीईपीबी राशि की ऋण आवश्यकता के बिना डीईपीबी के प्रति प्रेषित माल की निकासी पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटकों से छूट की सुविधा उपलब्ध थी, तब उत्पाद जिसके प्रति डीईपीबी जारी किया गया है, के आयात के सीआईएफ मूल्य को अधिकतम एफओबी मूल्य तक सीमित करना अनिवार्य था।

डीजीएफटी ने यह भी बताया कि 2002 के पश्चात, विशेष अतिरिक्त शुल्क को वापिस लिया गया तथा 2004 में पुन: प्रारंभ किया गया था, डीईपीबी क्रेडिट से उपयोग होने वाले ऋणों के विशेष अतिरिक्त शुल्क को प्रेषित माल की निकासी के समय पर स्क्रिप में मंजूरी दी तथा तब से डीईपीबी के प्रति विशेष अतिरिक्त शुल्क की कोई छूट स्वीकृत नहीं की गई। इसलिए, डीईपीबी स्क्रिप के प्रति निकासी नकद में शुल्क भुगतान के प्रति प्रेषित माल की निकासी के समान हो गई। इसलिए, उत्पाद जिसके प्रति डीईपीबी जारी किया गया, के आयात के सीआईएफ मूल्य को एफओबी मूल्य तक बढ़ाकर सीमित

करने की पूर्व आवश्यकता अब प्रांसगिक नहीं थी और अतः 2004 में डीओआर की अनुमति के साथ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अब चूँकि एसएटी पुनः प्रारंभ (2004) की गई है, डीजीएफटी विदेशी विनिमय के अत्यधिक बहिर्गमन से बचने के लिए भारतीय रूपये में एसएडी के प्रतिदाय हेतु प्रावधान कर सकता था क्योंकि विदेशी विनिमय का संवर्धन एफटीपी के उद्देश्य में से एक है। इसके अतिरिक्त, वृहत् स्तर पर इस योजना के विदेशी विनिमय अर्जन का विश्लेषण करने के लिए आरएज द्वारा दिए आंकड़ों को कैपचर करना तथा इसे विभिन्न निर्यात/आयात उत्पादों तथा गंतव्यों से परस्पर संबंधित करना आवश्यक है।

अध्याय IV: परिचालन दोष के मामले

4.1 डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का अनुचित उपयोग

एचबीपी खण्ड I के पैराग्राफ 2.12 और 2.12.3 निर्धारित करते है कि डीईबीपी प्राधिकृत करने की वैद्यता जारी होने की तिथि से 24 माह होनी चाहिए और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप उस तिथि पर वैद्य होने चाहिए जिस पर वास्तव में शुल्क का डेबिट किया गया है। इसके अतिरिक्त, एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार, डीईपीबी क्रेडिट का उपयोग मुक्त रूप से आयातित मदों और/या प्रतिबंधित मदों पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डीईपीबी स्क्रिप ईपीसीजी योजना के तहत आयात के प्रति शुल्क के भुगतान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डीईपीबी स्क्रिपस एफटीपी के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी निर्यात दायित्व (ईओ) चूकों को प्राधिकृत करने के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान के लिए भी उपयोग/ डेबिट किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए गई थी कि क्या आरएज़/सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीईपीबी शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों को समायोजन/उपयोग सही ढंग से किया जा रहा था और निम्नलिखित मामलों में यह पाया गया कि लाइसेंस का उपयोग प्रावधानों के विपरित किया जा रहा था।

4.2 अधिक डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का गलत समायोजन

आरए अहमदाबाद में आठ मामलों में ₹ 23.40 लाख की राशि के अधिक डीईपीबी शुल्क क्रेडिट और/या ब्याज को अप्रयुक्त डीईपीबी स्क्रिप/एफएफएस स्क्रिप के प्रति समायोजन किया गया जो कि गलत था।

आरए अहमदाबाद ने बताया (नवम्बर 2013) कि वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

4.3 डीईपीबी स्क्रिपों में स्वच्छ ऊर्जा उपकर का अनियमित डेबिट

दिनांक 22 जून 2010 की केन्द्रीय शुल्क की अधिसूचना के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रभावी दर ₹ 50 प्रति टन है। दिनांक 22 जून 2010 की

अधिसूचना सं. 28/2010-सीई और 29/2010-सीई भी ऐसे माल (अर्थात जिन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लागू होता है) को शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर से छूट देने के लिए जारी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उपकर की कुल दर ₹ 50 प्रति टन होगी। इस राशि का भुगतान नकद में किया जाना था, क्योंकि क्रेडिट से स्वच्छ ऊर्जा उपकर के भुगतान से छूट के लिए सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 में उचित संशोधन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कस्टम हाऊस, कांडला, कोलकाता बैंगलुरू, जेएनपीटी, गोवा, लुधियाना, पारादीप और मुन्द्रा में 64 प्रविष्टि बिलों के अन्तर्गत आयातित 'थोक में कोयला' की निकासी उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत डीईपीबी स्क्रिप में शुल्क डेबिट करके की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के लिए डीईपीबी स्क्रिप मे क्रमश: ₹ 68.37 लाख तथा ₹ 1.16 करोड़ की स्वच्छ ऊर्जा उपकर का गलत डेबिट हुआ।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में बताया (फरवरी 2014) कि कांडला सीमा शुल्क ने ₹ 1.26 करोड़ की वसूली सूचित की है और अमृतसर सीमा शुल्क ने दो मामलों में ₹ 2835 की वसूली सूचित की है और छः मामलों में जांच चल रही है। कोलकाता, बैंगलुरू, जेएनसीएच, गोवा और पाराद्वीप के मामलों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

4.4 डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का अनियमित मंजूरी

एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 1.1 के अनुसार डीजीएफटी डीईपीबी दरों की अनुसूची को अधिसूचित करता है। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार डीजीएफटी, एफटी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों तथा एफटीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए किसी लाइसेंसिंग या किसी दूसरे सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्यातक या आयातक के पालन के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को पीएन के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और उन्हें उचित रूप से समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि क्या आरएज़ डीईपीबी क्रेडिट के सही मंजूरी को सुनिश्चित करने हेतु जांच पड़ताल कर रहे थे। निम्नलिखित मामलों में यह देखा गया कि लाइसेंस जारी करने में प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

4.5 डीईपीबी के अन्तर्गत लाभ स्थगत के दौरान डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

छः मदों पर डीईपीबी लाभ डीजीएफटी द्वारा जारी विभिन्न पीएनज़ के माध्यम से समाप्त कर दिए गए थे। यद्यपि, लाभ बाद में पूर्ववर्ती तारीख से बहाल कर दिया गया था, तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 108 मामलों में ₹ 13.01 करोड़ के डीईपीबी लाभ स्थगन अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए मंजूर किए गए थे।

(क) सूती धागा

पीएन दिनांक 21 अप्रैल 2010 के अनुसार, डीईपीबी लाभ प्रविष्टि क्र. सं. 78 (उत्पाद ग्रुप 89 – टैक्सटाइल्स) में दर्शाए गए मिश्रित धागे सहित सूती धागे के निर्यात पर समाप्त कर दिया गया था। नीति परिपत्र सं. 04 (आरई-2010)/2009-14 दिनांक 29 नवम्बर 2010 के माध्यम से फिर से स्पष्ट किया गया कि 'सूती धागा' का निर्यात डीईपीबी दर अनुसूचि के उत्पाद ग्रुप "विविध" के क्रम सं. 22डी में अवशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत भी डीईपीबी लाभ का हकदार नही होगा। उक्त को पीएन दिनांक 04 अगस्त 2011 के माध्यम से 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद किए गए निर्यात के लिए बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चार आरएज़ (अहमदाबाद, कोयम्बटूर, पुदुचेरी और नई दिल्ली) ने 21 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अन्तराल अवधि के दौरान जब 'सूती धागा' पर डीईपीबी लाभ अनुमत नही था के निर्यात के लिए ₹ 5.40 करोड़ के शुल्क स्क्रिप हेतू 35 लाइसेंस जारी किए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि जहां भी लाभ अनुमत नहीं थें वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है। अगली कार्रवाई

एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के अनुसार की जाएगी। शुरू की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

(ख) सूती कपड़ा

'सूती कपड़ा' के निर्यात पर डीईपीबी लाभ को पीएन दिनांक 31 मार्च, 2011 के माध्यम से 21 अप्रैल 2010 से वापस ले लिया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि डीईपीबी लाभ 21 अप्रैल 2010 को या इसके बाद किए गए लदान के संदर्भ में उत्पाद ग्रुप "विविध" की डीईपीबी प्रविष्टि क्रम सं. 22सी और 22डी के अन्तर्गत भी नहीं मिलने चाहिए। उक्त को 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावी पीएन दिनांक 4 अगस्त 2011 के माध्यम से बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि तीन आरएज़ (अहमदाबाद, मुम्बई और नई दिल्ली) ने 21 अप्रैल 2010 से 30 सितम्बर 2011 की अन्तराल अवधि के दौरान जब 'सूती धागा' पर डीईपीबी लाभ अनुमत नही था के निर्यात के लिए ₹ 4.85 करोड़ के शुल्क स्क्रिप हेतू 37 लाइसेंस जारी किए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि जहां भी लाभ अनुमत नहीं थे वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। अगली कार्रवाई एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के अनुसार की जाएगी। शुरू की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

(ग) कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय स्टील

शुद्धिपत्र 5 अप्रैल 2008 के साथ पठित पीएन दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुसार उत्पाद ग्रुप इंजीनियरिंग (उत्पाद कोड 61) की डीईपीबी रेट लिस्ट क्रम सं. 387ए में दर्शाए गए 'कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय स्टील' पर डीईपीबी लाभ 27 मार्च 2008 से समाप्त कर दिया गया था। इस मद पर डीईपीबी लाभ को फिर से पीएन दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, मुम्बई ने 27 मार्च 2008 और 30 मार्च 2008 के बीच निर्यात किए गए उत्पाद ग्रुप 'इंजीनियरिंग' के

क्रम सं. 387ए के अन्तर्गत 'कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय स्टील स्ट्रिप्स' पर चार निर्यातकों को ₹ 3.12 लाख के शुल्क शेयर हेतू पांच लाइसेंस जारी किए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि जहां भी लाभ अनुमत नहीं थे वसूली आरम्भ की गई है। अगली कार्रवाई एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के अनुसार की जाएगी। शुरू की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

(घ) स्किम्ड दूग्ध उत्पाद

शुद्धिपत्र दिनांक 23 अप्रैल 2008 के साथ पठित पीएन दिनांक 17 अप्रैल 2008 के अनुसार विविध उत्पाद (उत्पाद कोड 90) के क्रम सं. 22सी और 22डी तथा उत्पाद ग्रुप 'कैमिकल्स' (उत्पाद कोड 62) की डीईपीबी क्रम सं. 571 में दर्शाए गए 'छेना के सभी प्रकार' के अन्तर्गत 'स्किम्ड दूग्ध उत्पाद, छेना और अन्य दूसरे दूग्ध उत्पाद' के निर्यात पर डीईपीबी लाभ को 17 अप्रैल 2008 से 16 दिसम्बर 2008 तक किए गए लदान के लिए वापस ले लिया गया था। इस मद पर डीईपीबी लाभ को पीएन दिनांक 16 दिसम्बर 2008 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से फिर बहाल कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, मुम्बई ने 16 दिसम्बर 2008 से पहले किए गए लदान के लिए डीईपीबी दर अनुसूचि के क्रम सं. 571 के अन्तर्गत उत्पाद ग्रुप 'केमिकल्स' के तहत् 'एसिड छेना और दुग्ध प्रोटीन सान्द्रण 80 प्रतिशत' के निर्यात पर ₹ 44.79 लाख के शुल्क स्क्रिप हेतू चार लाइसेंस जारी किए थे, जोकि अनियमित था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आरए, मुम्बई ने लाभार्थी के समक्ष मांग उठाई है। अगली कार्रवाई एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरम्भ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

(ङ) फेरो मैंगनीज एच.सी

पीएन दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुसार, इंजीनियरिंग प्रोडक्स ग्रुप की क्रम सं. 327 के अन्तर्गत दर्शाए गए फेरो मैंगनीज पर डीईपीबी दर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। इस मद पर डीईपीबी

लाभ को पीएन दिनांक 14 नवम्बर 2008 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से फिर से बहाल कर दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, पुणे ने मै. नैचुरल शूगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि. को एक लाइसेंस जारी किया था और मई 2008 में निर्यातित, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ग्रुप की क्रम सं. 327 के अंतर्गत आने वाले 'फेरो मैंगनीज एच.सी' के निर्यात पर ₹ 2.66 लाख का शुल्क क्रेडिट दिया था, जोकि अनियमित था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) आरए, पुणे ने लाभार्थी से मांग उठाई है और फर्म को 12 नवम्बर 2013 को डीईएल सूची के अन्तर्गत रखा गया है। अगली कार्रवाई एफटी, (डीएण्डआर) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरंभ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

(च) गैर बासमती और बासमती चावल

पीएन दिनांक 27 मार्च 2008 के अनुसार, विविध उत्पाद के क्रम सं. 22सी और 22डी के अन्तर्गत 'गैर-बासमती चावल' पर डीईपीबी लाभ को 27 मार्च 2008 से तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएन दिनांक 3 अप्रैल 2013 के माध्यम से विविध उत्पाद के क्रम सं. 22सी और 22डी के अन्तर्गत 'बासमती चावल' पर डीईपीबी लाभ को 3 अप्रैल 2008 से स्थगित किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरए, दिल्ली ने डीईपीबी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2008 के दौरान गैर-बासमती और बासमती चावल के निर्यात पर ₹ 1.94 करोड़ के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए 28 लाइसेंस जारी किए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि मामलें समीक्षाधीन हैं और अद्यतन स्थिति की सूचना दी जाएगी।

4.6 भारत में निर्मित न किए गए माल की आपूर्ति के लिए डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

डीईपीबी दरों की अनुसूची (9 फरवरी 2004 में अधिसूचित) की डीईपीबी दरों के लिए सामान्य निर्देशों के क्रम सं. 1(ई) के अनुसार अनूसूचि में उल्लेखित डीईपीबी दरें विदेशी-मूल के माल के निर्यात पर लागू नहीं होगी जब तक कि इस माल का विनिर्माण या परिष्करण या जिस पर समान परिचालन भारत में न किए जाए।

विकास आयुक्त (डीसी), फालटा सेज ने 17 एसबीज़ के अन्तर्गत सेज़ यूनिट को सूती सूट (बुने हुए) की आपूर्ति के लिए एक घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) यूनिट मै. एक्सोटिका इंटरनेशनल को ₹ 74.84 लाख का शुल्क क्रेडिट अनुमत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसबीज पर पृष्ठांकित सीमा शुल्क अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 11 एसबीज़ के प्रति माल ओमान या कुवैत में विनिर्मित किए गए थे। चूंकि, माल का विनिर्माण भारत में नहीं किया गया था तो आपूर्तिकर्ता इन 11 एसबीज के प्रति आपूर्तियों के लिए डीईपीबी योजना के अन्तर्गत ₹ 50.16 लाख के शुल्क क्रेडिट का पात्र नही था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

4.7 सेज़ यूनिट को माल की आपूर्ति पर डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

एचबीपी खण्ड 1 पैराग्राफ 4.43, के अनुसार सेज यूनिट को डीटीए से आपूर्तियों के लिए डीईपीबी क्रेडिट हेतू एक आवेदन निर्धारित फार्म में बीआरसी सहित संबंधित आरए या डीसी को भेजा जा सकता है। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार सेज यूनिट/सेज़ विकासक/सह-विकासक को डीटीए यूनिट द्वारा आपूर्ति के मामलें में निर्यातक सेज़ सूनिट/सेज़ विकासक/सह-विकासक के विदेशी मूद्रा अकाऊंट से किए गए निर्यातों के लिए क्रेडिट हेतू आवेदन कर सकता है। तथापि, निर्यातक 10 फरवरी 2006 से प्राप्त आपूर्तियों के लिए सेज़-विकासक/सह-विकासक द्वारा भारतीय रूपये में किए गए भुगतान के मामले में डीईपीबी लाभ के लिए भी हकदार होगा।

डीसी, फालटा सेज़ ने सेज़ यूनिटों को माल की आपूर्ति के लिए सात डीटीए यूनिटों को जनवरी 2006 और जनवरी 2009 के बीच कुल ₹ 89.40 लाख के दस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स जारी किये। दावेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई बीआरसीज़ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सेज़ यूनिटों द्वारा किए गए भुगतान भारतीय मुद्रा में थे। चूंकि, केवल सेज़ विकासक/सह विकासक को भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति थी इसलिए सेज़ यूनिटों द्वारा किए गए ऐसे संव्यवहार डीईपीबी योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट की प्राप्ति के लिए हकदार नहीं थे। इसलिए, ₹ 89.40 लाख के शुल्क क्रेडिट का अनुदान अनियमित था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

4.8 निर्यातित डीईपीबी मदों के कुल भार की घोषणा न करने के कारण डीईपीबी क्रेडिट का अनियमित अनुदान

डीईपीबी अनुसूचि के अनुसार उत्पाद कोड 62/494 के तहत् निर्यातित नाइलोन टायरकोर्ड वार्प शीट या बाइल रबर टयूब्स के साथ या उसके बिना रियोन टायरकोर्ड शीट से सुद्दढ किए गए वाहन टायर ₹ 90 प्रति कि.ग्रा. (एफओबी मूल्य) की अधिकतम सीमा पर 10 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट के हकदार थें।

आरए, नई दिल्ली ने 43 हस्तलिखित एसबीज़ के आधार पर ₹ 54.86 लाख के लिए मै. मोदी टायर्स कम्पनी लि. को लाइसेंस जारी किया और डीईपीबी शुल्क क्रेडिट अधिकतम सीमा की लागू दर तक सीमित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एसबीज में डीईपीबी और गैर-डीईपीबी मदें निर्दिष्ट थी तथापि, निर्यातक ने अपने संबंधित कुल भार की घोषणा नहीं की थी और इसकी बजाए निर्यातित यूनिटों की कुल संख्या की गलत घोषणा की थी। चूंकि अधिकतम सीमा की गणना माल के कुल भार के आधार पर की जाती है, तब डीईपीबी मदों के कुल भार की किसी घोषणा के अभाव में विभाग ने आवेदन में निर्यातक द्वारा घोषित किए गए भार के आधार पर लाभ को स्वीकार किया और अनुदान प्रदान किया।

सुसंगत जानकारी के अभाव में दावे की सटीकता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आवेदनकर्ता ने स्वयं डीईपीबी आवेदन में भार की घोषणा की है किन्तु उसकी प्रति-जाँच नही की जा सकी थी। आरए, दिल्ली ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों के संबंध में सभी प्रविष्टियों कि सतर्कता पूर्वक जाँच करने में उपयुक्त सावधानी बरती जाएगी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसबी एक प्रमाणित अभिलेख है और विभाग केवल आवेदनकर्ता द्वारा दी गई घोषणा पर निर्भर नहीं रह सकता।

4.9 वसूली न गई निर्यात प्राप्तियों के प्रति शुल्क क्रेडिट का अनियमित अनुदान

एचबीपी, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.45 के अनुसार आरएलएज़ को ऐसे सभी मामलों की निगरानी रखना अपेक्षित है जहां स्क्रिप(एस) बीआरसी के बिना जारी की गई हैं और यह सुनिश्चित करना कि बीआरसी स्क्रिप(एस) जारी करने की तारीख से 12 माह के भीतर प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, एचबीपी के पैराग्राफ 2.25.3 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां आवेदनकर्ता क्रेडिट के सदृश अटल साख पत्र के प्रति शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन करता है और इसे निर्यात एवं वसूली के संगत बैंक प्रमाण पत्र में निर्यातक के बैंक द्वारा पालन और प्रमाणित किया गया है तो निर्यात से प्राप्ति के भुगतान को उद्दग्रहीत माना जाएगा। पदधारी के लिए क्रेडिट के अटल साख पत्र काफी होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो आरएज (नई दिल्ली और कोलकाता) के तीन मामलों में ₹ 5.48 करोड़ का शुल्क क्रेडिट निर्यात से प्राप्ति की वास्तविक वसूली के बिना दिया गया था। इसके अलावा, स्क्रिप्स वसूल न की गई निर्यात प्राप्तियों के प्रति बैंक प्रत्याभूति/विधिक शपथ प्राप्त न करके सरकारी राजस्व को सुरक्षित किए बिना जारी की गई थी।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि डीईपीबी मामलों के अन्तर्गत लम्बित वसूलियों की उच्चतम स्तर पर सतर्कतापूर्वक निगरानी की जा रही है। वसूली न करने के मामलें में समय-समय पर संशोधित एफटी

(डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। आरम्भ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

4.10 अग्रिम भुगतान पर डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी

विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) अधिनियम (फेमा) 2000 के खण्ड 16 के अनुसार जहां निर्यातक भारत से, बाहर के क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज सहित या बिना), प्राप्त करता है, वहां यह सुनिश्चित करना निर्यातक का दायित्व होगा कि माल का नौवहन अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर दिया गया हैं या जहां निर्यात करार अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए माल के नौवहन हेतू प्रावधान करता है, वहां निर्यातक को रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, कोच्ची ने आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त किए बिना जुलाई और अगस्त 2007 के दौरान प्राप्त ₹ 94.00 लाख के अग्रिम भुगतान के प्रति सितम्बर और दिसम्बर 2009 के बीच किए गए नौवहन के लिए निर्यातक को ₹ 0.70 लाख के डीईपीबी शुल्क स्क्रिप जारी किए थे, जोकि नियमानुसार नहीं थें।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीईपीबी योजना अब प्रचालन में नहीं है। जहां तक डीजीएफटी के प्रतिफल और वीकेजीयूवाई, एफएम़एस, एफपीएस जैसी प्रोत्साहन योजनाओं का संबंध है, लदान बिल केवल प्रतिफल के दावे के उद्देश्य को दर्शाते है और सही लाभ के अनुदान को सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी द्वारा जांच की जाती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि प्राधिकरण धारक को एससीएन जारी किया गए हैं।

डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग में डीईपीबी स्क्रिप्स के गलत अनुदान को समाप्त करने के लिए स्थगित अवधि के दौरान की गई निर्यात खेप को फिल्टर करने हेतू कोई नियंत्रण नहीं की है। आरम्भ की गई कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।

4.11 डीईपीबी लाभ की गलत मंजूरी

एफटीपी के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार एक निर्यातक स्वतंत्र रूप से विनिमय मुद्रा में किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य की विशेष प्रतिशतता पर क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे निर्यात उत्पादों पर क्रेडिट पीएन के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट दरों के प्रति उपलब्ध होगा। इसके अलावा, डीईपीबी दरों के लिए सामान्य निर्देशों के अनुसार, जहां भी कोई विशेष दर डीईपीबी दर सूची के अन्तर्गत विशेष मद के लिए मौजूद है, वहां उस मद को डीईपीबी दर सूचि के सामान्य विवरण के तहत् कवर नही किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि क्या आरएज यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहे थे कि शुल्क क्रेडिट की गणना अधिसूचित दरों के अनुसार और इसकी तरफ से दिए गए प्रावधानों के अनुसार सही रूप से की गई थी। निम्नलिखित मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिक शुल्क क्रेडिट के लाइसेंस जारी किए गए थे।

(I) माल का गलत वर्गीकरण और डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

डीईपीबी शुल्क क्रेडिट अधिसूचित दरों पर विशेष माल के निर्यात पर वांछनीय है। लेखापरीक्षा में देखा कि दो मामलों में, निर्यातित माल का गलत वर्गीकरण किया गया था और डीईपीबी क्रेडिट गलत रूप से दिए गए थे।

(क) मत्स्य और मत्स्य उत्पाद

उत्पाद ग्रुप 66 (मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) में क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत जीवित या शीतित या सुखाए गए रूप में समुद्री या ताजे पानी के मत्स्य, क्रस्टेशन, सीप, जलीय, अकशेरूकीय और कोई जलीय प्राणी उत्पाद डीईपीबी क्रेडिट के 4 प्रतिशत के योग्य हैं जबकि शीतित रूप में समुद्री या ताजे पानी के मत्स्य, क्रस्ट्रेशन, सीप, जलीय, अकशेरूकीय और कोई जलीय प्राणी उत्पाद 12 जुलाई 2007 (पीएन 17 आरइ 2007) से उत्पाद ग्रुप 66 (मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) में क्रम सं. 2 के अन्तर्गत 8 प्रतिशत डीईपीबी क्रेडिट के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, पीएन 69 दिनांक 28 मई 2010 सुखाए गए रूप में मत्स्य, क्रस्टेशन आदि के लिए ₹ 131/कि.ग्रा. के मूल्य अधिकतम सीमा को निर्धारित करता हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, कोच्ची ने उपरोक्त उत्पाद ग्रुप 66 की क्रम संख्या 2 के तहत् वर्गीकरण करके 'फ्रिज ड्राइड़ श्रिम्प के निर्यात हेतू दो निर्यातकों को 8 प्रतिशत की दर पर डीईपीबी क्रेडिट दिया था। निर्यातित माल क्रम सं. 1 के तहत् सही रूप से वर्गीकरण योग्य है और इस प्रकार यह निर्यातों के एफओबी मूल्य के 4 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट का पात्र था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ तक के डीईपीबी क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि मामले को आरए, कोच्ची द्वारा डीजीएफटी को भेजा गया है। डीईपीबी समिति में प्रशासनिक मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले तकनीकी सदस्यों के साथ परामर्श के लिए यह मामला विचाराधीन है।

(ख) हॉट रोल्ड स्टील शीट्स

आरए, कोलकाता ने अप्रैल 2005 में कोलकाता (समुद्री पोर्ट) के माध्यम से निर्यातित ₹ 13.81 करोड़ के एफओबी मूल्य हेतू जी.पी. कॉइल के निर्यात पर ₹ 67.82 लाख के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए। निर्यातक को ₹ 30.50/कि.ग्रा. की अधिकतम मूल्य सीमा के साथ 4 प्रतिशत की दर पर उत्पाद कोड 61 की क्रम सं. 329 के तहत् डीईपीबी की अनुमत की गई थी।

दावे के साथ प्रस्तुत किए गए निर्यात दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि एसबी में निर्यात मद का ब्यौरा 'कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स' था जो उसे सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 7208 5190 के तहत् वर्गीकृत करता है जोकि 'हॉट रोल्ड स्टील शीट्स आदि' से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, बीजकों और बीआरसी मे निर्यात उत्पाद को 'हॉट डिप्ड गेलवेनाइज्ड स्टील कॉइल' के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन, विभिन्न निर्यात दस्तावेजों में निर्यात मद के विवरण में असहमति के बावजूद उच्च दर पर डीईपीबी क्रेडिट 'कोल्ड रोल्ड गलवेनाइज्ड नोन एलोय स्टील शीट्स' आदि के रूप में उत्पाद कोड 61 की क्रम सं. 329 के अनुसार अनुमत किया गया था।

वास्तविक निर्यात मद की जांच के बिना उच्च दर पर डीईपीबी क्रेडिट देने के जोखिम की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आरए, कोलकाता ने मामले के नियमन के लिए दस्तावेजों को सही साबित करने के लिए फर्म से पूछा है और मामले को शीघ्र निपटाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई है।

(II) निर्यातों की 'नाकारात्मक सूची' के अन्तर्गत मदों पर शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

निर्यात के लिए अनुमत माल के ब्यौरे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 2 और 3, दिनांक 31 अगस्त 2004 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत व्यापार वर्गीकरण की अनुसूची 2, निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण में दिए गए है। निर्यात नीति की सामान्य टिप्पणियों के पैराग्राफ 3ए के अनुसार- उपरोक्त अनुसूची 2 की प्रतिबद्धता के तहत् निषिद्ध माल, की मदों को निर्यात करने की अनुमति नही दी जायेगी और निर्यात प्राधिकरण निषिद्ध माल के लिए सामान्य अवस्था में प्राधिकरण नहीं दिया जाएगा।

आईटीसी एचएस कोड के उप-शीर्ष कोड 0713 के तहत् आने वाले दलहनों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 15 दिनांक 27 जून 2006 के माध्यम से भारत द्वारा निर्यातों की 'नकारात्मक सूची' में रखा गया था और निर्यातों के लिए निषिद्ध किया गया था। उपरोक्त प्रतिबंध दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध को डीजीएफटी अधिसूचना सं. 38, दिनांक 25 मार्च 2013 के माध्यम से 31 मार्च 2014 तक बढाया गया था।

आरए, चेन्नई ने वर्ष 2007-08 के दौरान दलहन के निर्यात के लिए ₹ 1.12 लाख के डीईपीबी शुल्क क्रेडिट जारी किए। इसी प्रकार, ₹ 2.05 लाख के एफओबी मूल्य सहित दलहन के 11 दूसरे लदानों की डीईपीबी पश्च-निर्यातों के तहत् चेन्नई सीपोर्ट पर अनुमति दी गई थी, जब उपरोक्त प्रतिबंध लागू था।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि उन परिस्थितियों की जांच की जा रही है जिनके अन्तर्गत ऐसे निर्यात की अनुमति दी गई थी और चेन्नई में निर्यातक से वसूली कर ली गई है।

4.12 अयोग्य मदों पर डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

डीईपीबी योजना के अन्तर्गत, स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में, निर्यातों के एफओबी मूल्य की विशेष प्रतिशतता के रूप में क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। क्रेडिट ऐसे उत्पादों और डीजीएफटी द्वारा पीएन के माध्यम से जारी दरों से उपलब्ध होगा। यह दरें निर्यात उत्पाद पर लागू एसआईओएन में सूचिबद्ध इनपुटों पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क की गणना पर आधारित थी। डीईपीबी दरों हेतू सामान्य निर्देशों के अनुसार जहां भी डीईपीबी दर सूची के तहत विशेष मद के लिए कोई विशेष दर मौजूद है वहां मद को डीईपीबी दर सूची के किसी सामान्य विवरण के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः आरएज ने सात मदों के निर्यात पर 172 लाइसेंस जारी किए थे, जिन्हें डीईपीबी अनुसूची में शामिल नही किया गया है। आरएज, नई दिल्ली और हैदराबाद में देखें गए दो मामलों में शुल्क क्रेडिट के गलत अनुदान के ब्यौरों की कमी के कारण गणना नहीं की जा सकी थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एमइपीजेड़) – सेज़ (चेन्नई) और आरएज़ पूणे, नई दिल्ली, कोलकाता और बैंगलुरू में ₹ 1.12 करोड़ के 176 डीईपीबी स्क्रिप्स सात मदों (प्रमुख शाखा के पूर्वनिर्मित भाग, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, बिना बीज के रीठा, आईजीएल – 5060 मोनो इथाइल ग्लाइकोल, फ्रोजन पील्ड फिर पकाए गए पीयूडी झींगा, मैनिप्युलेटर, रोटेटर, हाइड्रोलिक फिटअप स्टेशन और वेल्डिंग रोटेटर तथा कांच की बोतलो में पैक की गई कॉफी) के लिए दिए गए थे जोकि डीईपीबी अनुसूची में शामिल नहीं थे और इस प्रकार डीईपीबी शुल्क क्रेडिट के अनुदान के पात्र नहीं थे।
- डीईपीबी अनुसूचि के अनुसार उत्पाद ग्रुप 62 का उत्पाद क्रम संख्या 519 'सौन्दर्य क्रीम' को कवर करता है। ₹ 6.58 लाख के सात डीईपीबी लाइसेंस जारी करते समय आरए, नई दिल्ली में डीईपीबी योजना के तहत् लाभ की गणना के लिए सौंदर्य क्रीम के साथ गैर-डीईपीबी मदों अर्थात टोनर, क्लिंजर, आई लाईनर, कंडिशनर, शैम्पू, नेल इनेमल, साबुन और काजल पर भी विचार किया गया था। डीईपीबी क्रेडिट की

गणना करते समय आरए, नई दिल्ली द्वारा निर्यातित माल से इन मदों को हटाने में चूक के कारण डीईपीबी क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ। सीमा शुल्क प्राधिकरण भी डीईपीबी के तहत् लाभ के दावे हेतू ऐसे उत्पादों को नामंजूर करने में विफल रहा।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि दिल्ली में वसूली ज्ञापन जारी कर दिया गया है। पुणे में, फर्म को अस्वीकृत सत्वों की सूची (डीईएल) में रखा गया है और एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गई है जबकि कोलकाता में मामलें को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

4.13 समय बाधित दावे पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान

एचबीपी, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.46 के अनुसार दावा किए गए लदान के संबंध में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यातों की तारीख से बारह माह की अवधि या डीजीएफटी वेबसाईट के अप-लिंकिंग की तारीख, या शिपिंग बिल की प्रिंटिंग/निर्गम की तारीख से तीन माह के अन्दर, जो भी बाद में हो, दर्ज की जाएगी।

डीसी, फालटा सेज़ ने नवम्बर 2003 और मई 2005 के बीच एलईओ तारीख के साथ एसबीज़ के लिए जुलाई 2005 और जून 2008 के बीच किए गए दावों के लिए ₹ 50.51 लाख के शुल्क क्रेडिट के साथ पाँच डीईपीबी लाइसेंस दिए। चूंकि आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा के निकल जाने के बाद दर्ज किए गए थे तब यह समय बाधित बन गए थे और इस प्रकार डीईपीबी शुल्क क्रेडिट के अनुदान के लिए पात्र नही थे।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि 7 आरएज़ (अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलुरू, कानपुर और देहरादून) और 02 सेजों (फालटा और कांडला) में 70 मामलों में ₹ 25.93 लाख के अधिक डीईपीबी क्रेडिट लेट-कट के गैर/गलत अधिरोपण के कारण दिए गए थे।

इंगित किए जाने के बाद (मई/जून 2013) आरए, अहमदाबाद ने बताया (जुलाई 2013) कि जवाब जांच के बाद भेजा जाएगा। डीसी, कांडला, विशेष आर्थिक जोन (कासेज़) गांधीधाम ने उत्तर दिया (जून 2013) कि वसूली, यदि कोई है, दस्तावेजों की उचित संवीक्षा के बाद की जाएगी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, नई दिल्ली ने पांच शिपिंग बिलों के दो मामलों में ₹ 0.98 लाख के अधिक लेटकट का उदग्रहण किया, यद्यपि आवेदन उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में दर्ज किए गए थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आरए, नई दिल्ली और हैदराबाद के मामलों में स्क्रिप्स सही रूप में जारी की गई थी क्योंकि आवेदन बीआरसी के अनुसार वसूली की तारीख से छः माह के भीतर दर्ज किए गए थे और दिल्ली के एक मामलें में वसूली शुरू कर दी गई। समान वसूली कार्रवाई आरए, बैंगलुरू में भी शुरू की गई है और कानपुर ने भी वसूली कार्य आरम्भ कर दिया है तथा आरए, जयपुर में भी वसूली की गई है।

4.14 तीसरे पक्ष के निर्यातों पर शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान

एफटीपी के पैराग्राफ 2.34 के अनुसार जैसे कि अध्याय 9 में परिभाषित है तीसरे पक्ष के निर्यातों को एफटीपी के अन्तर्गत अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 9.62 के अनुसार 'तीसरा पक्ष निर्यातों' का अभिप्राय निर्यातक (कों) की तरफ से निर्यातक या विनिर्माता द्वारा किया गया निर्यात है। ऐसे मामलों में एसबीज़ जैसे निर्यात दस्तावेज विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और अन्य पार्टी निर्यातक (कों) दोनो के नाम स्पष्ट करेगा। बीआरसी, जीआर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक तीसरा पक्ष निर्यातक के नाम पर होने चाहिए।

आरए, कोलकाता ने 'पोल लाइन हार्डवेयर फिटिंग्स और सहायक सामग्री' के निर्यात के लिए नवम्बर 2010 में मै. एस्बेस्कों (इंडिया) प्रा. लि. को ₹ 75.49 लाख के हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए थे। डीईपीबी क्रेडिट के दावे जनवरी और मार्च 2009 के बीच 20 एसबीज़ के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. फेडर्स लॉयड कारपोरेशन लि. निर्यातक था जबकि मै. ऐस्बेस्को (इंडिया) लि. तीसरा पक्ष निर्यातक था। तथापि, न तो मै. एस्बेस्को (इंडिया) के नाम में बीआरसीज़ थी न ही फर्म के नाम कोई अनुमोदन था। तथापि, आरए कोलकाता, ने ₹ 75.49 लाख के लिए डीईपीबी स्क्रिप दिए थे जो नियमों का उल्लंघन है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि तीसरा पक्ष का अनुमोदन बीआरसीज़ में पृष्ठांकित कर दिया गया है। डीजीएफटी का जवाब सही नहीं है क्योंकि मै. फेडर्स लॉयड कारपोरेशन लि. के पत्र में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बीआरसीज़ में तीसरा पक्ष निर्यातक का अनुमोदन प्राप्त नही है।

डीजीएफटी ने उचित व्याख्या को सुनिश्चित करने और योजना के तहत् लाभ के गलत अनुदान के लिए योजना की शर्तों को स्पष्ट रूप से नहीं बनाया था।

4.15 डीईपीबी योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को अनुचित लाभ

एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार डीजीएफटी एफटी (डीएण्डआर) अधिनिमय, उसके तहत् बनाए गए नियमों और आदेशों एवं एफटीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक निर्यातक अथवा आयातक अथवा किसी लाइसेंस अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने हेतू प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाएँ पीएन के माध्यम से प्रकाशित की जानी चाहिए तथा समय समय पर उसी ढंग से संशोधित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यातकों को कोई अनुचित लाभ प्रसारित नही किया गया था, विभिन्न मदों पर डीईपीबी लाभ के प्रत्याहार तथा प्रत्यावर्तन हेतु डीजीएफटी द्वारा जारी किये गए पीएनस् की संवीक्षा की। जारी किये गए पीएनस् में कमियों के कारण अनुचित लाभ के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए थे।

(क) अन्तर्विराधी अधिसूचनाओं के कारण सूती कपड़े के निर्यातको को अनुचित लाभ

सूती कपड़े के निर्यात पर पूर्ववर्ती प्रभाव से लाभ के प्रत्याहार हेतु पीएन दिनॉक 31 मार्च 2011 जारी करते समय, डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 'जब

सरकार की इच्छा विशिष्ट वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहित करने की नही है, ऐसी वस्तु पर डीईपीबी लाभ इसकी इच्छा का विरोधाभासी होगा।'

' मीलेंज धागें सहित सूती धागे' के निर्यात पर डीईपीबी लाभ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के साथ दिनॉक 21 अप्रैल 2010 के पीएन द्वारा वापिस ले लिया गया था। 'मीलेंज धागे सहित सूती धागे' पर निर्यात लाभ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के लिए दिनॉक 4 अगस्त 2011 के पीएन द्वारा फिर से लागू कर दिया गया था। इसी तरह, सूती कपड़े पर निर्यात लाभ 1 अक्तूबर 2010 से प्रभावी होने के साथ दिनांक 4 अगस्त 2011 के पीएन द्वारा फिर से लागू कर दिया गया था। अत: लाभ को वापस लेने के साथ-साथ करके अलग अलग तिथियों से दोनों मदों पर डीईपीबी लाभ को पूर्वप्रभाव से फिर से लागू करने से ना केवल इन दोनो मदों के निर्यात को निरूत्साहित करने की सरकार की मंशा विफल हुई परन्तु सूती कपड़े के निर्यातकों को छह महीने तक अनुचित लाभ भी दिया गया।

आरए मुम्बई ने, नवम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक कपास के निर्यात हेतू सात निर्यातकों को ₹ 17.03 करोड़ मूल्य के 47 लाइसेंस जारी किये थे।

अत:, दिनांक 4 अगस्त 2011 के पीएन 68 को जारी करना दिनांक 31 मार्च, 2011 के पीएन में व्यक्त की गई सरकार की मंशा विरोधाभासी था, एवं सूती कपड़े के निर्यातकों को अनुचित लाभ दिया गया।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि दो विभिन्न तिथियों पर कपास एवं सूती धागे के निर्यात पर डीईपीबी लाभ की बहाली नीतिगत मामला है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि सूती धागे पर प्रोत्साहन की बहाली (अप्रैल 2011) से पहले कपास पर डीईपीबी की वापसी (अक्तुबर 2010) दिनांक मार्च 2011 के पीएन द्वारा सूती धागे के साथ सूती कपड़े पर प्रोत्साहन की वापसी की मंशा के विरूद्ध था। यह ये भी दर्शाता है कि नीति कार्यान्वयन में अनिरन्तरता थी।

(ख) बासमती चावल के निर्यातको को अनुचित लाभ

कैबीनेट सचिवालय ने 27 मार्च 2008 को चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया एवं तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के चावल पर निर्यात प्रोत्साहन के वापसी का आदेश दिया। डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा तत्काल प्रभाव (27 मार्च 2008) से गैर-बासमती चावल पर विविध उत्पादों के क्रम सं. 22सी तथा 22डी के तहत डीईपीबी लाभ के स्थगत हेतु पीएन दिनांक 27 मार्च 2008

जारी किया गया था। तथापि, बासमती चावल पर लाभ की वापसी हेतु ज्ञापन सात दिनों की अवधि का अंतराल करते हुए दिनांक 3 अप्रैल 2008 को ही जारी किया गया था, फलस्वरूप 27 मार्च 2008 से 2 अप्रैल 2008 तक की अवधि के लिए बासमती चावल के निर्यातकों को अनुचित लाभ मिला।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो आरए (नई दिल्ली एवं मुम्बई) ने 27 मार्च 2008 से 2 अप्रैल 2008 के दौरान बासमती चावल के निर्यात पर ₹ 3.92 करोड़ मूल्य के 25 लाइसेंस जारी किये थे।

इसी प्रकार, बासमती चावल पर निर्यात प्रोत्साहन की वापसी के जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप बासमती चावल के निर्यातको को ₹ 3.92 करोड़ तक का अनुचित लाभ हुआ।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) बताया कि गैर-बासमती चावल का डीईपीबी लाभ वाणिज्यिक सचिव के मौखिक निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक ज्ञापन सं. 130 दिनांक 27.03.2008 द्वारा वापिस लिया गया था। सभी प्रकार के चावल पर डीईपीबी लाभों की वापसी हेतु कैबीनेट सचिवालय से लिखित सूचना डीजीएफटी में 31.03.2008 को ही प्राप्त हुई थी। अतः बासमती चावल पर डीईपीबी लाभों की वापसी हेतु सार्वजनिक ज्ञापन सं. 137 तथागत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन के साथ, आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद 03.04.2008 को जारी किया गया था।

तथ्य यह है कि बासमती चावल पर प्रोत्साहन की वापसी वाले पीएन के जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ।

4.16 अयोग्य निर्यातकों को लाभ

विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 का नियम 7 आरए को नये लाइसेंस प्रदान करने से मना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि आवेदनकर्ता ने सीमा शुल्क/एफटीपी की किसी विधि/विनियम का उल्लंघन किया हो। एक बार असम्मति आदेश (आरओ) जारी होने पर, सत्तव का नाम डीईएल में लिखा जाएगा जो लाईसेंस धारक को कोई नया लाईसेंस प्राप्त करने से वंचित करता है।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि आरएज यह सुनिश्चित करने के लिए कि चूककर्ताओं को अथवा योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य आवेदन कर्त्ताओं को लाइसेंस जारी नही किये गए थे, जॉच-पड़ताल कर रहे थे। निम्नलिखित उदाहरणों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंस अयोग्य निर्यातकों को जारी किये गए थे।

(क) असम्मति आदेश के बावजूद लाईसेंस जारी किए गए

आरए अहमदाबाद, जयपुर, बैंगलोर ने निर्यातकों को आरओज जारी किये जाने तथा निर्यातकों को आरएज में अनुरक्षित डीईएल में रखे जाने के बावजूद अस्थाई रूप से एक छोटी अवधि के लिए चूककर्त्ताओं के नाम को डीईएल से हटाने के लिए आरओज के विरूद्ध स्थगन आदेश (एओ) जारी करने के बाद ₹ 127.51 करोड़ की राशि के डीईपीबी स्कराईप जारी किये थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक लाइसेंसधारक जिसका नाम डीईएल में रखा गया है, के प्रति एओ जारी करने हेतु एफटीपी में कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, लाइसेंस जारी करने को सरल बनाने हेतु निर्यातकों के पक्ष में एओज बार बार जारी किये जा रहे थे। आरओं की शर्तों का अनुपालन किये बिना जारी किये गए एओज ने लाइसेंस धारक को डीईएल के तहत रखे जाने के मूल उद्देश्य तथा एफटी (डी एवं आर) अधिनियम के प्रावधानों को विफल किया।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि प्रतिबन्धित सत्तव सूची (डीईएल) हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 31 दिसम्बर 2003 विदेशी व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियम 7 के तहत दिए गए हैं जो कहते हैं कि फर्म को डीईएल में रखने वाला एक प्राधिकारी एक व्यक्त आदेश द्वारा फर्म को डीईएल से हटा भी सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि एओज को वैधानिक बनाने हेतु विधान में कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) अयोग्य निर्यातक का जारी किया गया लाइसेंस

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए, अहमदाबाद ने मैसर्ज मेघमणि आर्गेनिक्स लि. को अपने दिनांक 5 जनवरी 2012 के आदेश द्वारा प्रतिबन्धित सत्तव सूची (डीईएल) के तहत रखा था। जब निर्यातक ने शुल्क सक्राईप हेतु आवेदन किया तो आरए, अहमदाबाद ने यह कहते हुए कि "फर्म डीईएल में थी परन्तु चूकवश डीईपीबी लाइसेंस पहले से ही टाईप हो गया है," ₹ 64.97 लाख राशि का डीईपीबी लाईसेंस जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.97 लाख के डीईपीबी लाईसेंस की अनियमित मंजूरी दी गई।

मामलों के विश्लेषण से पता चला कि एक अकेले असम्मति आदेश के विरूद्ध 10 से भी अधिक स्थगन परिपत्र जारी किये गए थे, परिणामस्वरूप नये लाइसेंसों को जारी करना सरल हो गया।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि प्रतिबन्धित सत्तव सूची (डीईएल) हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 31 दिसम्बर 2003 विदेशी व्यापार

(विनियम) नियमवली, 1993 के नियम 7 के तहत दिए गए हैं जो कहते है कि फर्म को डीईएल में रखने वाला एक प्राधिकारी एक व्यक्त आदेश द्वारा फर्म को डीईएल से हटा भी सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि उन शर्तों को पूरा किये बिना जिनके लिए असम्मति आदेश जारी किया गया था, स्थगन आदेशों को जारी करना,एक लाइसेंसधारक को डीईएल के तहत रखने के मूल उद्देश्य को विफल करता है।

4.17 डीईपीबी लाभ का अधिक अनुदान

एचबीपी खण्ड 1 का पैराग्राफ 4.38 निर्धारित करता है कि डीईपीबी दरें, जैसी डीजीएफटी द्वारा पीएन के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, एफओबी मूल्य अथवा जहाँ अधिकतम सीमा विद्यमान हो, जो भी न्यूनतम हो, पर लागू होगी।

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या आरएज ने सुनिश्चित करने के लिए कि डीईपीबी शुल्क क्रेडिट की सही ढंग से गणना की जा रही थी, जांच पड़ताल की थी। निम्नलिखित उदाहरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिक लाभ का अनुदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ आरएज में (जयपुर, हैदराबाद, कटक, बैंगलोर, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम, कोच्ची तथा तिरूवनत्तपुरम) 44 मामलों में ₹ 1.54 करोड़ की राशि का डीईपीबी शुल्क क्रेडिट वॉछनीय एफओबी मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर डीईपीबी दर को लागू करने के कारण हकदारी से अधिक अनुदान हुआ था।

एक उदाहरण में यह देखा गया कि आरए, बैंगलोर ने गलती से ₹ 0.57 लाख के बजाय ₹ 57.53 लाख के रूप में शुल्क हकदारी की गणना करते हुए ₹ 56.96 लाख का अधिक डीईपीबी लाईसेंस जारी किया था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचित मामलों में कार्यवाही प्रारंभ की है। की गई कार्यवाही लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

4.18 एक डीटीए यूनिट द्वारा एक सेज युनिट/सेज विकासक/ सह-विकासक को आपूर्ति के मामले में डीईपीबी स्क्रीपस जारी करने की प्रणाली

एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.43 बी की शर्तों के अनुसार, डीटीए से सेज को की गई आपूर्तियोंके लिए क्रेडिट के अनुदान हेतु आवेदन डीटीए यूनिट अथवा सेज युनिट द्वारा किया जा सकता है। डीटीए यूनिट संबंधित आरए अथवा डीसी से लाभ का दावा कर सकती है। ऐसे मामलें मे जहाँ दावे आरए के पास दर्ज

किये गए हैं, डीटीए यूनिट को लाभ संस्वीकृत करते समय, हुए निर्यात दस्तावेजों के विवरण के साथ संबंधित डीसी को सूचना की एक प्रति पृष्ठाँकित करेगा।

तथापि, यह पाया गया था कि आरए, चेन्नई ने ऊपर दर्शायी गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना एक सेज विकासक को की गई आपूर्तियों के लिए एक डीटीए यूनिट को ₹ 1.18 करोड़ मूल्य की तेरह डीईपीबी स्क्रीपस का अनुदान किया था। समान अभ्युक्तियां आरए, कोलकाता में भी देखीगई थी।

इसे बताए जाने पर आरए चेन्नई ने बताया कि अधिकतर फाइलों में उनका कार्यालय संबंधित डीसी, सेज को सूचना की एक प्रति पृष्ठाँकित करता है, एवं कुछ मामलों में यह भूलवश नही किया गया था। आरए, कोलकाता से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

4.19 निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये बिना शुल्क क्रेडिट स्क्रीपस जारी करना

एएनएफ4जी (एचबीपी 2009-14) के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीईपीबी आवेदन के साथ आवेदन शुल्क, निर्यात के बिल की ईपी प्रति तथा आपूर्तिकर्त्ता को किये गए भुगतान के साक्ष्य में बीआरसी अवश्य होने चाहिए।

डीसी, कासेज, गाँधीधाम ने मैसर्ज पीपावाब शिपयार्ड लि. (अमरेली) को 'निर्यात के बिल की ईपी प्रति' के स्थान पर निर्यात के बिल की 'विनिमय नियंत्रण प्रति' जमा कराने पर डीईपीबी लाईसेंस जारी किया। इसके परिणामस्वरूप वैध दस्तावेजों के बिना ₹ 15.96 लाख के लिए डीईपीबी लाईसेंस का अनियमित अनुदान हुआ।

आरए, कोयम्बटूर ने दिनांक 12.01.2012 के नीति परिपत्र के तहत अपेक्षित था, यह शपथ प्राप्त किये बिना कि 'निर्यातक ने ईपीसीजी के तहत किये गए निर्यात के लिए शिपिंग बिल के तहत किये गए निर्यात पर कोई छूट/निष्प्रभावीकरण लाभ प्राप्त नहीं किया है' ₹ 1.13 करोड़ राशि का डीईपीबी शुल्क क्रेडिट जारी किया था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि आरए, कोयम्बटूर द्वारा जारी किये गए डीईपीबी के मामले में फर्म ने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा डीसी, कासेज द्वारा जारी किये गए डीईपीबी के मामले में फर्म को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा फर्म से उत्तर की प्राप्ति होने पर कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4.20 डीईबीपी लाइसेंस जारी करने में विलम्ब

एचबीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 9.11 के अनुसार, आरए शीघ्रता से 3 दिन के अन्दर डीईपीबी आवेदन का निपटान करेगा बशर्ते यह हर तरह से पूरा हो एवं निर्धारित दस्तावेजों सहित हो।

डीसी, कासेज, गाँधीधाम ने 1 दिन से 103 दिनों के विलम्ब से 20 डीईपीबी लाईसेंस जारी किये। इसके अतिरिक्त, लाईसेंस जारी करने में हुए विलम्ब के लिए कोई कारण नही दर्शाया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2013) डीसी, कासेज, गाँधीधाम ने उत्तर दिया (जून 2013) कि विलम्ब मंत्रालय संबंधी स्टाफ की कमी के कारण था एवं सरकारी राजकोष को कोई हानि नहीं हुई थी।

स्टाफ की कमी से संबंधित विभाग का उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि उनके पास पूरी मानव शक्ति विद्यमान है।

4.21 पुष्ट मांग की वसूली में विलम्ब

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142(ग)(i) के अनुसार जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य राशि का भुगतान उपरोक्त धारा की उप-धारा (क) एवं (ख) के तहत कार्यवाही प्रारंभ करके नहीं किया जाता, तो सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क ऐसे व्यक्ति से प्राप्य राशि को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकता है एवं उस जिले के कलैक्टर को भेज सकता है, जहाँ वह व्यक्ति रहता है अथवा अपना व्यापार करता है अथवा किसी सम्पति का स्वामी है, एवं उक्त कलैक्टर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उस व्यक्ति से उसके तहत विनिर्दिष्ट राशि वसूल करने हेतु इस प्रकार कार्यवाही करेगा जैसे यह भूमि राजस्व का बकाया हो।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2010 में ₹ 22.17 लाख (₹ 3 लाख की शास्ति सहित) वाले तीन पुष्ट माँग वाले मामले सीमाशुल्क सदन, काण्डला में बकाया थे। सभी तीनों मामलों में सितम्बर 2010 में धारा 142(ख) के तहत नजरबन्दी ज्ञापन जारी किये गए थे एवं जनवरी 2012 में अनुवर्ती अनुस्मारक जारी किये गए थे। तथापि, अब तक (जुलाई 2013) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142(ग) के तहत माँग की वसूली हेतु कोई आगामी कार्यवाही नहीं की गई थी। इसे इंगित किए जाने पर, सीमाशुल्क सदन, काण्डला ने बताया (सितम्बर 2013) कि नजरबन्दी ज्ञापन जारी किये गए थे। इसके अतिरिक्त

मामला संबंधित आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद के साथ उठाया गया है एवं सरकारी प्राप्य राशियों की वसूली हेतु वसूली दल नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

- डीआरआई, चैन्नई ने एक फर्म के विरूद्ध 'स्टार्च पाउडर' को 'ओमीपेराजोल' के रूप में गलत उदघोषणा करके ताकि डीईपीबी के तहत लाभ प्राप्त किया जा सके, निर्यात करने के लिए एक मामला बुक किया। तदनुसार, आईसीडी, हैदराबाद ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114 (iii) के तहत ₹ 5 लाख तथा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112(क) के तहत ₹ 2.5 लाख की शास्ति लगाई एवं इसकी अभी वसूली की जानी शेष है। मैसर्ज हेल्पलाईन के संबंध में ₹ 1 करोड़ तथा मैसर्ज मेंजदा इन्टरनेशनल के संबंध में ₹ 1 करोड़ के बकाया की वसूली भी प्रतीक्षित थी।
- आरए, नई दिल्ली ने अधिकतम सीमा के गलत लागू करने के कारण ₹ 4.07 लाख राशि के अधिक शुल्क क्रेडिट के 9 मामलों की सूचना दी एवं इसकी वसूली मार्च 2014 तक प्रतीक्षित थी।

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि काण्डला सीमा शुल्क ने सूचित किया है कि सरकार को प्राप्य राशियों की वसूली की चरणवार प्रक्रिया के एक भाग के नाते, तीन मामलों में नजरबन्दी जारी किये गए हैं तथा तीन मामलों में लुधियाना (1 मामला) तथा राजकोट (2 मामले) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भी ले जाया गया है जहाँ के पते दर्शाए गए थे। प्रमाणपत्र कार्यवाही भी प्रारंभ की गयी थी जो लागू नहीं की जा सकती क्योंकि अब तक कोई सम्पत्ति चिन्हित नहीं की गई थी। आईसीडी, हैदराबाद ने सूचित किया कि मैसर्स पर्ल फार्मा के मामले में, जहाँ ₹ 5 लाख की शास्ति तथा ₹ 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया था, वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की गई थी किन्तु चूककर्त्ता पता लगाने योग्य नहीं हैं। मैसर्ज हेल्प लाईन के मामले में, ₹ 20.50 लाख जमा कराए जाने पर सेसटेट, बैंगलोर ने स्थगन प्रदान किया है। मैसर्ज, मेजदा इन्टरनेशनल के मामले में, ₹ 20.50 लाख जमा करायें जाने पर, सेसटेट, बैंगलोर द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) बताया कि दिल्ली में केवल तीन मामले लम्बित हैं। प्रारंभ की गई कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को दी जा सकती है।

सिफारिश: *नीति कार्यान्वयन मुद्दों और परिचालन दोषों के मामले में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि एफटी (डी एवं आर) अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।*

5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 28 आरएज, सात सेजज तथा 31 सीमा शुल्क बन्दरगाहों में हस्त लिखित के साथ इडीआई वातावरण दोनों में नीति कार्यान्वयन मुद्दें तथा परिचालन दोष के मामले देखे। इसे डीजीएफटी का पारितोषिक के कार्यान्वयन तथा प्रोत्साहन योजना हेतु आरएज/सीमाशुल्क/बंदरगाहों की कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली ने और बढ़ा दिया। योजना के कार्यान्वयन, निगरानी तथा अनुपालन में कमियाँ थीं जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया था। उपायों तथा विभाग द्वारा सभी पारितोषिक तथा प्रोत्साहन योजनाओं हेतु जारी की गई चेतावनियों पर तुरन्त कार्यवाही करने के संबंध में डीजीएफटी/सीमाशुल्क तथा आरबीआई के बीच समन्वय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं। डीजीएफटी को नीतिगत प्रावधानों की विभाग से प्राप्त आनलाईन डाटा की समीक्षा करने तथा इडीआई माड्यूल पर डाटा आवश्यकताओं को संशोधित करने की आवश्यकता है। डीईपीबी क्रेडिट शुल्क के वास्तविक भार से नही मिलते थे तथा सीएजी की पिछली रिपोर्टो के बावजूद योजना कार्यान्वयन समान नीति अपनिर्वचनो तथा खराब कार्यप्रणाली में फँसा रहा। डीजीएफटी ने योजना की निष्पादन रणनीति के संबंध में इसकी प्रभावशीलता का कोई परिणाम स्वरूप आकलन नहीं किया था एवं ना ही लाभार्थियों को होने वाले वित्तीय लाभों तथा आयात शुल्क निष्प्रभावीकरण पर योजना के कार्यान्वयन से पहले राजस्व प्रभाव आकलन किया था।

अन्य स्पष्टीकरणों के अलावा डीजीएफटी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) बताया कि लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष कि योजना का प्रारम्भ करते समय योजना की प्रभावशीलता का कोई परिणाम आकलन नहीं किया गया था एवं न ही निर्धारित किए गए परिणाम की तुलना में प्राप्त किए गए परिणाम के विश्लेषण हेतु बीच में कोई राजस्व प्रभाव निर्धारण किया गया था, को नोट कर लिया गया है एवं भविष्य में सभी योजनाओं के लिए इसका अनुपालन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा का विचार है कि जब योजनाओं के प्रभाव अथवा परिणामों के अध्ययन किए जाएँ तो वाणिज्य विभाग/राजस्व विभाग को निर्यातकों/आयातकों तथा विनिर्माण निर्यातों को योजना आधारित पारितोषिक एवं प्रोत्साहनों तथा पीटीए आधारित प्रोत्साहनों के अभिन्न घटकों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे विवरण संघ सरकार के प्राप्ति बजट में एफआरबीएम उदघोषणाओं के भाग के रूप में अच्छी तरह से उद्देश्य को पूरा कर सकते है।

नई दिल्ली **(नीलोत्पल गोस्वामी)**

दिनॉक: **28 मई 2014** **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

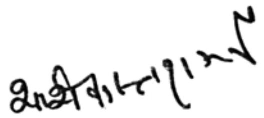

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनॉक: **30 मई 2014** **भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक**

शब्दावली

संकेताक्षर

एसीसी	एयर कार्गो काम्प्लेक्स
एडीडी	एन्टी डंपिंग शुल्क
एआईआर	ऑल इंडस्ट्री रेट
एएनएफ	आयात निर्यात फॉर्म
एओ	स्थगन आदेश
एशियन	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क कर
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाणपत्र
सीबीईसी	उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड
सीबीआई	केन्द्रीय जांच ब्यूरो
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीईएसटीएटी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर प्रशासनिक अधिकरण
सीआईएफ	लागत, बीमा तथा माल भाड़ा
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीबीके	शुल्क फिरती
डीसी	विकास आयुक्त
डीईएल	अस्वीकृत सत्त्व सूची
डीईपीबी	शुल्क हकदारी पास बुक योजना
डीजीईपी	निर्यात सवंर्धन महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईसीए	प्रवर्तनअधिनिर्णय -सह -
ईसीओएम	इलेट्रोनिक वाणिज्य
ईडीआई	इलेक्ट्रोनिक डाटा विनियम
ईजीएम	निर्यात सामान्य मालसूची
ईओयू	निर्यात उन्मुख इकाई
ईपी	निर्यात संवर्धन
ईपीसी	निर्यात सवंर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात सवंर्धन पूंजीगत माल
ईओ	निर्यात दायित्व

ईयू	यूरोपियनयूनियन-
एक्जिम	निर्यात आयात
एफईएमए	विदेश विनिमय प्रबंधन (माल का निर्यात एवं सेवाएं) अधिनियम,2000
एफआईआरसी	विदेश आवक प्रेषण प्रमाणपत्र
एफएमएस	फोकस मार्केटिंग स्कीम
एफओबी/फोब	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीएस	फोकस प्रोडक्टीविटी स्कीम
एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन
एफएसईजेड	फाल्टा विशेष आर्थिक जोन
एफटी (डी एवं आर) अधिनियम	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992
एफटीए	विदेश व्यापार करार
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएसटी	माल तथा सेवा कर
एचबीपी	प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका
आईसीडी	इनलैंड कंटेनर डिपो
आईसीईजीएटीई	इंडियन कस्टम ईडीआई गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रोनिक डाटा विनिमय प्रणाली
आईसीआरआईईआर	भारतीय अन्वेषण तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद
आईसीटी	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
आईटीसी	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण
आइटीसी (एचएस)	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइजड प्रणाली)
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावा शेवा
केएएसईजेड	काडंला स्पेशल आर्थिक जोन
एलईओ	लेट एक्सपोर्ट आर्डर
एलयूटी	विधिक वचनबद्वता
एमईपीजेड	मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनसीएईआर	नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
एनसीएच	न्यू कस्टम हाउस
एनआईसी	नेशनल इन्फोर्मेटिक सेन्टर
एनएसईजेड	नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन
ओएसपीसीए	ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा

पीसीए	पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट
पीआईएडब्ल्यू	पोस्ट इशू ऑडिट विंग
पीआईसी	नीति विवेचना समिति
पीएमवी	वर्तमान बाजार मूल्य
पीएन	पब्लिक नोटिस
पीटीए	अधिमान्य व्यापार करार
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरणता प्रमाणपत्रसदस्य-सह -
आरएफडी	परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज
आरएलए	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरओ	अस्वीकरण आदेश
आरएसपी	रिटेल सेल प्राइज
सार्क	क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
सेज	स्पेशल इकोनोमिक जोन
एसआईओएन	मानक इनपुटआउटपुट मानदण्ड-
एसटीपीआई	साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया
एसवीबी	विशेष मूल्यांकन शाखा
टीआरए	टेलीग्राफिक रीलिज एडवाइज
यूएस	संयुक्त राष्ट्र
वीएबीएएल	मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस
वैट	मूल्य संवर्धन कर
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
एक्सओएस	निर्यात बकाया विवरण

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

लेखापरीक्षित आरए, सेज और सीमाशुल्क पत्तन

क्र. सं.	आरए	सेज	सीमाशुल्क पत्तन
1	दिल्ली	इंदौर	एनसीएच, दिल्ली
2.	भोपाल	मुंबई	आईसीडी, पटपड़गंज
3.	रायपुर	एमईपीजेड, चेन्नई	आईसीडी तुगलकाबाद
4	मुंबई	सीसेज, कोच्ची	आईसीडी, मंडीदीप
5.	पुणे	फाल्टा	आईसीडी, पीतमपुर
6.	गोवा	केसेज	एनसीएच, मुंबई
7	चेन्नई	सेज-नोएडा	जेएनसीएच एवं एसीसी, मुंबई
8	कोयम्बटूर		चेन्नई
9	मदुरै		तूतीकोरीन
10	पुडुच्चेरी		कोच्ची
11	कोच्ची		तिरूवनन्तपुरम
12	तिरुवनन्तपुरम		कोलकाता पत्तन
13	कोलकाता		कोलकाता एअरपोर्ट
14	पानीपत		आईसीडी दुर्गापुर
15	जम्मू		आईसीडी, पेट्रापोल
16	लुधियाना		आईसीडी, गढ़ी
17	अमृतसर		आईसीडी, सनतनगर
18	चंडीगढ़		एअरकार्गो, हैदराबाद
19	हैदराबाद		सीमाशुल्क पत्तन विशाखापत्तनम
20	विशाखापत्तनम		आईसीडी, खोड़ियार
21	कटक		एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
22	अहमदाबाद		सीमाशुल्क भवन कांदला
23	जयपुर		सीमा शुल्क भवन (पीपावाव)
24	बैंग्लुरू		केएसेज़ गांधीधाम
25	कानपुर		आईसीडी, कॉनकार, जोधपुर
26	मुरादाबाद		आईसीडी, थार एअरपोर्ट, जोधपुर
27	वाराणसी		एसीसी, बैंग्लोर
28	देहरादून		आईसीडी, बैंग्लोर
29			एनसीएच, मंग्लोर
30			आईसीडी, जेआरवाई, कानपुर
31			आईसीडी, दादरी

परिशिष्ट II

शीर्ष चार उत्पाद समूहों के डीईपीबी प्राधिकरण का मैट्रिक्स															
उत्पाद समूह	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10 (अप्रैल 09 से दिसम्बर 09)		
	जारी डीईपीबी	डीईपीबी मूल्य	एफओबी मूल्य	जारी डीईपीबी	डीईपीबी मूल्य	एफओबी मूल्य	जारी डीईपीबी	डीईपीबी मूल्य	एफओबी मूल्य	जारी डीईपीबी	डीईपीबी मूल्य	एफओबी मूल्य	जारी डीईपीबी	डीईपीबी मूल्य	एफओबी मूल्य
	सं.	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	सं.	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	सं.	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	सं.	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	सं.	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
रसायन एवं संबंधित उत्पाद	24715 (20%)	1117 (22%)	17016 (15%)	24327 (23%)	1033 (22%)	20294 (17%)	22628 (24%)	1078 (20%)	21191 (16%)	27699 (25%)	1772 (23%)	31432 (19%)	20740 (25%)	1384 (23%)	24626 (21%)
इंजीनियरिंग	31529 (26%)	1691 (39%)	37800 (34%)	28586 (27%)	1720 (37%)	48747 (41%)	27202 (29%)	2268 (41%)	53730 (41%)	32696 (29%)	2746 (36%)	57715 (34%)	21452 (26%)	1787 (30%)	37377 (31%)
टेक्सटाइल उत्पाद	34524 (28%)	1168 (23%)	20301 (18%)	25660 (24%)	893 (19%)	16509 (14%)	16096 (17%)	762 (14%)	13192 (10%)	15954 (14%)	906 (12%)	12858 (8%)	15472 (18%)	1168 (20%)	15402 (13%)
विविध (पैकिंग सामान)	13102 (11%)	231 (5%)	18184 (17%)	10976 (10%)	192 (4%)	16362 (13%)	12319 (13%)	434 (7%)	22813 (18%)	16290 (15%)	604 (8%)	34986 (21%)	11537 (14%)	365 (6%)	21610 (18%)
24 उत्पाद समूहों का कुल योग	**122683**	**5001**	**109930**	**106102**	**4600**	**119810**	**92920**	**5499**	**129464**	**112764**	**7713**	**168745**	**83787**	**5881**	**119817**

परिशिष्ट III

वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई डीईपीबीज़ की संख्या और मूल्य (मूल्य रूपये करोड़ में)

	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी	सं.	क्रेडिट शुल्क	एफ.ओ.बी
कोलकाता	8,190	390	10,742	7,719	366	11,448	8,348	540	14,318	9,909	691	17,907	10,021	669	16,389	10,048	758	19,901	10,583	855	20,109
मुंबई	37,607	1,740	34,994	35,328	1,640	40,408	30,636	1,866	41,099	37,494	2,434	48,529	40,159	2,704	51,990	40,169	3,211	65,359	41,903	3,497	71,598
चेन्नई	7,985	277	5,658	5,580	190	5,095	3,942	198	4	5,683	362	7,372	5,694	349	7,357	5,625	387	7,203	5,818	465	9,319
सीएलए दिल्ली	23,131	848	17,689	18,503	663	16,442	13,766	707	18,107	15,835	1,036	23,349	14,341	1,053	21,928	14,332	1,088	24,807	15,664	1,368	30,095
कानपुर	1,070	34	562	638	16	311	434	20	381	485	35	628	546	56	912	632	74	1,103	712	81	1,372
बैंग्लुरू	3,690	121	2,812	3,213	93	2,432	2,814	122	2,960	4,294	280	5,988	3,888	220	4,559	3,944	253	5,103	4,695	348	7,308
अहमदाबाद	5,256	157	3,610	4,824	141	4,078	4,153	160	4,409	5,407	282	7,299	5,533	332	7,792	6,062	399	9,900	7,366	504	14,194
हैदराबाद	1,947	138	2,898	2,193	152	3,814	2,108	154	3,993	2,505	267	6,345	2,567	287	7,661	2,554	348	8,914	3,245	465	15,803
कोचीन	2,674	74	2,146	2,108	92	2,307	1,995	117	2,437	2,336	157	3,056	2,443	183	3,325	1,934	129	2,367	2,867	261	4,641
भोपाल	1,683	77	2,288	1,354	68	1,843	1,325	77	1,976	1,584	132	4,053	1,337	131	3,166	1,387	137	3,814	1,324	130	3,590
अमृतसर	561	14	594	556	14	641	439	15	702	360	17	746	349	8	292	245	10	256	243	11	286
जयपुर	2,475	53	1,495	2,173	141	4,266	1,453	148	4,098	1,368	104	2,891	1,379	90	2,196	1,333	109	3,062	1,618	215	5,684
गोहाटी	16	0	4	28	1	95	45	1	92	46	3	70	31	2	49	14	1	31	18	2	47
वाराणसी	382	13	249	376	18	499	246	23	516	237	32	839	203	18	451	170	20	473	195	19	425
पंजिम	150	7	184	173	8	177	194	12	256	311	25	403	362	27	362	341	24	331	462	38	615
जम्मु	305	8	230	298	5	201	315	12	367	259	15	292	256	16	313	290	18	359	260	15	301
पटना	61	1	11	25	0	9	14	0	11	38	1	20	24	1	12	46	2	28	67	3	59
चंडीगढ़	714	26	385	662	22	385	683	25	458	809	46	897	716	45	795	870	70	1,259	828	63	1,144

कटक	191	126	2,865	171	140	3,855	223	173	3,787	259	148	3,376	251	122	3,018	229	133	3,934	266	172	4,742
राजकोट	1,935	63	1,465	1,938	86	2,225	1,869	113	2,393	2,409	186	3,530	2,392	196	3,685	2,124	178	3,827	2,931	300	6,733
पांडीचेरी	160	37	880	174	23	856	90	15	475	184	70	1,720	193	82	2,345	142	65	1,881	187	77	2,368
विशाखा	641	68	1,766	732	80	2,403	745	127	3,287	643	102	2,348	580	116	2,472	577	148	5,360	675	199	11,821
मुरादाबाद	953	12	378	304	6	271	236	6	302	189	5	228	161	5	225	93	3	129	117	6	280
लुधियाना	5,156	162	3,461	4,379	134	3,474	3,852	143	3,146	4,237	201	3,637	4,017	289	4,371	4,410	313	5,310	4,998	432	6,826
पुणे	2,971	156	3,015	3,095	187	4,057	3,308	296	5,335	3,721	477	7,293	3,477	487	7,358	3,421	586	8,368	4,154	649	9,560
कोयम्बटुर	3,440	92	2,147	2,346	69	1,701	1,918	90	2,078	2,068	110	2,613	1,919	129	2,685	1,765	130	2,726	2,501	211	3,933
पानीपत	1,649	108	2,884	1,138	104	3,590	930	118	3,527	1,024	100	3,318	677	90	2,273	666	82	2,178	1,051	143	4,457
बडौदा	1,453	44	925	1,320	38	1,069	1,441	33	906	1,607	102	2,396	1,708	121	3,179	1,635	93	2,171	2,116	119	2,741
मदुरै	1,831	65	1,551	1,614	51	1,249	1,843	81	1,596	1,844	88	1,567	2,240	123	1,940	2,260	128	2,153	2,994	201	3,318
नागपुर													208	8.07	214.64	240	16.12	315.17	379	39.44	689.02
सुरत	1,958	82	1,109	1,564	64	983	1,508	73	1,095	2,622	168	2,125	3,720	256	3,196	3,429	253	3,260	2,637	191	2,559
त्रिवेंद्रम	667	15	1,269	208	7	279	410	19	693	892	42	2,150	867	43	2,254	620	31	1,587	964	64	3,124
शिलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
देहरादून	0	0	0	18	1	32	54	3	103	58	3	99	45	3	66	47	2	37	62	4	70
रायपुर	0	0	0	0	0	0	171	8	278	139	9	327	109	5	214	96	5	157	109	5	233
इंदौर																			130	13.03	387.5
कुल	**120,902**	**5,010**	**110,267**	**104,752**	**4,618**	**120,495**	**91,508**	**5,496**	**125,183**	**110,856**	**7,729**	**167,410**	**112,413**	**8,267**	**169,044**	**111,750**	**9,204**	**197,664**	**124,139**	**11,165**	**250,432**

परिशिष्ट IV

2005-06 से 2011-12 के दौरान विभिन्न सेज कार्यालयों द्वारा जारी डीईपीबी लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य

	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
सेज	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य	जारी डीईपीबी स्क्रिप की कुल संख्या	जारी डीईपीबी स्क्रिप का मूल्य
एमईपीजेड सेज	81	12500000	70	5800000	74	11600000	94	15900000	110	21400000	114	10000000	217	37300000
नोएडा सेज	3	354298	2	153031	7	1402915	1	306716	3	1486129	2	618819	1	299793
कोचीन सेज	0	0	10	8667000	22	829668	36	1994773	3	307665	0	0	0	0
केए सेज	225	72300000	60	15500000	179	36700000	117	27400000	190	69600000	111	48800000	232	214400000
एसईईपीजेड सेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15	1598628	20	28440038
फाल्टा सेज	81	105532516	51	21829065	56	16709995	63	32772634	117	48686522	129	115245061	94	58988029
इंदौर सेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	340000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	920000
कुल	**390**	**190686814**	**193**	**51949096**	**338**	**67242578**	**312**	**78714123**	**423**	**141480316**	**371**	**176262508**	**565**	**340347860**

परिशिष्ट V

डीईपीबी योजना पर मुख्य आंकड़े

आरए-वार तथा सेज वार जारी डीईपीबी स्क्रिप, शुल्क क्रेडिट तथा 2005-06 से 2011-12 की लेखापरीक्षित अवधि हेतु स्वीकृत निर्यात का एफओबी मूल्य।

₹ करोड़ में

वर्ष	जारी डीईपीबी अधिकारी-पत्र की संख्या (संख्या)	अधिकार-पत्र की राशि (₹ करोड़ में)	निर्यात का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	परित्यक्त राजस्व* (₹ करोड़ में)
2005-06	1,20,902	5,010	1,10,267	5,650.00
2006-07	1,04,752	4,618	1,20,495	4,842.00
2007-08	91,508	5,496	1,25,183	5,311.50
2008-09	1,10,856	7,729	1,67,410	7,087.49
2009-10	1,12,413	8,267	1,68,044	8,008.45
2010-11	11,750	9,204	1,97,664	8,736.40
2011-12	12,139	11,165	2,50,532	10,404.37
Total	**5,64,321**	**51,489**	**11,40,495**	**50,040.21**

(स्रोत-डीजीएफटी)

*(*स्रोत- राजस्व विभाग)*

परिशिष्ट VI

2009-10 से 2011-12 के दौरान वृद्धि को न घटाने के कारण अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट

₹ करोड़ में

वर्ष	कुल डीईपीबी क्रेडिट (ए)	वृद्धिशील घटक (ए*39.85%)
2009-10	8,207	3,270.53
2010-11	9,171	3,654.69
2011-12	11,132	4,436.10
कुल	28,510	11,361.32

परिशिष्ट VII

डीईपीबी स्क्रिप का दुरूपयोग

₹ करोड़ में

वर्ष	मामले की संख्या	राशि
2004-05	47	39.78
2005-06	24	70.59
2006-07	7	49.62
2007-08	9	16.20
2008-09	12	7.60
2009-10	21	7.4
2010-11	34	3.8
2011-12	26	23.93

परिशिष्ट VIII

2008-13 के दौरान एफटीए सीइसीए सिंगापुर के अन्तर्गत आयातित शीर्ष 50 मदें।

क्रम सं.	एचएस	विवरण	सीईसीए के तहत् आयात (औसत 2008-13)	वैश्विक आयात (औसत 2008-13)	वैश्विक आयातों की % के रूप में सीईसीए आयात ₹ करोड़ में
	₹ करोड़ में				
1	29161400	मेथाक्राइलिक एसिड के ईस्टर्स	190.70	309.37	61.64
2	90183220	टीकाकरण, ऐस्परेशन, बायोप्सी और ट्रासफ्युजन के लिए खाली सुईयां	21.71	38.16	56.88
3	84149040	औद्योगिक पंखे, ब्लोअर्स	48.15	95.32	50.51
4	48204000	विविध व्यवसाय फार्मस और इन्टर्लीड कार्बन सैट	0.43	0.93	45.96
5	29156010	बुटानिक एसिड्स, उनके साल्ट्स एवं इस्टर्स	35.70	79.92	44.67
6	37079010	फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए मिश्रित या संयोजित रसायन उत्पाद (उदाहरणार्थ डेवलपर्स फिक्सरर्स) थोक में है या नहीं	12.20	31.33	38.94
7	29071950	एलकाइल फेनोल्स	12.20	31.33	38.94
8	39023000	प्रोपाइलीन कोपोलाइमर्स	181.00	485.38	37.29
9	29053200	प्रोपाइलीन ग्लाइकोल (प्रोपेन -1,2 –डायोल)	85.72	248.50	34.50
10	38112900	लुब्रिकेटिंग आयल्स के लिए दूसरे योजक	47.82	158.32	30.20
11	39061090	दूसरे पोली (मिथाईल मेथाएक्रीलेट)	29.28	115.13	25.43
12	39053000	पोली (विनाईल एलकोहल), अनहाइड्रोलाईज्ड एसटेट ग्रुप्स निहित है या नहीं	63.53	255.88	24.83
13	29173960	आइसोथेलिक एसिड	30.75	125.31	24.54
14	29023000	टोल्यून	256.80	1135.95	22.61
15	90183100	सिरिंज, सुईयों सहित या बिना सुईयों के	24.27	113.27	21.42
16	29024100	ओ-जाइलिन	57.05	291.79	19.55
17	38111900	दूसरे एन्टीनोक प्रिपरेशन	9.98	66.39	15.04
18	29173990	दूसरे एरोमेटिक पोलिकार्बोकिसलिक एसिड, उनके एन्हाइड्राइडस हेलिड्स, पेरोक्साइड्स, पेरोक्सिएसिड्स और उनके व्युत्पन्न	21.18	144.12	14.70
19	68071090	ऐस्फाफल्ट या समान सामग्रियों की दूसरी वस्तुए	2.91	21.59	13.47

20	39019090	इथाइलीन के दूसरे पोलीमर्स, मौलिक रूप में	93.86	731.48	12.83
21	90183930	कैन्यूला	11.45	89.88	12.74
22	38119000	दूसरे एन्टीनोक प्रीपरेशन	35.43	300.71	11.78
23	39029000	प्रोपाइलीन के दूसरे पोलीमर्स या दूसरे ओल्फिन्स, मौलिक रूप में	25.65	242.61	10.57
24	39074000	पोलीकार्बोनेट्स	123.52	1189.63	10.38
25	39021000	पोलीप्रोपाइलीन	220.10	2172.38	10.13
26	90328990	दूसरे स्वचालित रेगुलेटिंग या नियंत्रण यंत्र और उपस्कर	105.13	1151.64	9.13
27	90283090	दूसरे विद्युत मीटर्स	1.17	20.73	5.64
28	84145930	औद्योगिक फेन्स ब्लोअर्स एवं समान ब्लोअर्स	10.40	191.32	5.43
29	39069090	मौलिक रूप में दूसरे एक्रीलिक पोलिमर्स	32.64	631.27	5.17
30	38123090	दूसरे एन्टी आक्सिडाइजिंग प्रीपरेशन्स और रबड़ या प्लास्टिक के लिए दूसरे संयुक्त स्थिरक	18.71	407.63	4.59
31	84145990	दूसरे औद्योगिक फेन्स	15.62	347.73	4.49
32	38109090	धातू की सतहों के लिए दूसरे पिकलिंग प्रीपरेशन	3.41	78.34	4.35
33	84193200	लकड़ी, कागज की लुग्दी, कागज या कागज के बोर्ड के लिए	0.50	11.63	4.26
34	73182300	रिवेट्स	1.86	57.09	3.25
35	73181900	दूसरी सूत्रित मदें	9.76	304.42	3.21
36	38220090	दूसरी नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक द्रव्य	22.14	767.80	2.88
37	32061110	पर्लसेट पिगमेंट (टाइटेनियम डाईआक्साईड, कोटिड मिकेनेनीयश एवं लस्टर्स पर्ल पिगमेंट)	19.73	686.06	2.88
38	28111940	सल्फोनिक एसिड	0.24	8.66	2.75
39	84483990	दूसरी टैक्सटाईल मशीनरी	9.64	366.63	2.63
40	85371000	1,000 वी से अधिक वॉल्टेज के लिए नहीं	27.04	1104.12	2.45
41	84798999	मिनिक्रिस्टल सेमि कन्डक्टर बाऊल्स बनाने या प्राप्त करने के लिए उपस्कर, सेमि कन्डक्टर वेफर्स के लिए एपिटेक्सिअल डिपोजिशन मशीनों, सेमि कन्डक्टर वेफर्स पर स्पटरिंग द्वारा प्रत्यक्ष निक्षेप के लिए उपस्कर, आर्द्र एचिंग, डेवलेपिंग के लिए उपस्कर को छोड़कर	66.17	3413.69	1.94
42	68071010	रोल्स में टारफेल्ट रूफिंग	0.19	13.65	1.38
43	90132000	लेजर्स, लेजर डिओड्स को छोड़कर	1.10	80.55	1.37
44	84483310	कॉटन स्पिनिंग मशीनों के लिए	0.28	22.24	1.25
45	73181600	नट्स	3.93	349.19	1.13
46	44189000	दूसरे असेम्बल्ड फलॉरिग पेनल्स	0.47	44.52	1.06
47	07139010	दूसरी सुखाई गई और शेल्ड फलीदार सब्जियां,	0.69	1473.71	0.05

		स्लिट			
48	44181000	खिडकिया, फ्रैंच खिड़किया और उनके फ्रेम	0.01	2.98	0.42
49	44182090	दूसरे दरवाजे और उनके फ्रेम और चौखट	0.13	35.40	0.28
50	28129000	धातू रहित दूसरे हेलाइड्स और हेलाइड ऑक्साइड्स	0.01	23.84	0.04